पंचम माला, खंड 64, अंक 12, गुरुवार, 26 अगस्त, 1976/4 भाद्र, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LXIV, No. 12, Thursday, August 26, 1976/Bhadra 4, 1898 (Saka)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 276 (1)
4.XI.1976

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सत्रहवां सत्र
Seventeenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 64 में अंक 11 से 17 तक हैं
Vol. LXIV contains Nos. 11 to 17]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषयसूची/CONTENTS

अंक 12, गुरुवार, 26 अगस्त, 1976/4 भाद्र, 1898 (शक)

No. 12, Thursday August 26, 1976/Bhadra 4, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 223 से 229 और 232 से 236	Starred Questions Nos. 223 to 229 and 232 to 236	1—1
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 222, 230, 231 और 237 से 241	Starred Questions Nos. 222, 230, 231, and 237 to 241	19—27
अतारांकित प्रश्न संख्या 1601 से 1739	Unstarred Questions Nos. 1601 to 1739 .	28—94
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . . .	94—99
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha . .	99
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	100—103
कावेरी डेल्टा में पानी की कमी—	Scanty Supply of Water in Cauvery Delta—	
श्री के० गोपाल	Shri K. Gopal	100—101
श्री केदार नाथ सिंह	Shri Kedar Nath Singh .	100, 101—02, 103
अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति—	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—	103
53वां प्रतिवेदन	Fifty-third report	103
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	Committee on Absence of Members from the Sittings of the House—	103
29वां प्रतिवेदन	Twenty-ninth Report	103

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
केरल विधान सभा (कालावधि विस्तार) दूसरा संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित	Kerala Legislative Assembly (Extension of Duration) Second Amendment Bill—Introduced	104
संविधान (43 वां संशोधन) विधेयक—पुरः स्थापित	Constitution (Forty-third Amendment) Bill—Introduced	104
संविधान पंचम अनुसूची (संशोधन) विधेयक—पुरः स्थापित	Fifth Schedule to the Constitution (Amendment Bill—Introduced	104
केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक—पुरः स्थापित	Central Sales Tax (Amendment) Bill—Introduced	105
विनियोग (संख्या 6) विधेयक—पुरःस्थापित	Appropriation (No. 6) Bill, 1976—Introduced	105-06
विचार करने का प्रस्ताव :	Motion to consider.	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi . . .	105
खण्ड 2, 3 और 1 पारित करने का प्रस्ताव :	Clauses 2, 3, and 1 Motion to pass :	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi . .	106
श्रमिक भविष्य निधि विधि (संशोधन) विधेयक—	Labour Provident Fund Laws (Amendment) Bill—	106—13
विचार करने का प्रस्ताव :	Motion to consider :	
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy	105—07, 110—11, 112
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee .	107-08, 111, 112
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai .	108-09, 112
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	109-10, 111
खण्ड 2 से 41 और 1 : विचार करने का प्रस्ताव—	Clauses 2 to 41 and 1 : Motion to pass—	
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy . . .	113
आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक—	Essential Commodities (Amendment) Bill	113—33
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में :	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga . . .	113-114
श्री कृष्ण चन्द हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder . .	114—16
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan . . .	116—17
श्री दीनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami . .	117—19

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh . . .	119—20
श्री बी० आर० शुक्ला	Shri B. R. Shukla . . .	120—21
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra . . .	121
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao . . .	122—23
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi . .	123
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	123—24
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar . . .	124
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi . .	125
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra . .	125—26
श्री बी० बी० नायक	Shri B. V. Naik	126—27
श्री अमर नाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar . .	127
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A. C. George	128—30
खण्ड 2 से 9 और 1 पारित करने का प्रस्ताव—	Clauses 2 to 9 and 1 Motion to pass	130—33
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A.C. George	131—33
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha . . .	131—32
श्री इसहाक संभली	Shri Ishaque Sambhali . .	132
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar . . .	132—33
कारखाना (संशोधन) विधेयक—	Factories (Amendment) Bill—	134—36
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रुप में—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	
श्री के० रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy . .	134—35
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee . .	135—36
कार्य मंत्रणा समिति--	Business Advisory Committee :	
64वां प्रतिवेदन	Sixty fourth Report . .	136

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 26 अगस्त, 1976/4 भाद्र, 1898 (शक)

Thursday, August 26, 1976/Bhadra 4, 1898 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

MR. SPEAKER *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बाक्साइट का खनन

*223. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च श्रेणी के बाक्साइट के निक्षेप कहां कहां पर पाये गये हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार बाक्साइट के खनन कार्य को सरकारी क्षेत्र में सीमित रखने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) उच्च ग्रेड और निम्न ग्रेड बाक्साइट निक्षेप सामान्यत: एक दूसरे के साथ जुडे होते हैं। फिर भी, उच्च ग्रेड के पर्याप्त निक्षेप आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पूर्वी तट रेंज में तथा हल्के किस्म के कुछ निक्षेप मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में पाये जाते हैं।

(ख) सरकारी क्षेत्र के एल्युमिन/एल्युमिनियम संयंत्रों की जरूरतों की पूर्ति के लिए इन बाक्साइट निक्षेपों की जितनी आवश्यकता होगी इन निक्षेपों का खनन भी उतना ही सरकारी क्षेत्र में किया जाएगा ।

श्री आर० के० सिन्हा : : भारत एल्युमिनियम कम्पनी देश में सरकारी क्षेत्र की अकेली अल्यूमिनियम कम्पनी है। मंत्री महोदय ने इस कम्पनी को सरकारी क्षेत्र में अल्यूमिनियम के

1756 एल० एस०—1

उत्पादन, निर्यात और संयंत्रों के निर्माण की समस्याओं पर विस्तार से विचार करने के लिए निदेश दिया है।

इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है और इस पदार्थ के निर्यात की तथा देश में इसके पूर्णतक उपयोग की क्या संभावनाएं हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : माननीय सदस्य को यह जानकर हर्ष होगा कि इस भारत अल्मूनियम कम्पनी ने उत्पादन के प्रथम वर्ष में ही सुचारू रूप से कार्य करना आरम्भ कर दिया है। उसे अपनी क्षमता का 98 प्रतिशत उपयोग करने में सफलता मिल गई है और शुद्धता की दृष्टि से इसी ग्रेड धातु का जो उसने उत्पादन किया है वह सर्वोत्तम है। उसने थोड़ी सी ई० सी० ग्रेड धातु जापान जैसे देशों को निर्यात भी की है। इन देशों में इस धातु को अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप पाया गया है।

हम अल्मूनियम का निर्यात सोवियत संघ को भी कर रहे हैं। अब कठिनाई केवल यह है कि इस कारखाने के लिए आवश्यक मात्रा में बिजली उपलब्ध नहीं है जिसके फलस्वरूप अग्रेतर उत्पादन में विलम्ब हो रहा है। केवल एक पौट लाइन में उत्पादन चल रहा है जबकि अन्य पौट लाइनों पर उत्पादन कार्य आरम्भ किया जाना है। बिजली मिलते ही वे भी चालू हो जायेंगी। हम मध्य प्रदेश सरकार से संपर्क बनाये हुए हैं और मध्य प्रदेश सरकार भी इस बात का हर संभव प्रयत्न कर रही है कि वह हमें जितना शीघ्र हो सके बिजली सप्लाई करे।

मैं सदस्य महोदय को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि हम बाक्साइट को प्राथमिकता दिलाने की ओर पूरा ध्यान दे रहे हैं और भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग और धातु निर्यात तथा अन्वेषण निगम को यह हिदायत दी गई है कि वे बाक्साइट का पता लगाने के लिए एक पुरजोर कार्यक्रम तैयार करें क्योंकि अल्मूनियम के निर्यात और देश में उसकी खपत की काफी सम्भावनाएं हैं।

श्री आर० के० सिन्हा : माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा उसे सुनकर मुझे प्रसन्नता है। जहां तक मुझे ज्ञात है, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग और धातु निर्यात तथा अन्वेषण विभाग परस्पर सहयोग से एक विस्तृत सर्वेक्षण नमूनों का विश्लेषण आदि का काम कर रहे हैं और उन्हें जो कुछ सफलता मिलो है उससे यह आशा बंधी है कि इस उद्योग का पर्याप्त विकास और विस्तार होगा।

मैं यह जानना चाहता हूं कि बाक्साइट उत्खनन का कार्य केवल सरकारी क्षेत्र तक सीमित रखा जायेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : वास्तव में, हमारे बाक्साइट निक्षेपों की सम्भावना के बारे में तबसे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, जबसे हमने उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी तटों पर बहुत ही उच्च कोटि के बाक्साइट के बहुत बड़े भंडार का पता लगाया है। वर्तमान संकेतों के अनुसार हमें इस श्रृंखला में 1000 मीटरी टन बाक्साइट मिल सकेगा। यह श्रृंखला 300 कि० मी० लम्बी है। जितनी गहराई तक यह बाक्साइट खनिज उपलब्ध है, वह भी अत्याधिक संतोष की बात है। इसमें खनिज का अंश जो 45 प्रतिशत से 48 प्रतिशत तक है, अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है। विश्व में बाक्साइट के सबसे उत्तम जो ग्रेड उपलब्ध हैं उनमें से यह

एक ग्रेड है। हमारा अनुमान है कि यह भंडार बहुत विशाल है और इसीलिए हम इस दिशा में पुरजोर कार्यक्रम आरम्भ कर रहे हैं। जहां तक सदस्य महोदय के दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, अल्मूनियम का उत्पादन अब तक निजी क्षेत्र में होता रहा है। भारत अल्मूनियम कम्पनी तो हाल ही में स्थापित की गई है। उपक्रम किसी रूप में हो, उत्खनन का कार्य केवल सरकारी क्षेत्र में किया जायेगा। परन्तु इस अवसर पर उसके भावी स्वरूप के बारे में कुछ कहना कठिन है।

डा० रानेन सेन : कुछ सप्ताह पहले समाचार पत्रों में यह समाचार छपा था कि भारत अल्मूनियम कम्पनी को उपलब्ध होने वाले बाक्साइट भंडार का पहले पहल तो बहुत अधिक होने का अनुमान लगाया गया था और उतना बाक्साइट उस क्षेत्र में मिलेगा नहीं। इससे भारत अल्मूनियम कम्पनी में काम कर रहे व्यक्तियों के मन में आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि यह समाचार कहां तक सही है।

श्री चन्द्रजीत यादव : भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उत्खनन कार्य की आरम्भिक अवस्था में उस क्षेत्र में बाक्साइट रूक-रूक कर मिला। इस विभाग ने यह भी सलाह दी कि यंत्रीकृत उत्खनन नहीं होना चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में अस्थिरता है। परन्तु उत्खनन कार्य आरम्भ करने पर यह देखा गया कि भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने जो अनुमान बताया वह सही नहीं है और वहां पर 50 प्रतिशत बाक्साइट भंडार हैं। अतः हमने भारत अल्मूनियम कम्पनी से कहा है कि वह उड़ीसा सरकार के पास थोड़े से और पट्टों से लिए आवेदन करें। यह खनिज उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मिलने की संभावना है और यह जिला भारत अल्मूनियम कम्पनी के निकट भी है। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या उस क्षेत्र से वह बाक्साइट की सप्लाई कर सकता है। इस प्रकार इन सभी बातों पर विचार किया जा रहा है।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : जहां तक देश में उपलब्ध बाक्साइट भंडार का सम्बन्ध है, उनमें अल्युमिनियम का अंश 7 से 40 प्रतिशत तक पाया जाता है। सरकारें अधिक प्रतिशत वाले खनिज के लिए कम भंडारों का उपयोग कर रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निम्न ग्रेड वाले और उच्च ग्रेड वाले बाक्साइट को मिलाकर अल्मूनिनियम उत्पादन में उपयोग करेंगे? यदि नहीं तो क्यों?

श्री चन्द्रजीत यादव : जो दृष्टिकोण हम अपना रहे हैं वह सही है। हमें निम्न ग्रेड वाले तथा उच्च ग्रेड वाले अल्यूमिनियम को लेकर उनमें धातु अंश का पता लगाना चाहिए।

वास्तव में मध्य प्रदेश के सरगूजा क्षेत्र में हमें भारी मात्रा में बाक्साइट मिला है परन्तु वह निम्न ग्रेड का है। हम उन देशों की इस दिशा में मदद ले रहे हैं जिन्होंने निम्न ग्रेड वाले बाक्साइट को उच्च ग्रेड वाले बाक्साइट में परिवर्तित करने की तकनीक विकसित कर रखी है। हम चाहते हैं कि जो भी निम्न ग्रेड वाला और उच्च ग्रेड बाक्साइट उपलब्ध है उसे मिला कर पूरा लाभ उठाया जाये।

श्री जगन्नाथ राव : अल्मूनियम उद्योग 1956 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प के अन्तर्गत आता है। यही कारण है कि निजी क्षेत्र को ये उद्योग स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है। इसी के

फलस्वरूप इन्डाल्को आदि की स्थापना हुई है और अब बाल्को बन हुई है क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार इस बात पर विचार करेगी कि निजी क्षेत्र को अपने नये कारखाने स्थापित करने या अपने वर्तमान कारखानों का विस्तार करने की अनुमति न दी जाये। इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या नीति है।

श्री चन्द्रजीत यादव : इस अवस्था में तब तक ऐसा करना असम्भव रहेगा तब तक कि निजी क्षेत्र के संगठन इसका उत्पादन करने में लगे हुए हैं। सरकार ने इस बारे में कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं और उन्हें तदनुसार कार्य करना है। अतः जब हमें इस धातु की आवश्यकता है तब यह कहना कि हम उनके विस्तार के लिए या नये कारखाने स्थापित करने के लिये अनुमति नहीं देंगे ठीक नहीं है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इस क्षेत्र में सरकारी क्षत्र में बाल्को स्थापित किया गया है और अब उसकी देखभाल करेंगे।

सूक्ष्मतरंगी संचार व्यवस्था

*224. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शीघ्र ही सूक्ष्मतरंगी संचार व्यवस्था का जाल फैलाया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या देश में सूक्ष्मतरंगी संचार व्यवस्था के लिये स्वदेशी उपकरणों का उत्पादन हो रहा है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख). देश के प्रमुख ट्रंक मार्गों पर चौड़ी पट्टी के दूरसंचार माध्यमों, जैसे कि माइक्रोवेव रेडियो रिले प्रणाली और/या को-एक्सियल केबुल प्रणाली की व्यवस्था करने की योजना बनाई गई है।

इंण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज़ बंगलूर में कुछ किस्म माइक्रोवेव की रेडियो-रिले प्रणालियों का उत्पादन पहले से ही हो रहा है। अन्य प्रकार की प्रणालियों का विकास किया जा रहा है। आशा है कि जल्दी ही इनकी निर्माण-क्षमता इतनी बढ़ा दी जाएगी कि देश की जरूरतें पूरी हो सकें।

श्री डी० डी० देसाई : श्रीमान् हमारा संचार व्यवस्था में, विशेष रूप से टेलीफोनों के सम्बन्ध में काफी सुधार किये जाने की आवश्यकता है। अतः क्या सरकार प्रयास करेगी कि माइक्रोवेव स्टेशन, रीपीटर ऐनटेना यथासम्भव अधिक से अधिक इलाकों में स्थापित किये जायें और क्या वे नहीं सोचेंगे कि वर्तमान संचार व्यवस्था को रेडियो संचार से भी तुलना नहीं की जा सकती है? क्या वे इस दिशा में कुछ नहीं करेंगे ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : जहां तक माइक्रोवेव प्रणाली का सम्बन्ध है, हम इसे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। गत वर्ष माइक्रोवेव की दूरी दोगुनी हो गई--हमने 8,600 किलोमीटर की व्यवस्था की है और हम 20,000 किलोमीटर की व्यवस्था करने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि यन्त्रीकरण की बात करते समय माननीय सदस्य को सुदूर पारेषण और स्थानीय स्वीचिंग के बीच कुछ भ्रम हो गया। स्थानीय स्वीचिंग में यन्त्रीकरण और इलैक्ट्रानिक्स पर विचार किया जा रहा है। माइक्रोवेव सुदूर पारेषण के प्रयोजनों के लिये प्रयोग किया जाता है। इसमें भी माइक्रोवेव ही एक उपयुक्त साधन नहीं है क्योंकि इसमें क्षमता सीमित होती है। विदेशों में माइक्रोवेव के साथ-साथ को-एक्सियल केबल भी प्रयोग किये जा रहे हैं। हाल में को-एक्सियल केबल की सम्भावनायें बहुत बढ़ गई हैं। इसमें अधिक चैनल बढ़ाई जा सकती हैं और सुरक्षा भी है। विश्व के अन्य देशों की तरह भारत में भी माइक्रोवेव

और को-एक्सियल दोनों ही प्रणाली प्रयोग करनी होंगी। यह भूभाग पर निर्भर करता है कि वहां माइक्रोवेव बचतपूर्ण होगा या को-एक्सियल लाभप्रद होगा। स्वाभाविक है कि पहाड़ियों में माइक्रोवेव सरल और सस्ता रहता है। जब हम को-एक्सियल केबल में बहुत ज्यादा चैनल लेते हैं तो वे मार्ग में बिछा दी जाती हैं। इस प्रकार वे अधिक बचतपूर्ण हैं। अतः हमने निर्णय किया है कि दोनों का विकास किया जायेगा। हम सुदूर पारेषण का बड़े पैमाने पर विकास कर रहे हैं क्योंकि इससे आय अच्छी है। सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था भी उपयोगी रही है। सालिड स्टेट माइक्रोवेव भी लगभग तैयार है।

श्री डी० डी० देसाई : मेरा अभिप्राय इस समय प्रयोग की जा रही क्रास बार प्रणाली से था। क्या इसके स्थान पर इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाये जायेंगे या नहीं? हमारे देश में इलैक्ट्रानिक्स निगम और इलैक्ट्रानिक्स विभाग दोनों हैं। चयन, स्वीचिंग आदि में उनकी सहायता ली जा सकती थी। रीपीटर ऐन्टेना का उल्लेख करते समय मैंने इस बात को ध्यान में रखा था कि माइक्रोवेव प्रकाश की दिशा अर्थात् सीधी लाईन में यात्रा करती है और इसलिए रीपीटर ऐन्टेना आवश्यक समझे गये थे।

अध्यक्ष महोदय : : इसमें कोई प्रश्न नहीं है। यह तो आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

श्री डी० एन० तिवारी : माइक्रोवेव प्रणाली के लागू होने के बाद भी कुछ स्थानों में टेलीफोनों के ठीक काम न करके की शिकायतें हैं। इस प्रणाली के लागू करने के बाद पुरानी प्रणाली की तुलना में क्या सुधार हुए हैं और यदि संचार भंग हो जायें या ठीक काम न करें तो उसे सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

डा० शंकर दयाल शर्मा : मैं पहले कह चुका हूं कि स्थानीय स्वीचिंग और सुदूर पारेषण के बीच कुछ भ्रम है। माइक्रोवेव दूर पारेषण के लिये प्रयोग किया जाता है और इसमें माइक्रोवेव बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमें चैनलों की संख्या बढ़ानी है। माइक्रोवेव के लिये एक स्थान से दूसरे स्थानों को माइक्रोवेव सिगनल दोहराने के लिये टावर व ऐनटेना से युक्त रीपीटर स्टेशन होते हैं। वाइड बैंड माइक्रोवेव में प्रत्येक रेडियोधारी सिस्टम को हम 1800 टेलीफोन देते हैं। हम सर्किट की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और रेडियो चैनल बढ़ा देते हैं।

Shri R. S. Pandey: After taking over the charge of this Ministry Dr. Shankar Dayal Sharma has brought about many inprovements in working of telephones and introduction of microwave is one of them. But our rising telephone bills have been a source of trouble for him. May I know, whether the micro-wave net work is being extended to the rural areas also?

Dr. Shankar Dayal Sharma: Microwave net work is useful where a number of channels are required. It would be spread to places where utra high frequency 60 channels are needed. It will be provided in the rural areas also when it is needed there.

हैजा अनुसन्धान केन्द्र, कलकत्ता में हैजे के एक नये टीके का विकास

*225. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित हैजा अनुसन्धान केन्द्र में हैजे के एक नए टीके का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त टीके का कलकत्ता में लोगों पर परीक्षण किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) इस वैक्सीन से 1 से 4 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को 90 से 100 प्रतिशत तक और एक वर्ष से ऊपर सभी आयु वर्गों के व्यक्तियों को 62 से 77 प्रतिशत तक प्रतिरक्षण मिला है।

श्री पी० गंगा देव : हैजे के पहले टीके से केवल छ मास तक आंशिक असंक्राम्यता मिलती थी इस बात को ध्यान में रखते हुए हम माननीय मन्त्री से प्रार्थना करेंगे कि वह हमारे इस संशय का निराकरण करें कि क्या पहले टीके की तुलना में नए टीके से पहले से अधिक समय तक या पूर्ण रूप से इस विकराल रोग से असंक्राम्यता मिलती है? इस बारे में किए गए नवीनतम अनुसन्धान का क्या परिणाम निकला है ?

श्री ए० के० एम० इसहाक : पहले टीके की तुलना में नए टीके में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। एक वर्ष से चार वर्ष की आयु के बच्चों को इससे शत प्रतिशत प्रतिरक्षा मिली है। अन्य आयु वर्ग के लोगों को इस से 77 प्रतिशत तक प्रतिरक्षा मिली है। इस बारे में निश्चित रूप से पहले टीके की तुलना में सुधार हुआ है। दूसरे, जहां तक असंक्राम्यता की अवधि का सम्बन्ध है इस टीके के गुणों को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इससे निश्चित समय तक प्रतिरक्षा मिलेगी। नए टीके से 380 दिन तक प्रतिरक्षा मिलती है। इस दृष्टि से भी इसमें पहले टीके की तुलना में सुधार हुआ है।

श्री पी० गंगा देव : जिस व्यक्ति को टीका लगाया जाए उसे उससे पूरी तरह से प्रतिरक्षा मिले और ऐसा टीका तैयार करने के लिए, जिसे मुंह के जरिए लिया जा सके ताकि लोगों को उसे लेने में सुविधा हो, कौन कौन से अनुसन्धान हो रहे हैं।

श्री ए० के० एम० इसहाक : मैं समझता हूं कि हमारे देश में एक बहुत कारगर औषध का निर्माण हुआ है जिसका नाम "कारसल" है। इससे इस दिशा में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। इसे मुंह के जरिए लिया जा सकता है। परन्तु लोगों को प्रतिरक्षा देने के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा देने और स्वच्छ रहने की आदत डालने का तरीका सर्वोत्तर है।

डा० कैलास : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह टीका स्थानिक क्षेत्रों में भी मिलता है ? यह बात सर्वविदित है कि उन क्षेत्रों में टीके स्टोर करने की बहुत कम सुविधाएं हैं और इन की क्षमता बनाए रखने के लिये प्रशीतन सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं। जितने टीके लगाने वालों की जरूरत है वे भी उतने उपलब्ध नहीं है। अत: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई निश्चित वितरण प्रणाली या अन्य ऐसी प्रणाली है जिससे इस सुधरे हुए टीके को कारगर रूप से प्रयोग में लाया जा सके ?

श्री ए० के० एम० इसहाक : इस बारे में कुछ सुधार हुआ है। हमारे देश में स्थानिक रोग वाले 54 जिले हैं। इनमें से हम केवल 28 जिलों को ही यह सुविधा प्रदान कर सके हैं। दूसरे जिलों को भी यह सुविधा प्रदान की जा रही है।

भविष्य निधि से पूंजी निवेश

*226. **श्री के० मालन्ना** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भविष्य निधि से पूजी निवेश करने के बारे में मालिकों को नये निदेश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है।

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

निवेश को जो निम्नलिखित पैटर्न, केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना का० आ० संख्या 286 (अ) तारीख 30 जून, 1975 [ग्रन्थालय में रखी गई देखिये संख्या एल टी०--11236/76] द्वारा पहली जुलाई, 1975 से लागू किया था, उसका लागू रहना 31 अगस्त, 1976 तक जारी है :--

(1)	केन्द्रीय सरकार द्वारा सृजित और जारी की गई लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खण्ड (2) में यथा परिभाषित सरकारी प्रतिभूतियां	25 प्रतिशत से अन्यून
(2)	किसी राज्य सरकार द्वारा सृजित और जारी की गई, लोकऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खण्ड (2) में यथा-परिभाषित सरकारी प्रतिभूतियां	25 प्रतिशत से अन्यून
(3)	कोई अन्य पराक्राम्य प्रतिभूतियां या बौंड, जिनका मूलधन और जिन पर ब्याज, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूपेण और बिना किसी शर्त के गारण्टीशुदा हो।	25 प्रतिशत से अन्यून
(4)	7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (द्वितीय और तृतीय बार जारी किये गये) या डाकघर सावधिक जमा	30 प्रतिशत से अनधिक
(5)	भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या एफ० 16(1)/पी० डी० /75, तारीख 30-6-1975 -द्वारा आरम्भ की गई विशेष निक्षेप स्कीम	20 प्रतिशत से अनधिक

श्री के० मालन्ना : क्या यह बात सही है कि कुछ नियोजक इस योजना का पालन नहीं कर रहे हैं और यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? निधान के रूप में कितनी धनराशि मिलने की सम्भावना है तथा वास्तव में कितनी धनराशि मिल चुकी है?

श्री बालगोविन्द वर्मा : माननीय मंत्री को विदित ही है कि धन का विनियोजन केन्द्रीय सरकार के निदेश के अनुसार ही किया जायेगा तथा इसलिये कोई कमी नहीं हो सकती। वे स्थापित प्रथा में कोई अदल बदल नहीं कर सकते। यदि वह ठीक कार्य न करें तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। इस प्रयोजन के लिये हम कुछ मामलों में छूट दे देते हैं। वस्तुस्थिति तो यह है कि गैर छूट प्राप्त वर्गों द्वारा प्राप्त धन संबंधी आंकड़े मेरे पास इस समय नही हैं। यदि माननीय मंत्री उन्हे चाहते हैं तो मैं उन्हें दे सकता हूं।

श्री के० मालन्ना : क्या सरकार ने भविष्य निधि की संचित राशि में से ऋण देने; आवास योजना, शिक्षा तथा स्वास्थ्य इत्यादी जैसी लाभप्रद योजनाएं बनाने पर विचार किया है?

श्री बालगोविन्द वर्मा : जब कर्मचारियों को आवश्यकता हो तो वे ऋण ले सकते हैं।

श्री के० सूर्य नारायण : क्या किसी ऐसे नियोजक पर जिसने किसी ऐसे नियम का उल्लंघन करके भविष्य निधि की राशि जमा न कराई हो, मुकदमा चलाया गया है ? ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : जब कभी नियोजक अपेक्षित धनराशि जमा नहीं कराते तो हम उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करते हैं। 30 जून, 1975 को मुकदमों की संख्या 55,590 थी जबकि 30 जून, 1976 को यह संख्या 64,745 हो गई। 30 जून, 1975 तक 35,083 व्यक्तियों को दोषसिद्ध ठहराया गया तथा दोषसिद्ध ठहराये गए व्यक्तियों की संख्या 30 जून, 1976 को 37,116 थी। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत 30 जून, 1975 तक 436 और 30 जून, 1976 तक 657 मामले दर्ज किये गये। धारा 8 के अधीन राजस्व की वसूली के लिये दर्ज किये गये मामलों की संख्या .....

अध्यक्ष महोदय : क्या यह बहुत बड़ा विवरण है।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : चन्द एक आंकड़े और हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह बड़ा विवरण है तो आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं। अगला प्रश्न।

दीगो गार्शिया में अमरीकी परमाणु अड्डे के बारे में कोलम्बो शिखर सम्मेलन में विचार-विमर्श

*227. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम्** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीगो गार्शिया में अमरीकी परमाणु अड्डे पर अगस्त, 1976 में कोलम्बो गुट निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में एक मुख्य मामले के रूप में चर्चा की गई ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) कोलम्बो में हाल ही में सम्पन्न पांचवें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में "शांति का क्षेत्र हिन्दमहासागर" संबंधी मद पर विचार-विमर्श के दौरान दीगो गार्शिया के अड्डे की कटु अलोचना हुई। दूसरी बातों के अलावा इस सम्मेलन ने इसकी भर्त्सना करते हुए एक पाठ भी पारित किया जिसमें "बड़ी ताकतों द्वारा अपने सामरिक महत्व के हितों की सिद्धि के लिये दीगो गार्शिया जैसे विदेशी एवं साम्राज्यवादी सैनिक अड्डों की स्थापना, रख रखाव और विस्तार की तथा हिन्द महासागर में बड़ी ताकतों की तेजी से बढ़ती हुई सैनिक प्रतिस्पर्धा और तनाव की भी निंदा की गई है क्योंकि ये इस क्षत्र की स्वतन्त्रता, प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखंडता और शांति पूर्ण विकास के लिए सीधा खतरा है।"

सम्मेलन में इस विषय पर स्वीकार किये गये प्रस्ताव में भी इसी प्रकार का एक पैरा आया था।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम : यह वास्तव में एक अच्छा समाचार है कि दीगो गार्शिया का विशेष रूप से उल्लेख किया गया और इसकी न केवल आलोचना ही परन्तु निन्दा भी की गई । माननीय मंत्री द्वारा उठन पाठ में कहा गया है :

> "दीगो गार्शिया जैसे विदेशी एवं साम्राज्यवादी सैनिक अड्डों और स्थापनों की स्थापना, रख-रखाव और विस्तार. . . ."

इससे स्पष्ट है कि विदेशी साम्राज्यवादी ताकतों के अन्य अड्डे और स्थापनाएं भी हैं। पाठ में यह भी कहा गया है कि "यह बड़ी ताकतों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण है।" जहां तक सोवियत संघ का सम्बन्ध है उन्होंने एक बार नहीं परन्तु कई बार स्पष्टतया कहा है कि वे हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाये रखने के पक्ष में हैं। अत: प्रतिस्पर्धा का तो कोई प्रश्न ही नहीं है जहां तक सोवियत संघ का सम्बन्ध है। यह सुविदित है अमरीका दीगो गार्शिया में अड्डा बना रहा है। अत: क्या सरकार उन अन्य विदेशी साम्राज्यवादी ताकतों के नाम बतायेंगी जो कि अमरीका के इलावा हिन्द महासागर में अडडे और स्थापनाएं स्थापित कर रही हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि वह वास्तव में तथ्यों की जानकारी चाहते हैं तो जिबूटी में फांस का एक अड्डा है। मैंने यह एक उदाहरण दिया है। परन्तु मूल प्रश्न तो हिन्द महासागर क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने के लिये वहां पर विदेशी अड्डों; साम्राज्यवादी अड्डों को जैसा कि आप इन्हें कहेंगे; समाप्त करना है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : "साम्राज्यिक और विदेशी" क्या है ? क्या कोई ऐसा साम्राज्यिक अड्डा हो सकता है जो विदेशी न हो ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: ऐसा कोई अड्डा नहीं हो सकता। यह मैं समझता हूं। परन्तु ऐसे सम्मेलन में दूसरों की बात को रखने के लिये कुछ ऐसे पद रखने पड़ते हैं। वास्तव में गैर साम्राज्यिक विदेशी अड्डा नहीं हो सकता है। विदेशी अड्डा ही एक बुनियादी चीज है। ये अड्डे वास्तव में साम्राज्यिक होते हैं और हमें चाहिये कि इन्हें न बनने दिया जाये मेरी तो यह मंशा है बड़ी ताकतें एक, दो नहीं, परन्तु कई हैं।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम : ऐसी अन्य बड़ी ताकतें कौन सी हैं जो स्थापनों का निर्माण कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री ने जानकारी दे दी है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रश्न उन ताकतों के बारे में नहीं है जिनके पहले ही अड्डे हैं। प्रश्न तो नये अड्डे स्थापित करने की सम्भावनाओं के बारे में है। हम अन्तर्निहित सम्भावनाओं के विरुद्ध व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दीगो गार्शिया हमारे देश के समीप है और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि कई देशों ने इस अड्डे की निन्दा की है जनमत तैयार करने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि यह अड्डा बन्द हो जाये, सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ? दूसरे, क्या माननीय मंत्री दीगो गार्शिया अड्डे की वर्तमान अवस्था के बारे में जानकारी दे सकेंगे ? अन्त में उन लोगों के बारे में क्या हुआ जो उस द्वीप में थे।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, हम तदर्थ समिति द्वारा आयोजित तटवर्ती देशों के सम्मेलन में शामिल हो रहे है। मेरे विचार में तदर्थ समिति के सभापति ने इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी देशों, तटवर्ती देशों को लिखा है कि वे सम्मेलनों के कार्यक्रमों और समयों के बारे में अपने सुझाव दें। विभिन्न देशों से सिफारिशें और सुझाव प्राप्त हो गये हैं। यदि इस सम्मेलन का कोई व्यावहारिक लाभ होना है तो हमें प्रयन्त करना चाहिये कि इस सम्मेलन में बड़ी ताकतें भी भाग लें। अन्यथा इस सम्मेलन का कोई लाभ नहीं होगा। मेरे विचार में अभी तक कोई भी बड़ी ताकत सम्मेलन में शामिल होने के लिये तैयार नहीं हुई है।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम : वे बड़ी ताकतें कौन सी है जिनको लिखा गया और जिन्होंने इन्कार किया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार में यह प्रश्न तो सम्मेलन के सभापति से पूछना पड़ेगा मेरे पास जो जानकारी है वह मैं दे रहा हूं।

जहां तक अड्डे की वर्तमान अवस्था का सम्बन्ध है, मेरे विचार में इस में अच्छी प्रगति हुई है और यह अड्डा अब काम कर रहा है।

जहां तक उस क्षेत्र की आबादी का सम्बन्ध है, मेरे विचार में यह अब सुविदित है वास्तव में हम भी इस विवाद के बारे में चिंतित थे कि वहां पर कुछ लोग थे और उन्हें वहां से हटा कर अन्य भागों में ले जाया गया है।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : माननीय मंत्री ने यह नहीं बताया कि विश्व में जनमत तैयार करने के लिये शिखर सम्मेलन ने क्या कार्यवाही की है और क्या संयुक्त राज्य अमरीका को दीगो गार्शिया में नामिकीय अड्डा बन्द करने के बारे में कोई शासकीय विरोध पत्र भेजा गया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : विरोध पत्र भेजने का कोई प्रश्न नहीं है। हम संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार को द्विपक्षीय आधार पर कई बार अपना मत व्यक्त कर चुके हैं। सक्रेटरी आफ स्टेट के साथ हुई अपनी बातचीत में मैं भारत के दृटिकोण के इस पहलू पर कई बार बल दे चुका हूं। यह ठीक है कि हमें इस बारे में अभी तक उनकी प्रतिक्रिया का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सभी तटस्थ देशों ने इस बात का समर्थन किया है कि हिन्द महासागर में शान्ति बनाई रखी जाये और दीगो गार्शिया में नामिकीय अड्डा की सर्वसम्मिति से निन्दा करते हुए एक संकल्प भी पारित किया है, क्या सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के विरुद्ध निर्देश दिया गया है कि वे उन ऐसे देशों को जो गुट-निरपेक्षता के आन्दोलन में शामिल तो नहीं है परन्तु गुट-निरपेक्षता के विरुद भी नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ में जनमत तैयार करने के लिये राजी करें और क्या उस समय जब यह संकल्प पारित किया गया था गुट निरपेक्षता के इस आन्दोलन से बाहर कोई ऐसे देश पर्यवेक्षक के रूप में वहां उपस्थित थे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : तटीय देशों में एकता कायम करने के लिये प्रयास करने होंगे। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके बीच कोई वाहृय तत्व गड़बड़ पैदा न करें। इस बात पर निगरानी रखनी होगी क्योंकि इन देशों में आपस में शत्रुता पैदा करने या हिन्द महासागर में इन देशों की नौसैनिक स्थिति में द्वन्द पैदा करने का वाहरी शक्तियों द्वारा प्रयास किया जाता है। फिर जैसा

कि मैने कहा इस सम्मेलन को बुलाने की बात पर अधिक बल देना होगा तथा सम्बद्ध शक्तियों को इसमें भाग लेने के लिये तैयार करना होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब मैने गैर-सामाज्यवादी अड्डों की बात की तो सभा में उसकी हंसी उड़ाई गई। पर इस शब्दावली का प्रयोग करने का मेरा कुछ प्रयोजन था क्योंकि कोलम्बो सम्मेलन के सम्बन्ध में हम समाचारपत्रों में पढ़ते हैं कि बंगलादेश के शिष्टमण्डल ने इस आशय के कुछ आरोप लगाये या लगाने का प्रयास किया कि हिन्द महासागर में सुरक्षा और शान्ति को एक दूसरी महा-शक्ति अर्थात भारत से भी खतरा है। यही बात कहने का वह शिष्टमण्डल में प्रयास कर रहा था। उसका अभिप्राय था कि बंगलादेश एक छोटा सा देश है जबकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और उसकी नौसैनिक शक्ति भी बहुत बड़ी है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उन्होंने भारत का नाम कभी नहीं लिया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : : यह बात स्पष्ट थी कि वे किस देश का उल्लेख करना चाहते थे। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न के बारें में अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया रही ? क्या अन्य देश भी यही समझते हैं कि हिन्द महासागर में भारत भी एक बड़ी शक्ति है जिसके बारे में उन्हें सावधान व सतर्क रहना चाहिए ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : चूंकि हमने इस बात का अपने वक्तव्य में कोई उल्लेख नहीं किया इसलिये हम कह सकते हैं कि इसको अन्य देशों और हमने भी कोई महत्व नही दिया।

डा० वी० के० आर० वर्धराज राव : माननीय मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सभी प्रकार के विरोधों के बावजूद एक बड़ी शक्ति ने हिन्द महासागर में एक संचालक अड्डा स्थापित कर दिया है। इसके निराकरण के लिये अब यह सोचा जा रहा है कि एक और सम्मेलन किया जाये जिसमें बड़ी शक्तियां भी भाग लें। पर अभी तक इन बड़ी शक्तियों की ओर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। यदि इस तरह के प्रयास असफल होते रहे या तटीय देश विदेशी अड्डों से उत्पन्न होने वाले खतरे का मुकबला करने में असमर्थ रहे तो एक शक्ति का मुकाबला करने के लिये वे दूसरी शक्ति को अड्डा बनाने के लिये आमंत्रित करेंगे।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह बात तटीय देशों की एकता पर निर्भर है। यही मूलभूत बात है। किसी अन्य शक्ति आमंत्रित न करने का यह प्रश्न नही है। उस शक्ति का क्या होगा जो पहले ही वहां है ? यही मूल प्रश्न है। इन समस्याओं और धारणाओं पर शान्त भाव से विचार करना होगा। इसके लिये थोड़ी सी अवधि में सहज समाधान खोजना आसान नहीं है।

देश में 'इन्फ्लुएंजा' का फैलना

***228. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के किसी भाग में हाल ही के महीनों में 'इन्फ्लुएंजा' फैला था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) (क) : जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : इस सम्बन्ध में मैं मंत्री जी का ध्यान दिनांक 19 जून; 1976 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । मुख्य शीर्षक है : "उत्तर प्रदेश में फ़लू महामारी फैलने की आशंका" समाचार में कहा गया है :--

> उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य निदेशालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे इनफ्ल्युएंजा से सावधान रहे और जैसे ही इसके संकेत सामने आये, अपने निकटतम अस्पताल से सम्पर्क करें" ।

अत : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस बारे में कौन से कदम उठाये है या उठाने का विचार है ।

श्री ए० के० एम० इसहाक : हमने यह समाचार पड़ा है । पर इस समाचार का कोई आधार नहीं है । जब कभी कोई महामारी फैलती है तो उसके लिये सहायता देने की निश्चित पद्धति है ।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : यह समाचार 'समाचार' ने हिन्दुस्तान टाइम्स को दिया । इसके अलावा समाचार में यह कहा गया है :

> "विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई इस चेतावनी के फ़लस्वरूप, कि इनफ्ल्युएंजा विश्व के बड़े भाग में फैल सकता है, कदम उठाये गये हैं ।"

यदि यह ठीक है तो देश में इस बीमारी के इलाज के लिये दवाईयों का प्रयाप्त स्टाक उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री ए० के० एम० इसहाक : जब कभी विश्व के किसी भाग में कोई महामारी फ़ैलने की आशंका होती है तो उस पर निगरानी रखना विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक काम है । हमने इस तरह तरह की निगरानी के लिये अपनी व्यवस्था का विकास किया है । हमारे देश में इस काम के लिये चार अलग अलग इकाईयां हैं । केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली....

अध्यक्ष महोदय : इन सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री ए० के० एम० इसहाक : हमारी अपनी निगरानी व्यवस्था है ।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बीमारी किन कारणों से होती है । पश्चिम बंगाल में कई लोगो की इससे मृत्यु हो गई है विशेषरूप से बर्दमान जिले में । क्या मैं जान सकता हूं कि इस बीमारी से कितने व्यक्ति मरे हैं ?

श्री ए० के० एम० इसहाक : इस क्षण मेरे पास यह जानकारी नही है । पर इसकी छानबीन की जा रही है ।

श्री के० हनुमन्तया : क्या सरकार को मालूम है कि अमरीका में एक नए टीके का विकास किया गया है और वे इन्फ्लुएंजा को रोकने के लिये बड़े पैमाने पर टीके लगा रहे है ?

श्री ए० के० एम० इसहाक : वे अपना काम कर रहे हैं । पर हम भी अपने देश में एक टीका बना रहे है ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह नहीं पूछ रहे है कि आप अपने देश में क्या बना रहे हैं वह पूछना चाहते हैं कि अमरीका में जों टीका बना है उस के बारे में आपको जानकारी है ।

श्री ए० के० एम० इसहाक : वे इस पर कुछ खोज कर रहे है ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम में फार्मेसिस्टों का भाग लेना

***229. श्री राजदेव सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फ़ार्मेसी परिषद् ने निर्णय किया है कि अगले वर्ष राष्ट्रीय कार्यक्रम में 20,000 फ़ार्मेसिस्ट भाग लेगे ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार इस प्रयोजनार्थ फ़ार्मेसिस्टों को प्रशिक्षण देने पर 4 लाख रूपये खर्च करेगी ; और

(ग) क्या भर्ती किये जाने वाले तथा प्रशिक्षित किये जाने वाले ये 20,000 फ़ार्मेसिस्ट स्थायी रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम का एक अंग बनेगे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां, परिषद् द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ।.

(ख) एक योजना अभी तैयार की जानी है ।

(ग) जी, नहीं ।

श्री राजदेव सिंह : जहां तक भारतीय फ़ार्मेसी परिषद् का सरकार से सम्बन्ध है, इसकी वित्तीय स्थिति और अन्य दर्जा क्या है ? उसका उद्देश्य 20,000 फ़ार्मेसिस्टो को प्रशिक्षण देना है ।

चौधरी राम सेवक : मुझे नही मालूम कि 20,000 फ़ार्मेसिस्टों की संख्या कहां से आ गई है । जब परिवार नियोजन आयुक्त के साथ चर्चा हुई थी, तब उन्होने कुछ प्रस्ताव पेश किये थे । बंगलौर में एक बैठक हुई थी । उस बैठक में भी एक संकल्प पास किया गया था । यदि आप मुझे अनुमति प्रदान करें तो मैं उसका यहां पुनः उल्लेख करूं ....

अध्यक्ष महोदय : इसका पुनः उल्लेख नहीं करिये । आप उसका सार दे दीजिये ।

चौधरी राम सेवक : यदि वे परिवार नियोजन कार्यक्रम में सहयोग करने को तैयार हैं, तो जितने भी धन की आवश्यकता होगी, उतना धन दिया जायेगा ।

श्री राजदेव सिंह : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का जो उत्तर दिया गया है, इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का कब तक योजना बनाने का विचार है और क्या इस योजना के अन्तर्गत 20,000 या किसी विशेष संख्या में फ़ार्मेसिस्ट आयेंगे ।

चौधरी राम सेवक : मैंने विभाग को योजना बनाने का ही अनुदेश दिया है और हम इसे शीघ्र ही तैयार कर लेंगे । इसके बारे में इसे परिवार नियोजन बोर्ड के समक्ष अन्तिम रूप देने के लिये पेश करूंगा ।

रत्नागिरि एल्यूमीनियम संयंत्र के लिए अधिग्रहीत भूमि

*232. **श्री एस० एल० पेजे :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में रत्नागिरि में स्थापित होने वाले एल्यूमीनियम संयंत्र के लिये 500 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहीत की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन कृषकों को कुल कितनी धनराशि दी गई जिन से भूमि अधिग्रहीत की गई थी ; और

(ग) क्या कुछ कृषकों को अभी भुगतान नहीं किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहीत की गई है । भूमि के अधिग्रहण तथा भूमि के पहले मालिकों को भुगतान के मामले राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते है । महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि उन्होने 26.30 लाख रूपये की राशि का पहले ही भुगतान कर दिया है और अब केवल 52 दावे शेष बचे हैं ।

श्री एस० एल० पेजे : : जिस उद्देश्य से भूमि उधिग्रहीत की गयी थी, उसके उपयोग के बारे में क्या मंत्री महोदय हमें कुछ बतायेंगे ? क्या कार्यक्रम को लागू करने के लिए सरकार ने कोई निश्चित योजना तैयार की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : भूमि अधिगृहीत की जा चुकी है । उस पर एल्यूमिनियम कारखाना लगाने की योजना है । परन्तु संसाधनों के अभाव के कारण प्रगति नहीं हुई है ।

श्री धामनकर : अभी माननीय मंत्री ने कहा है कि प्रगति नहीं हो रही है । मैं विशेषरूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या परियोजना को छोड़ दिया गया है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : परियोजना छोड़ नहीं दी गयी है । यह विचाराधीन है । परन्तु हमें अपनी संसाधन स्थिति भी देखनी है । भूमि अभी भी कम्पनी की है ।

श्री बी० वी० नायक : निस्सन्देह यह रत्नागिरि में अल्यूमिनियम परियोजना के विशेष मामले के बारे में है । मैं समझता हूं कि जो भुगतान किया गया है, वह पर्याप्त ही है । जब कभी औद्योगिक कार्य हेतु कृषको से इस तरह की भूमि अधिगृहीत की जाये, कम से कम जब संबंधित सरकार को अभी भी निश्चय करना है, तब क्या कृषकों के अपनी भूमि के कब्जे और कृषि करने के अधिकार को स्वीकार किया जायेगा ?

श्री चन्द्रजीत यादव : माननीय सदस्य ने जो कठिनाई बतायी है, वह कठिनाई होती है । कतिपय मामलों में भूमि अधिगृहीत की गयी हैं और संसाधनों के अभाव में भूमि को कुछ समय तक उपयोग में

नहीं लाया गया है। कुछ मामलों में हमने कृषकों को अनुमति दे दी है। हमने उन्हें पट्टे पर दे दिया है, ताकि भूमि अप्रयुक्त न रह सके। उदाहरण के तौर पर स्वयं अपने राज्य में इस्पात संयंत्र के लिए जो भूमि अधिगृहीत की गयी थी, उसे उपयोग में लाने की अनुमति समय-समय पर कृषकों को दी गयी। जब काम शुरू हो जाता है, तब कठिनाई हो जाती है।

भारत तथा पाकिस्तान के बीच सद्भावना शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान

***233. श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के अधिकारियों से दोनों देशों के बीच गैर-सरकारी सद्भावना शिष्ट-मंडलों के आदान-प्रदान के बारे में बातचीत हुई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास): (क) और (ख). भारत और पाकिस्तान के संबंध अभी हाल ही में सामान्य हुए हैं। सद्भावना शिष्टमंडल आदि के माध्यम से संबंधों को और सुधारने की संभावनाओं पर यथासमय विचार किया जाएगा।

श्री एन० के० पी० साल्वे : यदि सरकार सद्भावना मिशन भेजने की संभावना पर विचार करती है, तो क्या वह सद्भावना मिशनों में अविवाहितों को शामिल करने के विशेष दावों पर विचार करेगी ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि माननीय लोक सभा अध्यक्ष दोनों देशों के बीच संसदीय शिष्टमंडलों के आदान-प्रदान के लिए किसी समय व्यवस्था करने के लिए पहल करें, तो क्या मंत्रालय को कोई आपत्ति होगी ?

श्री बिपिनपाल दास : हमें अभी भी स्थिति देखनी है। हम अभी इस स्थिति तक नहीं पहुंच पाये हैं।

सेलम इस्पात संयंत्र

***234. श्री एम० कत्तामुत्तु :**
श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम इस्पात संयंत्र की वित्तीय क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित विशेष समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) और (ख). योजना आयोग ने सेलम इस्पात परियोजना की वाणिज्यिक सक्षमता का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेष समिति गठित की थी। इस समिति ने हाल में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिस पर विचार किया जा रहा है।

(ग) चालू वित्त वर्ष के बजट में इस परियोजना के लिए 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

श्री एम० कत्तामुतु : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विशेष समिति की सिफ़ारिशें क्या हैं ? क्या सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि सेलम स्थित इस्पात संयंत्र को प्रारंभिक योजना के अनुहार ही बनाया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : इस समय यह बताना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि विशेष समिति की क्या-क्या सिफ़ारिशें हैं क्योंकि इस ग्रुप (समिति) के गठन का निर्णय एक उच्च स्तरीय बैठक में किया गया था जिसमें प्रधान मंत्री महोदय स्वयं उपस्थित थी, उनके अलावा उसमें वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और स्वयं मैं भी उपस्थित था और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि एक विशेष ग्रुप बनाया जाये जो यथाशीघ्र अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और वह विचाराधीन है। इसलिए ऐसा करना (सिफ़ारिशें बताना) सभव नहीं है।

किन्तु इतना मैं ज़रूर कहूंगा कि सेलम इस्पात संयंत्र परियोजना के लिए 516.88 करोड़ रुपए की आवश्यकता है इसलिए संसाधनों की भारी समस्या है। योजना है और सरकार इस परियोजना के लिए संसाधन ढूंढ़ने के लिए बहुत उत्सुक है।

श्री एम० कत्तामुतु : उत्तर के दूसरे भाग में मंत्री जी ने कहा है कि बजट में 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह राशि परियोजना खाते में डाली जायेगी और क्या जो काम धनाभाव के कारण रुका पड़ा है उसे फ़िर से चालू किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है—क्या जो काम धनाभाव के कारण रुका पड़ा है उसे फिर से चालू किया जायेगा ?

श्री चन्द्रजीत यादव : वास्तविक प्रश्न यह है कि इस संयंत्र के लिए चालू वर्ष में 3 करोड़ रुपए के बदले लगभग 15 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। किन्तु इस राशि का अधिकांश भाग मशीनों तथा उपकरणों के लिए देना होगा। जब तक पहले चरण के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध न हो जाएं, मशीनों और उपकरणों के लिए वचन दे देना व अग्रिम राशि देना उचित नहीं होगा।

श्री पी० वैंकटासुब्बया : क्या सेलम इस्पात संयंत्र की योजना व निर्माण विशाखापतनम तथा विजयनगर जैसे अन्य इस्पात संयंत्रों से सम्बद्ध है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : जी, नहीं। इसका अन्य संयंत्रों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री के० गोपाल : क्या मैं उस आश्वासन की याद दिला सकता हूं जो इस सदन में स्वर्गीय श्री मोहन कुमार मंगलम ने दिया था कि कोल्ड रोलिंग कम्प्लैक्स फरवरी, 1976 तक लग जायेगा किन्तु इसके लगने की अब कोई संभावना तक नहीं दिखाई देती। मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि यह 516 करोड़ रुपए की परियोजना है और वह इसके लिए 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहे हैं जो केवल कर्मचारियों के वेतन के लिए ही पर्याप्त होगी।

क्या मंत्री महोदय सेलम परियोजना के बारे में गंभीर रूप से विचार कर रहे हैं और क्या वह इस वर्ष और अधिक धन की व्यवस्था करेंगे ताकि काम सही माने में आरम्भ हो सके ?

श्री चन्द्रजीत यादव : माननीय सदस्य को यह बात जानकर पूरा सन्तोष होना चाहिए था कि इस प्रश्न पर सर्वोच्च स्तर पर विचार किया गया है और स्वयं प्रधान मंत्री तथा हम सभी लोग इस बात के लिए उत्सुक तथा प्रयत्नशील हैं कि इसके लिए संसाधन उपलब्ध किये जाएं। अतएव इस बारे में कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिए और चिन्ता का कोई प्रश्न भी नहीं है।

जमा राशि से सम्बद्ध बीमा योजना

***235. श्री एम० ए० मुरुगानन्तम :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना और कोयला खान भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए जमा राशि से बीमा योजना को सम्बद्ध करने की व्यवस्था लागू की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्री (श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) एक विधेयक, जिसमें सारे ब्यौरे दिए गए हैं लोक सभा में पहले ही पेश कर दिया गया है और इस पर चर्चा होने वाली है।

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

***236. श्री भान सिंह भौरा :**
श्री डी० के० पण्डा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से बाजार में मूल्यों की घटबढ़ को सही स्थिति का पता नहीं चलता है जैसा कि आल इंडिया बैंक एम्पलाईज एसोसिएशन की सैन्ट्रल कमेटी तथा नेशनल 'एपेक्स बोडी' ने बताया है;

(ख) क्या उसी बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन ने मांग की है कि इस संबंध में तुरन्त जांच की जाए; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

अभिकथित दोषपूर्ण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सम्बन्धी सवाल अभ्यावेदन अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ, भारतीय बैंक कर्मचारी महासंघ और बैंक कर्मचारी संघों के कई यूनियनों से प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों में लगाए गए मुख्य आरोप निम्नानुसार हैं :—

(1) पदार्थों के मूल्यों को गलत रिकार्ड करना।

(2) थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संचलन की असंगति, और

(3) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का गलत संकलन ।

2. औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समरूप और वैज्ञानिक लाइनों पर संकलित किए जा रहे हैं । जहां तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संबंध है यह श्रमिकों के वास्तविक उपभोग नमूने पर आधारित है जैसा कि ये परिवार बजट जांचों के माध्यम से अभिनिश्चित किए गए हैं और उपभोक्ता टोकरी में सम्मिलित सेवाओं तथा सामानों के खुदरा मूल्य में परिवर्तनों को मापते हैं । ये सूचकांक उपभोक्ता टोकरी में सम्मिलित सेवाओं और सामानों के खुदरा मूल्यों में प्रचलित प्रवृत्तियों तथा दिए गए समय पर व्यय नमूने की वास्तविकता को प्रकट करता है । स्थिति विभिन्न बैंक कर्मचारी ऐसोसिएशनों तथा संघों को स्पष्ट कर दी गई है जिन्होंने अभ्यावेदन भेजे हैं ।

Shri Bhan Singh Bhaura: It has been mentioned in the statement that the Bank Employees Association and the Indian Bank Employees Unions have levelled some allegations. May I know whether these allegations have been enquired into Are Government aware of the complaint regarding incorrect recording of prices of commodities and of the cases detected in Calcutta and Bombay where data was collected by showing low prices on the price tags? Have Government made any enquiry in this regard?

Shri Balgovind Verma: We have received a memorandum alleging irregularities in the price index. We have checked it after we received the memorandum. As far as the fall in prices is concerned, you are aware that prices are falling continuously. Our price collectors visit markets regularly and collect data. As soon as we got the memorandum, we checked them and we talked to the Banking department and told them that there does not seem to be any truth in whatever they have said and perhaps they were satisfied with this.

Shri Bhan Singh Bhaura: What are the commodities on the basis of which the consumption basket is determined and whether you are aware that the prices fixed on the tags show the price of a dhoti Rs. 6 and that of a saree Rs. 10. These are prices of the cloth which prevailed 50 years ago. Does the honourable minister know that such type of things are happening and their inspectors etc. are indulging in such type of activities?

Shri Balgovind Verma: Generally our price collectors are working in the places where they have been selected. We have selected 50 markets where these workers go and purchase their things. If anything happens, they should tell you and us....

Mr. Speaker: You please reply to the two questions which they have asked. You please tell them the commodities included in the basket and the names of the commodities for which price data is collected and whether the data is collected on the basis of old prices or on the basis of day-to-day prices.

Shri Balgovind Verma: We collect data on the basis of day-to-day prices and not on the basis of old prices and as I have told you about the method and the places from where data is collected. Data is collected on the basis of day-to-day prices.

Mr. Speaker: If you have names of some items, please give names of some of them.

Shri Balgovind Verma: It is house rent, education, recreation, amusement, medical care, personal service....

Mr. Speaker: You are talking about services and they want to know the names of the items. You please tell the names of some items....

Shri Balgovind Verma: As far as food is concerned, we collected the prices of cereals, pulses, oils and fats, meat, fish, eggs etc. and these include the prices of paan, supari, etc. also.

श्री डी० के० पंडा : अब एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। जनवरी और मार्च के बीच उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सम्बन्धी बढ़े हुए मूल्यों के कारण कर्मचारियों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। हर कर्मचारी को प्रति माह 20 रुपये औसत के हिसाब से हानि हुई है। समूचे श्रमिक वर्ग ने तथ्य तथा आंकड़े प्रस्तुत किये हैं विशेषतया इंडियन लेबर जरनल ने जनवरी से मार्च 1976 तक की सूचना देते हुए कहा है कि आवश्यक वस्तुओं के समूह में 60 प्रतिशत ही वस्तुएं हैं। मूंगफली के तेल के अतिरिक्त शेष सभी वस्तुएं जैसे गेहूं, अरहर दाल, चने की दाल, गरी का तेल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि के मूल्यों में वृद्धि हो गई है। तालिका देखने से पता चलता है कि मूल्यों में तेज गति से वृद्धि हो रही है। यह बताया गया था कि दिसम्बर, 1975 में मूल्य सूचकांक 335 से कम हो कर 323 रह गया है। मैं अतीत के अनुभव से सन्दर्भ में पूछना चाहता हूं, यदि अतीत का अनुभव कोई मार्ग दर्शन कर सकता है। क्या गुजरात, बम्बई तथा पश्चिम बंगाल में अनेक उच्च-स्तरीय समितियों का गठन किया गया है? क्या सरकार इसी प्रकार की उच्च-स्तरीय समितियां अन्य स्थानों पर भी गठित कर रही है ताकि जिन लोगों को मूल्य डाटा इकट्ठा करने का कार्य सौंपा गया है उनके द्वारा की जा रही गड़बड़ी को यह उच्च-स्तरीय समितियां रोकें?

यह विदित हुआ है और इस बात को स्वीकार भी किया गया है कि जिन व्यक्तियों का मूल्य सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठा करने का कार्य सौंपा गया था उन्होंने नियोजक के साथ सांठगांठ करके श्रमिक वर्ग के हितों के विरुद्ध कार्य किया है।

Shri Balgovind Verma: I do not know that the persons entrusted with the work of collecting the statistics are hand-in-glove with those people. We have provided checks on them also such as price supervisors. They check the prices collected by the price collectors. In addition to the price supervisors, regional officers have been appointed who have been posted in Calcutta, Madras, Bombay, Kanpur, and Ahmedabad. They also check them. After this when this is received in the labour bureau, there also we have got capable persons and they are also in the know of things and wherever there is any doubt they collect the information again.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

भारत और नेपाल के बीच संबंध

*222. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच संबंध पहले से बेहतर हो गये हैं;

(ख) क्या नेपाल की प्रतिष्ठापूर्ण करनाली परियोजना के बारे में विचार विमर्श संतोषजनक ढंग से चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां। हाल ही में विभिन्न स्तरों पर यात्राओं के आदान-प्रदान से दोनों देशों के बीच आपसी समझ बूझ सुदृढ़ हुई है।

(ख) जी हां।

(ग) परियोजना की रिपोर्ट तैयार करने के लिए नेपाल की महामहिम सरकार ने जो परामर्शदाता नियुक्त कर रखे हैं भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ उन्हीं के कार्य से सम्बद्ध हैं। भारतीय अधिकारी और इंजीनियर भी परियोजना से संबद्ध मामलों के बारे में नेपाल में अपने समकक्ष अधिकारियों से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

Setting up an Ayurvedic Research Institute in Jaipur

*230. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether an Ayurvedic Research Institute has been set up in Jaipur (Rajasthan) recently; and

(b) if so, the outlines thereof?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Ch. Ram Sewak): (a) Yes Sir.

(b) The Government of India have established a National Institute of Ayurveda at Jaipur with a view to provide high standard facilities for under-graduate, post-graduate and research studies in Ayurveda and generally to promote the growth and development of Ayurveda. The Institute has been registered under the Rajasthan Societies Registration Act, 1958. It is an autonomous Institute and is administered by a Governing Body under the Chairmanship of Union Minister for Health and Family Planning.

The Government of Rajasthan have agreed to transfer to the National Institute of Ayurveda, the Government Ayurvedic College Jaipur with its hospital and the Surajmal Bombaywala Ayurvedic Hospital, Jaipur. The State Government will also make available assistance to the Institute at the level at which they were incurring expenditure at present plus normal development expenditure during the 5th Plan and also land required for the development of herb garden and for providing residential accommodation for the students and the staff. The remaining expenditure of the Institute will be borne by the Central Government.

प्रयोक्ता ट्रंक डायलिंग की तकनीकी अकुशलता और बिल बनाने की प्रणाली के बारे में शिकायतें

*231. **श्री वर्के जार्ज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रयोक्ता ट्रंक डायलिंग की तकनीकी कुशलता के निम्न स्तर पर होने और बिल बनाने की प्रणाली के बारे में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा के कार्यकरण और अधिक रकम के बिल बनाए जाने के बारे में कुछ शिकायतें आई हैं और उपचारात्मक कारवाई के लिए उन पर गौर कर लिया गया है।

उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग के कार्यकरण पर कई कारणों से असर पड़ता है, जिनमें उपस्कर, यातायात आदि शामिल हैं। तथापि, कार्यकरण पर लगातार निगरानी रखी जाती है और सेवा सुधारने के लिए निरंतर प्रयत्न किए जाते हैं। इस दिशा में उठाए गए मुख्य कदमों में कुछ कदम निम्नलिखित हैं :

(i) संकुल मार्ग पर जहां तक संभव होता है सर्किटों (चैनलों) की संख्या जल्दी ही बढ़ाई जा रही हैं।

(ii) दूरसंचार अनुसंधान केन्द्रों ने सर्किट संबंधी कई सुधार विकसित किए हैं। टेलीफोन पर बातचीत के दौरान कालें कट जाना, आवाज न आना आदि जैसी सेवा की खामियों पर काबू पाने के लिए ये सुधार शामिल किए जा रहे हैं।

(iii) विशेषज्ञों की एक विभागीय समिति ने उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग के कार्यकरण में खराबी के कारणों की जांच की है। इस समिति ने जुलाई 1976 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने अल्पकालीन और दीर्घकालीन कई उपाय सुझाए हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है।

(iv) सभी मीटरों की हर पखवाड़े की रीडिंग ली जाती है और कालों की संख्या में एकाएक वृद्धि दिखाई देने पर उसकी तुरन्त छानबीन की जाती है। अधिक रकम के बिल बनाए जाने के संबंध में आई शिकायतों की तुरन्त जांच की जाती है और यदि किसी गलती या उपस्कर में कोई तकनीकी खराबी आ जाने के कारण बिल में कोई गलतियां पाई जाती हैं तो ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं को छूट दे दी जाती है।

नेपाल में विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता

*237. **श्री एन० ई० होरो** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेपाल में भारतीय वित्तीय सहायता से कौन-कौन से विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : नेपाल के सर्वांगीण आर्थिक विकास में सहयोग देने के उद्देश्य से भारत 1951 से ही नेपाल को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता दे रहा है। इस समय जिन मुख्य विकास कार्यक्रमों के लिए सहायता दी जा रही है, वे सड़कों एवं पुलों के निर्माण से, दूरभाष केन्द्रों और दूर संचार सुविधाओं की स्थापना से, लघु उद्योग, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित हैं।

डाक तथा दूरसंचार सुविधाओं के लिए राज्यों को दी गई सहायता

*238. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने घोषित पिछड़े राज्यों तथा जिलों के लिए उनको पिछड़ी घोषित किये जाने के तुरन्त पश्चात चालू वित्तीय वर्ष में, संचार सुविधाओं दोनों डाक तथा दूरसंचार, के

विकास हेतु योजना तैयार की है और प्राथमिकता के आधार पर उनकी धनराशि उपलब्ध कराई है ?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है; और

(ग) वर्ष 1976-77 में इन पिछड़े क्षेत्रों के लिए राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख).

दूरसंचार सुविधायें

चालू वर्ष के दौरान देश में 800 सार्वजनिक टेलीफोन घर और 1100 तारघर खोलने का प्रस्ताव है और इनके सर्किलवार लक्ष्य निर्धारित कर दिए गये हैं। पूरे सर्किल में; जिसमें सर्किल के पिछड़े इलाके भी शामिल हैं, दूरसंचार के विकास के लिए प्रत्येक सर्किल के लिये वित्तीय आवंटन भी किये गये हैं। दूरसंचार सुविधाएं आमतौर पर तभी दी जाती हैं, जबकि उनमें फायदा दिखाई देता है, लेकिन कुछ श्रेणियों के स्थानों में सार्वजनिक टेलोफोन घर और तारघर खोलने में उदार नीति अपनाई जाती है तथा घाटा उठाकर भी वहां ये सुविधाएं दे दी जाती हैं। कटेगरी स्टेशनों के लिए नीति के ब्यौरे सभा पटल पर संलग्न अनुबंध में रखे जाते हैं। जबकि सामान्य इलाकों के मामले में मानदंड यह है कि वार्षिक व्यय के कम से कम 25 प्रतिशत के बराबर आय होनी चाहिये, पिछड़े इलाकों और पहाड़ी इलाकों के मामले में ढील देकर इसे क्रमश: 15 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

डाक-सुविधायें

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 5 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से 7500 डाकघर खोलने की व्यवस्था है। अत्यंत पिछड़े इलाकों में डाकघर खोलने के मामलों को प्राथमिकता दी गई है। इस उद्देश्य के लिए, पिछड़े इलाकों में डाकघर खोलने के लिये मानदंडों में निम्नलिखित ढील दी गई है।

(i) डाकघर खोलने के लिए घाटे की स्वीकार्य सीमा 1000 रुपये वार्षिक रखी गई है जबकि सामान्य देहाती इलाकों के 2000 या उससे अधिक आबादी वाले स्थानों में यह सीमा 750 रुपये वार्षिक है और 2000 से कम आबादी वाले स्थानों में 500 रुपये वार्षिक रखी गई है। अपवादी मामलों में घाटे की स्वीकार्य सीमा 2500 रुपये तक बढ़ाने की अनुमति दी जाती है।

(ii) पिछड़े इलाकों में न्यूनतम आय लागत की 15 प्रतिशत और पहाड़ी इलाकों में 10 प्रतिशत कर दी गई है जबकि सामान्य देहाती इलाकों में न्यूनतम आय लागत की 25 प्रतिशत निर्धारित है।

(iii) पिछड़े इलाकों में आबादी के बारे में हुई शर्तें लागू नहीं की गई हैं।

(ग) दूर संचार

उपर्युक्त रियायतों के अलावा डाक-तार विभाग कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहीं देता है।

डाक

1976-77 में विभिन्न डाक सर्किलों के लिए 12 लाख रुपये नियत किये गए हैं। पिछड़े इलाकों के लिए अलग से कोई आवंटन नहीं किया गया है।

लोक-सभा में श्री गिरिधर गोमांगो द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 238 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में 26–8–76 को सभा-पटल पर रखा जाने वाला अनुबंध ।

अनुबंध

विषय : पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान घाटे के आधार पर तारघर (संयुक्त डाक-तारघर) और सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने के लिए संशोधित नीति ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान घाटे के आधार पर सार्वजनिक टेलीफोन घर/संयुक्त डाक-तारघर खोलने की नीति तारीख 14-1-72 और 9–6–72 के पत्र संख्या 53–2/71–टी०पी०एल० में घोषित की गई थी और तारीख 31-8-72 के पत्र संख्या 53–2/71 टी० पी० एल० में तथा 31–8–72 के समसंख्यक पत्र में संशोधित की गई थी। इस नीति को फिर से समीक्षा की गई है। डाक-तार बोर्ड पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस नीति में निम्नलिखित संशोधन करता है :

i. तार और टेलीफोन की सुविधाएं विभिन्न श्रेणियों के स्थानों को, जिनका उल्लेख नीचे कर दिया गया है, इस शर्त पर उत्तरोत्तर दी जाएंगी कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अर्थात् 1–4–74 से 31–3–1979 तक ये दोनों सुविधाएं देने में घाटे की सम्पूर्ण सीमा 80 लाख रुपये से अधिक न हो ।

ii. तारघर (संयुक्त डाक-तार घर)

नीचे सूची में 1, 2 और 3 पर दिए गए कैटेगरी स्थानों में किसी भी सीमा तक घाटा उठा कर और 3 और 4 पर दिए गए स्थानों में सामान्य क्षेत्रों में हर मामले में 2000 रुपये वार्षिक और पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में प्रत्येक मामले में 5000 रुपये वार्षिक का घाटा उठा कर संयुक्त डाक तारघर खोले जा सकते हैं। अनुमानित आय उसके वार्षिक आवर्ती व्यय की कम से कम 25 प्रतिशत अवश्य होगी। पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में आय का यह अनुपात क्रमशः 15 प्रतिशत और 10 प्रतिशत होगी ।

1. उप मंडल, तहसील और उप तहसील मुख्यालय और तत्संबंधी स्थान ।
2. ऐसे कस्बे और गांव, जहां थाना हो और उसका इंचार्ज अधिकारी पुलिस उप निरीक्षक से कम स्तर का न हो ।
3. खंड मुख्यालय
4. दूरवर्ती स्थान अर्थात् वे स्थान जिनसे 20 किलोमीटर (अरीय दूरी) घेरे के भीतर कोई तारघर न हो । 200 तारघर खोले जाने हैं ।
5. (क) सामान्य क्षेत्रों में 5000 से अधिक जनसंख्या वाले स्थान तथा पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में 2500 से अधिक जनसंख्या वाले स्थान । जनसंख्या के आंकड़े पर विचार

करने के लिए केवल गांव या कस्बा विशेष की ही जनसंख्या गणना में ली जाय। गांवों या कस्बों के समूह की जनसंख्या गणना में न ली जाय।

(ख) पर्यटन केन्द्र जिनमें तीर्थ स्थान भी शामिल हैं और

(ग) कृषि, सिंचाई और बिजली परियोजना स्थल और टाउनशिप।

टिप्पणी : (i) 5(ख) और 5(ग) दोनों को मिलाकर खोले जाने वाले संयुक्त डाकतार घरों की संख्या 100 तक सीमित रहेगी।

टिप्पणी : (ii) जैसी कि डाक-तार नियम पुस्तक खंड ix के पैरा 142-ग में व्यवस्था की गई है यदि प्रस्तावित संयुक्त डाक-तारघर से 8 किलोमीटर के घेरे के अन्तर्गत कोई दूसरा तारघर काम कर रहा हो तो घाटा उठाकर ऐसा संयुक्त डाकतार घर न खोला जाय।

iii. सार्वजनिक टेलीफोन घर

स्थानों की निम्नलिखित श्रेणियों में घाटा उठाकर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जा सकते हैं बशर्ते कि उसकी अनुमानित आय उसके वार्षिक आवर्ती व्यय की कम से कम 25 प्रतिशत अवश्य हो। पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में यह प्रतिशत क्रमशः कम से कम 15 और 10 होगी।

1. उप मंडल मुख्यालय कस्बे।
2. तहसील और तत्संबंधी मुख्यालय कस्बे।
3. उप तहसील मुख्यालय कस्बे।
4. खंड मुख्यालय।
5. सामान्य क्षेत्रों में वे स्थान जहां की जनसंख्या 10,000 से अधिक हो और पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में वे स्थान जहां की जनसंख्या 5000 से अधिक हो।
6. मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंज से 12.5 किलोमीटर (अरीय दूरी) के भीतर स्थित सामान्य क्षेत्रों के वे स्थान जहां की आबादी 5000 से अधिक हो और पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों के वे स्थान जहां की आबादी 2500 से अधिक हो। जनसंख्या के आंकड़े पर विचार करते समय केवल गांव या कस्बा विशेष की ही आबादी गणना में ली जाय। गांवों या कस्बों के समूह की जनसंख्या गणना में न ली जाय।
7. दूर-दराज बस्तियों वाले स्थान—ऐसा स्थान वह होगा जहां से 40 किलोमीटर (अरीय दूरी) के भीतर कोई टेलीफोन एक्सचेंज न हो। ऐसे 200 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जाने हैं।
8. (क) पर्यटन केन्द्र जिनमें तीर्थस्थान भी शामिल हैं और

(ख) कृषि, सिंचाई और बिजली परियोजना स्थल और टाउनशिप।

टिप्पणी 1 : श्रेणी 8(क) और 8(ख) के अन्तर्गत दोनों को मिलाकर खोले जाने वाले सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या 200 तक सीमित रहेगी।

2. घाटे के आधार पर सार्वजनिक टेलीफोन घर और तार घर (संयुक्त डाक-तार घर) खोलने के लिए मंजूर किए गए प्रस्तावों के त्रैमासिक विवरण पत्र भेजने से संबंधित हिदायतों का जो महानिदेशालय के तारीख 21-12-62 के पत्र संख्या 12-4/61-टी०पी०एल० में निहित है, आगे भी पालन किया जाय और इस कार्यालय को नियमित रूप से और समय से विवरणियां भेजी जायें।

3. घाटे के आधार पर संयुक्त डाक-तार घर और सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए प्रत्येक मामले में प्रस्ताव मंजूर करने का वित्तीय अधिकार क्रमशः 3000 रुपये और 5000 रुपये होगा बशर्ते कि निर्धारित शर्तें पूरी होती हों।

4. ये आदेश डाक-तार वित्त अनौपचारिक संख्या 1370-एफ०ए० 1-75 तारीख 21-2-75 के अनुसार आन्तरिक वित्त के परामर्श से जारी किये जाते हैं।

रत्नगिरि एल्यूमिनियम परियोजना

*239. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल 1974 में रत्नगिरि में स्थापना हेतु 78 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत वाली एक एल्युमिनियम परियोजना को स्वीकृति दी गई थी;

(ख) क्या 50 करोड़ रुपये या इसके लगभग राशि पांचवीं योजना अवधि के लिए मंजूर की गई थी;

(ग) इस परियोजना पर अब तक कितनी राशि खर्च हुई है और कितनी राशि वापस कर दी गई है; और

(घ) क्या परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण परियोजना की लागत में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और यदि हां, तो लागत का नया अनुमान क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) जी, हां, 78 करोड़ रुपये का अनुमान 1973 के मूल्यों पर आधारित था।

(ख) और (ग) इस परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपये का योजना-प्रावधान पांचवीं योजना के मसौदे में शामिल है और शेष राशि को 6वीं योजना के लिए रखा गया है। भूमि अधिग्रहण व्यापक परियोजना रिपोर्ट बनाने के लागत व्यय और केन्द्रीय स्टाफ को वेतन आदि के लिए प्रारम्भिक धन राशि की व्यवस्था की गई थी और 31-3-76 तक 1.69 करोड़ रुपये की कुल राशि खर्च की गई है; इस प्रकार ऐसी किसी राशि को वापस देने का प्रश्न नहीं उठता था। किन्तु, पांचवीं योजना मसौदे के तैयार होने के बाद संसाधनों की सामान्य बाधाओं के कारण इन जैसी अनेक परियोजनाओं की फिर से जांच करने के लिए बाध्य होना पड़ा; यह परियोजना भी उन्हीं में से एक थी जिस पर अभी निर्माण कार्य की भी पर्याप्त शुरूआत नहीं हो पायी थी और पूरा होने तक उस पर खर्च होने वाली वर्षवार राशि का पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सका था।

(घ) इस परियोजना की अनुमानित लागत अब 1976 के मूल्यों के आधार पर 105 करोड़ रुपये आंकी गई है। ऐसी परियोजनाओं के मामले में, जिन पर पहले धन राशि खर्च न की गई हो, इस व्यय-वृद्धि से नहीं बचा जा सकता।

'पत्रकारों को अन्तरिम सहायता'

*240. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी पत्रकारों संबन्धी मजूरी बोर्ड ने अन्तरिम सहायता देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सिफारिशों को शीघ्र प्राप्त कराने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने फरवरी, 1976 में मजदूरी बोर्ड से यह अनुरोध किया कि वे श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में मजदूरियों को अंतरिम दरों के बारे में अपने विचार पेश करें। बोर्ड इस मामले में सक्रिय रूप से जुटा हुआ है और आशा है कि इस विषय पर उनके विचार किसी समय सितम्बर, 1976 में प्राप्त हो जाएंगे।

Facilities for treatment of mental diseases

***241. Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether adequate facilities are available for the treatment of mental diseases in the country; and

(b) if so, the allocations made for the purpose under the Fifth Five Year Plan?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Ch. Ram Sewak): (a) and (b) The allocation made by the Government of India for the treatment of mental diseases in the country during the Fifth Five Year Plan is Rs. 65.54 lakhs. This provision is in addition to the amount spent by the State Governments from their annual budgets.

Expenditure incurred on expansion on telephone and posts and telegraph services in certain districts of Madhya Pradesh

†1601. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2902 on the 29th April, 1976 regarding expenditure incurred on expansion on telephone and posts and telegraph services in certain districts of Madhya Pradesh and state:

(a) whether the information asked for therein has since been collected;

(b) if so, the outlines thereof; and

(c) if not, the time likely to be taken to collect the information?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma): (a) Yes, Sir. The information was collected and sent to the Department of Parliamentary Affairs on 4-6-1976 for being laid on the table of the House.

(b) A statement giving the information is attached.

(c) Does not arise.

Statement

Sl. No. & date	Subject	Promise made	When and how fulfilled
Unstarred Question No. 2902 By Shri Hukam Chand Kachwai due for reply on 29-4-76.	Asking for (a) the expenditure incurred on the expansion of telephones and posts and telegraphs services in Raisen, Bhopal and Sehore Districts of Madhya Pradesh from March, 1972 to March, 1976; and (b) the expenditure incurred on the construction of buildings of the Department in each year.	(a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha.	(a) The total expenditure incurred on expansion of Posts & Telegraphs including Telephone services in the three Districts is as under :— (see table (a) below) (b) The expenditure on the construction of buildings, out of the total expenditure in (a) above, is as under :— (see table (b) below)

(a)

District	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	Total
Raisen	2,84,000	57,940	47,969	1,35,427	5,25,336
Bhopal	23,87,535	15,29,993	8,10,178	33,50,042	80,77,748
Sehore	1,42,742	1,01,769	3,21,934	8,13,771	13,80,216

(b)

District	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	
Raisen	..	..	..	..	..
Bhopal	84,000	1,56,581	1,62,200	1,38,308	5,41,089
Sehore	..	..	10,000	1,81,167	1,91,167

Allocation of funds for communications and postal services for Madhya Pradesh

†1602. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the amount allocated for telecommunications and postal services for Madhya Pradesh in 1975-76;

(b) the amount out of these allocations spent on the districts in Madhya Pradesh declared backward;

(c) the criteria adopted by the Department in regard to development of backward districts in the past and the current year; and

(d) whether the Ministry have issued any guidelines and instructions to Madhya Pradesh circle in this regard according to priority in the allocations for these areas with a view to remove imbalances in the State?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma): (a) Amount allocated for development during 1975-76 to MP Circle is as follows:—

Postal Services—Rs. 14.47 lakhs.
Telecommunications service—Rs. 482 lakhs.

(b) Amount spent on development of backward districts is:—

Postal services—Rs. 1.47 lakhs.
Telecommunications services—Rs. 252 lakhs.

(c) and (d) postal:

New post offices in very backward areas can be opened on relaxed norms, namely:—

(1) At a permissible limit of loss of Rs. 1,000 per annum (within the powers of Heads of Circles) and Rs. 2500 per annum (within the powers of Director General Posts and Telegraphs) as against a maximum of Rs. 750 per annum for normal rural areas in cases where the population is more than 2000 persons and Rs. 500 per annum in cases where the population is less than 2000 persons.

(2) Without any restriction regarding population.

(3) At a minimum income of 15 per cent of the cost as against 25 per cent of the cost for normal areas.

The department has declared a large number of areas in M.P. Circle as very backward areas for purpose of extension of postal facilities and more and more post offices are being opened. Also more villages are being covered by daily delivery in backward areas of Madhya Pradesh.

Telecommunications:

Telecommunications services are normally provided according to the needs, provided the proposals are remunerative. These services include installation of new telephone exchanges, expansion of existing exchanges, provision/expansion of trunk exchanges, construction of new lines/wires, installation of carrier systems, provision of telegraph circuits/offices etc. The actual provision, however, is limited by the material and financial resources. In order to extend telecommunication facilities in rural areas in the country, a liberal policy is being followed for providing Public Call Offices and Telegraph Offices in spite of some loss, taking into consideration the various factors like importance of the place, as a district/Sub

Divisional/Tehsil/Block Headquarters, remoteness from existing telephone exchanges, the population of the place, the local importance of the place such as a tourist/pilgrim centre, power/irrigation project site, etc. While a minimum anticipated revenue equal to 25 per cent of annual recurring expenditure is the condition for sanctioning telephone/CO facilities in the above categories of stations in ordinary areas, it is 15 per cent of the annual recurring expenditure for backward areas and 10 per cent for hilly areas.

India setting up steel plants in foreign countries

1603. Shri G. P. Yadav: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Government have under their consideration a proposal for setting up steel plants in foreign countries; and

(b) if so, the names of such countries and the amount likely to be invested in each of them?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) and (b). At present, there is no proposal under consideration of the Government, for setting up integrated steel plants in foreign countries. However, efforts are being made for undertaking consultancy, designing and engineering jobs in connection with setting up integrated steel plants/mini steel plant—rolling mill complex—in a number of foreign countries.

Issue of postal stamps in the name of Chandra Shekhar Azad and Shahid Bhagat Singh

†**1604. Shri Bhagirath Bhanwar**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state whether Government are considering to issue a special postal stamps in memory of Chandra Shekhar Azad and Shahid Bhagat Singh?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma): The proposal for the issue of a commemorative stamp in honour of Shri Chandra Shekhar Azad will be placed before the next meeting of the Philatelic Advisory Committee for its consideration. A stamp on Shahid Bhagat Singh was already brought out on his 61st birth anniversary on the 19th October, 1968, in the denomination of 20 paise.

दिल्ली परिवहन निगम की बसों की आवश्यकता

1605. **श्री एन० आर० बेकारिया :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में नई बसाई गई बस्तियों के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बसों की आवश्यकता का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो महत्वपूर्ण व्यवसाय केन्द्रों से इन क्षेत्रों को जोड़ने के लिए कितनी बसों की आवश्यकता है, और

(ग) इस समय किस सीमा तक यह मांग पूरी हो रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां । इस संबंध में दिल्ली परिवहन निगम ने एक छुटपुट सर्वेक्षण किया है ।

(ख) यह अनुमान लगाया गया है कि इस प्रयोजन के लिए लगभग 400 बसों की आवश्यकता है ।

(ग) पुनर्निवास कालोनियों को जाने वाले मार्गों पर 178 बसें पहले ही लगाई गई हैं । निगम शेष बसों को अपने परिचालनात्मक नियंत्रण के अधीन चलाये जाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित कर रहा है ।

एल्यूमीनियम की मांग

1606. चौधरी राम प्रकाश : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में एल्युमिनियम की कितनी मांग थी; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान एल्युमिनियम का कितनी मात्रा में आयात किया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) (क) और (ख): विगत दो वर्षों अर्थात् 1974-75 और 1975-76 में देश में एलयुमिनियम की कुल घरेलू मांग (खरीद) तथा आयातित एल्युमिनियम की मात्रा नीचे दी गई है :

(टनों में)

वर्ष	मांग/खरीद (लगभग)	आयात
1974-75	128.000	148
1975-76	159.000	4,841

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम

1607. श्री सी० जनार्दनन : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नगर क्षेत्र की जनसंख्या के आकार को बढ़ाकर वर्तमान बीस हजार से एक लाख अथवा इससे अधिक करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करने के लिए केरल राज्य सरकार की मांग के बारे में कोई अन्तिम निर्णय लिया है, और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) अब यह निश्चय किया गया है कि केरल सरकार के सुझाव के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 में कोई संशोधन न किया जाए ।

इस्पात के निर्यात-लक्ष्य

1608. श्री एम० एस० पुरती : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975–76 के दौरान इस्पात के निर्यात लक्ष्य क्या थे; और

(ख) गत वर्ष की तुलना में इस्पात का निर्यात करने में क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क). वर्ष 1975–76 में लोहे और इस्पात का निर्यात लक्ष्य 11.24 लाख टन था।

(ख) वर्ष 1975–76 में 797,930 टन लोहे और इस्पात का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 110.09 करोड़ रुपए था। अप्रैल—जुलाई, 1976 की अवधि में 861,710 टन लोहा और इस्पात निर्यात किया गया जिसका मूल्य 107.19 करोड़ रुपए था। वर्ष 1976–77 में लोहे और इस्पात के निर्यात का लक्ष्य 25 लाख टन है।

नए स्वर्ण खनन क्षेत्र

1609. श्री वसन्त साठे : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल में किये गये सर्वेक्षण से देश में नये स्वर्ण खनन क्षेत्रों की संभावनाओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) नई स्वर्ण खानों का पता लगाने और उनका विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) व (ख). हाल ही में की गई स्वण की खोज से, कोलार स्वर्ण क्षेत्र की मैसूर खान के मेटागर्ट के वर्टिकल शैफ्ट क्षेत्र, कर्नाटक में पूर्वी पेट्रायस्वामी और मणिगट्टा विस्तार क्षेत्र तथा आंध्र प्रदेश में कोलार स्वर्ण क्षेत्र के दक्षिण विस्तार की और मालप्पाकोंडा और बिसनाथम में स्वर्ण खनिजीकरण का पता चला है।

(ग) भारत गोल्ड माइन्स लि० ने कुछ क्षेत्रों में व्यापक खोज तथा विकास का काम हाथ में लिया है तथा स्वर्ण पाए जाने वाले इलाकों को भली प्रकार पुष्टि हो जाने पर ही वहां खुदाई का काम शुरू किया जा सकेगा।

तमिलनाडु में पुरुषों और स्त्रियों को समान मजदूरी का भुगतान

1610. श्री मुरासोली मारन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के सूखाग्रस्त क्षेत्र राधापूरम् के निकट अन्तःस्राव जलाशय स्थल पर पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन नहीं दिए जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य कृषि विभाग द्वारा उजरती काम ठेकेदारों के माध्यम से तिरुनेलवेली जिले में राधापुरम् के निकट एक अन्त:स्राव जलाशय का निर्माण किया जा रहा है ;

पुरुष और महिलाएं दोनों नियोजित हैं। पुरुषों को कड़ा कार्य, जैसे गोदालों और कुदाली से भूमि की खुदाई, में लगाया गया है और उनको इसके लिये अधिक मजूरी दी जाती है। महिलाएं हल्का कार्य, जैसे टोकरी में मिट्टी को जलाशय के बांध तक ले जाना, करती हैं। चूंकि कार्य का स्वरूप भिन्न है, देय मजूरी भी भिन्न है। इस तथ्य पर ध्यान न देते हुए कि कामगर पुरुष है या महिला है, मिट्टी को हटाने के लिए, अदायगी हटाई गई मिट्टी की मात्रा के आधार पर की जाती है।

Bailadila Pelletisation Plant

1611. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the present position of Pelletisation Plant being set up in **Bailadila** in Bastar District of Madhya Pradesh;

(b) whether the report of Engineers India has been received in this regard;

(c) whether Government have prepared a feasibility report in this regard; and

(d) if so, the action taken so far in regard thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) and (b). The Metallurgical and Engineering Consultants (India) Limited have studied the broad parameters of the project for setting up a pelletisation plant to utilise the iron ore fines and blue-dust from Bailadila. They have recommended a programme of detailed testing of the ore and further studies on the techno-economic feasibility of transportation by slurry pipeline. The report of a preliminary study on slurry pipeline transportation system from Bailadila to Visakhapatnam was received from Engineers (India) Limited in 1972. A detailed techno-economic feasibility study for slurry transporatation has yet to be undertaken:

(c) and (d). Not much progress could be made in this regard due to non-availability of requisite financial resources. However, in view of certain favourable developments recently, the financial implications of carrying out the necessary studies with a view to preparation of a techno-economic feasibility report on the project are under consideration.

गुजरात के राजमार्गों का दर्जा बढ़ाया जाना

1612. **श्री फतहसिंहराव गायकवाड :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने राजमार्गों का दर्जा बढ़ाकर राष्ट्रीय राजमार्ग करने का विचार है;

(ख) इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) 20 वर्षीय योजना में प्रस्तावित लक्ष्य पूरे करने के लिए गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था के विस्तार के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). संभवत: माननीय सदस्य गुजरात में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नए मार्ग शामिल करने के लिए की जाने

वाली प्रस्तावित कार्यवाही का उल्लेख कर रहे हैं ताकि भारत की सड़क विकास योजना (1961-81) के बारे में मुख्य इंजीनियरों की रिपोर्ट में प्रस्तावित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। परन्तु उस रिपोर्ट में प्रस्तावित योजना केन्द्रीय और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ संसाधनो की उपलब्धि पर निर्भर करते हुए विस्तृत कार्यक्रम बनाने के काम में एक बहुत बड़ी मार्गदर्शक सिद्ध होगी। गुजरात में 31 मार्च, 1969 को राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 1082 कि० मी० थी। चौथी योजना में इसे बढ़ाकर 1352 कि० मी० कर दिया गया। वित्तीय कठिनाइयों के कारण, इस समय भारत सरकार किसी भी राज्य में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नए मार्ग शामिल करने से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने में असमर्थ है।

बरौनी उर्वरक निगम के निकट डाक-तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ते की मंजूरी

1613. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग ने बिहार में बरौनी उर्वरक निगम के स्थल से 20 किलोमीटर के दायरे में काम करने वाले अपने कर्मचारियों को वर्ष 1970 में परियोजना भत्ते की मंजूरी दी थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या उक्त सुविधा बाद में समाप्त कर दी गयी थी ;

(घ) क्या वित्त मंत्रालय ने उस क्षेत्र में आय कर विभाग में काम कर रहे अपने कर्मचारियों को परियोजना भत्ते की मंजूरी दी है और बरौनी शाखा के ए-आई-आर-एम-एस तथा एम-एम-एस के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों ने परियोजना भत्ता फिर से दिए जाने के लिए अभ्यावेदन दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) बेगुसराय, बरौनी, हाथीदाह, मोकामा और फैक्ट्री स्थल से 20 किलोमीटर के दायरे में स्थित अन्य स्थानो में डाक-तार कार्यालयों में काम करने वाले डाक-तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता मंजूर किया गया था। यह भत्ता उन्हीं दरों और उन्हीं शर्तों पर मंजूर किया गया था जो फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ़ इंडिया लि० बरौनी के परियोजना कर्मचारियों पर लागू होती है।

(ग) जी, हां। उर्वरक नगर डाकघर के मामले को छोड़कर।

(घ) जी हां।

(ङ) वित्त मंत्रालय की हिदायतों के अनुसार आयकर विभाग के कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने के प्रश्न पर प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा पुनर्विचार किया जाना था। इन इलाकों में आयकर विभाग के कर्मचारी परियोजना भत्ता ठीक ढंग से पा रहे हैं या नहीं इस प्रश्न पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है।

केन्द्रीय मंत्रियों के विदेशों में दौरे

1614. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 के दौरान कितने केन्द्रीय मंत्रियो ने विदेशों का दौरा किया था ; और

(ख) उनकी यात्रा का मुख्य प्रयोजन क्या था ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

भंडारी मिल, इंदौर का कार्यकरण

1615. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भंडारी मिल (होप टेक्सटाइल मिल लिमिटेड) इन्दौर के कार्यकरण की जांच करने के लिए कोई समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) कपड़ा उद्योग (निजी क्षेत्र) संबंधी राष्ट्रीय औद्योगिक समिति, जो राष्ट्रीय शीर्ष निकाय द्वारा स्थापित किया गया एक बिलकुल द्विपक्षीय निकाय है, ने 17 जून, 1976 को हुई अपनी बैठक में होप टैक्सटाइल मिल, इन्दौर के मामले को स्थायी विशेषज्ञ समिति को इस के कार्यों की जांच करने, इसकी बन्दयों को रोकने की संभावनाओ की खोज करने और कपड़ा उद्योग (निजी क्षेत्र) संबंधी राष्ट्रीय औद्योगिक समिति की अगली बैठक में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट किया। स्थायी विशेषज्ञ समिति ने 6 जुलाई, 1976 को इन्दौर में बैठक की और श्रमिकों के संघों के प्रतिनिधियों और कम्पनी के निदेशक के बयान सुने। समिति ने 5 अगस्त, 1976 को दिल्ली में फिर बैठक की। जब मिल के निदेशक ने स्पष्ट किया कि प्रबन्ध ने मिल के दिन-प्रतिदिन के कार्य को चलाने के लिए वित्तीय अपेक्षाओं के संबंध में अपना बन्दोबस्त करने तथा नवीकरण के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए व्यवस्था की है तथा यह कि कम्पनी का बन्दी, छंटनी या जबरी छुट्टी करने का कोई इरादा नहीं है।

5 अगस्त, 1976 को हुई विशेषज्ञ समिति की बैठक के निर्णयों की प्रति संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०— 11237/76]

मोटर गाड़ियों की रफ्तार की जांच के लिए राडार

1616. **श्री विभूति मिश्र** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोटर गाड़ियों की रफ्तार की जांच करने के लिए दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और पटना में राडार लगाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह किस हद तक प्रभावी सिद्ध हुए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) बिहार और और पश्चिम बंगाल सरकारों ने सूचित किया है कि पटना और कलकत्ता के शहरों में कोई राडार नहीं लगाया गया है।

दिल्ली प्रशासन ने मोटर चलाने वालों की गति जांच करने के लिये राजधानी में तीन राडार लगाये हैं, इस उपस्कर की मदद से गाड़ियों की गति की और अधिक जांच का आयोजन करना संभव हुआ है जो ।मारी तेज गति की प्रवृत्ति को नियंत्रण करने में मदद करेगा।

बम्बई के बारे में सूचना महाराष्ट्र सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नसबन्दी के लिए बाध्य किया जाना

1617. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को नसबन्दी कराने के लिए बाध्य कर रही है और अनेक मामलो में कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां तो कितने मामलों में ऐसी कार्यवाही की गई और उन्होंने क्या स्पष्टीकरण दिया ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत सत्र में यह आश्वासन दिया था कि नसबन्दी के मामले में जबर्दस्ती नहीं की जायेगी ;

(घ) क्या कुछ राज्यों में भोले-भाले व्यक्तियों को नसबन्दी कराने के लिए बाध्य किया गया है ;

(ङ) क्या दिल्ली में कुछ अध्यापकों के तबादले किये गये और उनका वेतन रोका गया और कुछ को सेवा से हटाया गया ;

(च) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस मामले में जबर्दस्ती न करने का तथा कर्मचारियों को तंग न किये जाने के लिए, जिससे देश में अव्यवस्था पैदा होगी, कोई निदेश जारी किया है ; और

(छ) यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) दिल्ली प्रशासन ने इसे अस्वीकार किया है।

(च) केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से कहा है कि वे परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति में सूझ-बूझ से काम लें।

(छ) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रो ने आश्वासन दिया है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को, जो कि देश के विकास का मूलाधार है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की भावना के अनुरूप कार्यरूप दिया जा रहा है।

पेरिस वार्ता में भारत का भाग लिया जाना

1618. **श्री रानेन सेन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक व्यवस्था की बेहतरी के लिए आयोजित पेरिस वार्ता मे भारत ने भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी बठक हुई तथा उनके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां । अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन में भाग लेते वाले सत्ताईस देशों में भारत भी है। यह सम्मेलन पेरिस में हो रहा है । यह सम्मेलन दिसम्बर 1975 में मंत्रिस्तर पर हुआ था, और ऊर्जा, कच्चा माल, विकास एवं वित्त संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए चार आयोगों की नियुक्ति की गई थी ।

(ख) आयोगों के अब तक 5 सत्र हुए हैं और वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर 8 से 10 जुलाई 1976 तक अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन के काम की मध्यावधि समीक्षा भी की गई ।

सम्मेलन के प्रथम चरण में जो विचार-विमर्श हुआ वह मुख्यतः सूचना के आदान-प्रदान तथा विश्लेषण के रूप में था । दूसरे तथा कार्यमूलक चरण के कार्यक्रम से संबंधित काम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और आयोगो का जुलाई सत्र गतिरोध के साथ समाप्त हुआ । भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन के प्रथम चरण में ठोस प्रगति न होने से निराशा हुई । उसका विश्वास है कि वर्तमान गतिरोध, दूर हो जाएगा और विकासशील देश नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था लाने की दिशा में सहयोग द्वारा सच्चे प्रयास करके अपने राजनीतिक इरादे को प्रगट करेंगे ।

जम्मू तथा काश्मीर में भारतीय टेलीफोन उद्योग एकक का विस्तार

1619. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री सैयद अहमद आगा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर में भारतीय टेलीफोन उद्योग के एकक का विस्तार करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकरदयाल शर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) श्रीनगर में इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का धटक प्रभाग इस समय घटक टेलीफोन डोरियां, फ्यूज, टेलीफोन आदि के वे भाग जिन्हें ढाला जाता है, तैयार कर रहा है । हाल ही में कम्पनी ने जम्मू व काश्मीर यूनिट में प्रति वर्ष 50,000 टेलीफोन की जुड़ाई के लिए 1.66 लाख रुपयों की पूंजीगत लागत वाली एक प्रायोजना शुरू की है । अन्ततः इस प्रायोजना से लगभग 100 कामगारों को काम मिलेगा । यहां तैयार माल का विक्रय मूल्य 163.66 लाख रुपया होगा ।

सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि

1620. श्री पी० गंगा रेड्डी :

चौ० राम प्रकाश : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गये अध्ययन से यह पता चला है कि सड़क दुर्घटनाओं में प्रति वर्ष सात प्रतिशत की वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। इस अध्ययन के अनुसार 1960 और 1972 के बीच भारत में औसतन प्रति वर्ष लगभग 7.8 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाओं की संख्या म वृद्धि हुई। परन्तु, इसी अवधि में प्रति हजार मोटर गाड़ियों को सड़क दुर्घटनाओं की दर जो 1960 में 91.7 थी, 1972 में घटकर 55.9 हो गई।

(ख) केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा सुझाये गये कुछ उपचारी उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) पैदल यात्रियों को सुरक्षा के लिए विभिन्न यातायात इंजीनियरी उपायों का सुझाव दिया गया है। उदाहरणार्थ सड़क के दोनों ओर बगली-मार्ग, बिक्री खरीद केन्द्रों में पैदल यात्रियों के स्थान, भली प्रकार से चिह्नित पदल यात्री चौराहे, भीड़भाड़ वाल चौराहों में यातायात संकेतकों में पैदल यात्रियों के लिए एक अलग हरे सिगनल की व्यवस्था, मध्य-ब्लाक यात्री चौराहों में पैदल यात्रियों के लिए चलित पुश-बटन प्रकार के सिगनल, अधोगामी और उपरिपुल आदि। यात्रियों को उपलब्ध की गई सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पदल यात्रियों को प्रेरित करने के लिए एक सुनियोजित शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता है।

(2) साइकिल वालों की सुरक्षा के लिये, सड़क के दोनों ओर अच्छे किस्म के साइकिल पथ और व्यस्ततम चौराहों पर वाहन यातायात से साइकिल यातायात के पृथक्करण का सुझाव दिया गया है।

(3) मोटर साइकिल वालों की व स्कूटर वालों की सुरक्षा के लिये, चालकों और पीछे की सीट की सवारियों द्वारा सुरक्षा टोप पहनने की सिफारिश की गई है।

(4) चूंकि अधिकतर घातक और गहरी चोट वाली दुर्घटनाएं ट्रकों और बसों जैसी भारी मोटर गाड़ियों के चालकों द्वारा की जाती हैं, अतः चालक और मोटर गाड़ी दोनों के सुरक्षा पहलुओं पर उचित विचार की आवश्यकता है।

(5) एक तरफ की गलियां गाड़ियों को खड़े करने के विनियम, गति नियंत्रण इत्यादि जैसे विभिन्न यातायात विनियम जो दुर्घटनाओं की संख्या को कम कर सकते हैं; को शहरों और कस्बों में शुरू करने की सिफारिश की गई है।

(6) आधारिक सामान यातायात कानून बनाने की आवश्यकता और साथ ही देश में पूरक नमूना यातायात विनियम पर जोर दिया गया है। ये कानून और विनियम जनता को आसानी से समझ आने वाली राजमार्ग संहिता के रूप में लिखबद्ध किये जायें। इनका चलचित्रों, इश्तहारों आदि के जरिए प्रचार किया जाना चाहिए ताकि अनपढ़ लोग भी इसे समझ सकें।

(7) देश भर में सड़क सुरक्षा कार्यों के सुनियोजन और निदेशन के लिए एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् के गठन की सफारिश की गई है। राज्य सड़क सुरक्षा परिषदें और जिला सड़क सुरक्षा परिषदें भी होनी चाहिएं जो क्रमशः राज्यों में विभिन्न विभागों के और जिलों के क्रियाकिलापों का समन्वय करें।

मुख्य डाकघर खोलने के लिए तहसील मुख्यालयों/सामुदायिक विकास खंड मुख्यालयों को "केटेगरी स्टेशन" घोषित किया जाना

1621. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिस राजस्व जिले में पहले से ही एक मुख्य डाकघर है, वहां अन्य मुख्य डाकघर की मंजूरी की क्या शर्तें और आवश्यकताएं हैं ; और

(ख) क्या उप-डाकघरों में कार्यभार में हुई वृद्धि को देखते हुए, बड़े डाकघर खोलने के लिये वर्तमान मानदण्डों में उदारता बरत कर तहसील मुख्यालयों/सामुदायिक विकास खण्ड मुख्यालयों को "कैटेगरी स्टेशन" घोषित करने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (डॉ० शंकर दयाल शर्मा) : (क) एक ही राजस्व जिले में एक अन्य मुख्य डाकघर की मंजूरी दी जा सकती है, बशर्ते कि मौजूदा मुख्य डाकघर से संबद्ध उप-डाकघरों की संख्या 60 से अधिक हो और नये तथा मौजूदा दोनों ही मुख्य डाकघरों से कम से कम 20—20 उप-डाकघर संबद्ध हों।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान दिल्ली के लिए औषधियों के लिए स्वीकृत धन राशि

1622. **श्री वयालार रवि :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में औषधियों के लिये अन्य चिकित्सा सस्थानों की तुलना में कम धनराशि मंजूर की गई है ;

(ख) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में भर्ती 750 रोगियों के लिये औषधि सप्लाई करने के लिये वर्तमान नियतन पर्याप्त नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). यह प्रश्न नहीं उठता।

उद्योग में हड़ताल

1623. **श्री सरोज मुकर्जी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष के दौरान उद्योगो में राज्यवार तथा उद्योगवार कितनी हड़तालें हुई और उनमें कितने श्रमिकों ने भाग लिया ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : एक विवरण सभा की मेज पर रखा है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11238/76]

1624. **श्री झारखण्डे राय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिल्ली के अर्विन अस्पताल में इलाज के लिए शुल्क वसूल किये जाने के बारे में जनता की परेशानी की ओर गया है ;

(ख) इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या शुल्क वसूल किये जाने के कारण इस अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले रोगियों की संख्या बहुत कम हो गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने, जिनके नियन्त्रणाधीन अर्विन अस्पताल है, सूचित किया है कि फीस लेने के फैसले को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु आपाती मामलों में कोई फीस नहीं ली जाती है। कुछ वर्गों के रोगियों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होती है।

(ग) अस्पताल में आने वाले रोगियों की संख्या में कुछ हद तक कमी हो गई बताई जाती है किन्तु अधिक कमी नहीं हुई है।

केरल में सम्पर्क सड़को के विकास और रख-रखाव के लिए केन्द्रीय वित्तीय दायित्व

1625. **श्री सी० च० मोहम्मद कोया** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के उन सभी कस्बों में, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग जाते हैं सम्पर्क सड़कों का विकास और उन के रख-रखाव के लिये केन्द्रीय वित्तीय दायित्व स्वीकार करने के बारे में केरल सरकार और उनके मन्त्रालय के बीच कोई समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह अभ्यावेदन दिया है कि सड़कों की राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा होने की तारीख से अर्थात् एन० एच० 47 और एन० एच० 47-ए के मामले में 1-4-63 से और एन० एच० 17 के मामले में 7-3-1972 से यह समझौता प्रभावी किया जाये; और

(ग) राज्य सरकार के इस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) केरल सरकार ने अनुरोध किया था कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक करार के बजाय, उन्हें अलग-अलग करार करने की अनुमति दी जाए, जैसे, एक करार के प्रश्न के भाग (ख) में यथाउल्लिखित पूर्वव्याप्ति तारीखों से राज्य सरकार को आर्थिक सहायता देने के बारे में और दूसरा करार समानांतर सेवा मार्गों के निर्माण के लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी के बारे में और दूसरा करार उसी तारीख से लागू समझा जाएगा जिस तारीख को यह निष्पादित किया गया है। जून, 1975 में राज्य सरकार को सूचित किया गया कि उपरोक्त कथनानुसार दो अलग-अलग करार करने के बारे में उसका अनुरोध स्वीकृत नहीं किया जा सकता और इसलिए राज्य सरकार को मामले पर पुनः विचार करके एक संयुक्त करार करना चाहिए। जहां तक करारों को लागू किए जाने की तारीखों का सम्बन्ध है, यह कहा गया कि मामले पर तभी निर्णय किया जाएगा जब राज्य सरकार उक्त मामले में अपने अन्तिम विचार भेज देगी। अभी तक इस मामले में राज्य सरकार से कोई औपचारिक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

Memorandum by All India University Employees' Federation

1626. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether any memorandum has been submitted to the Prime Minister by All India University Employees' Federation in regard to the demands of the employees working in Universities;

(b) whether a copy thereof has also been sent to him; and

(c) if so, Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) Universities are under the administrative control either of State Education Departments or Central Education Ministry. The position regarding the various demands is given in the statement attached.

STATEMENT

Sl. No.	Demand	Remarks
(i)	Security of Service	The security of service of the staff of the Universities is governed by the provsions included in the Acts /Statute of the concerned universities. Adequate provision for this purpose has already been made in respect of the Central Universities. The Central Govt. have advised the State Governments to take measures for their Universities on the lines of those taken by the Government in Central Universities.
(ii)	Uniform Pay Scales	The pay scales of non-teaching staff of Central Universities and of the colleges affiliated to Delhi University have been revised in accordance with the recommendations of the Third Central Pay Commision. The pay scales of non-teaching employees of State Universities is the concern of the State Governments. Those scales are, also, generally speaking identical or similar to the scales of pay of corresponding posts in the State Government concerned.

Sl. No.	Demand	Remarks
(iii)	Uniform Service Rules	The conditions of service of non-teaching employees of Central Universities are, by and large, uniform. Conditions of service in respect of such employees in State Universities are the concern of State Governments. The University Grants Commission has, however, recommended a set of rules governing the terms and conditions of service of non-teaching staff of the universities for their consideration.
(iv)	Recognition of Unions	. This is a matter to be considered by individual universities.
(v)	Joint Consulltative Machinery and Employees' participation in Management	Government are in favour of setting up a suitable machinery for the redress of Employees' grievances and giving representations to non-teaching employees on the Courts of the universities. Action has already been taken on these lines in respect of Aligarh Muslim University. In the case of other Central Universities also, similar provisions would be considered while amendments are made in their statutes. In respect of State Universities, it is for the State Governments to condider this demand. The University Grants Commission has advised the Universities to set up Joint Consultative Committees for the employees' welfare and personnel problems.

राजमार्ग अनुसन्धान का विकास

1627. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य सरकार ने राजमार्ग अनुसन्धान सुविधाओं के विकास के लिये पांचवी योजना में सहायता की मांग की है,; और

(ख) यदि हां; तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) केरल में सड़क परीक्षण और नियन्त्रण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिये रुपये 3.00 लाख का एक अनुमान अगस्त 1973 में स्वीकृत किया गया और केन्द्रीय सड़क निधि (साधारण) आरक्षण से एक लाख रुपये के सहायता अनुदान की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई थी कि ऐसी राशि रुपये 1.50 लाख से अधिक न होगी और शेष राशि की व्यवस्था राज्य सरकार अपने निजि संसाधनों से करेगी। कार्य प्रगति पर है और जून 1976 को समाप्त होने वाली तिमाही तक रुपये 1, 56, 030.00 का व्यय हो चुका है।

राज्य में प्रयोगशाला की सुविधाओं को बढ़ाने व उनका स्तर ऊंचा करने के बारे में राज्य के मुख्य इंजीनियर ने सूचित किया है कि उन्होंने रुपये 66.00 लाख की लागत की एक योजना अपनी राज्य सरकार को भेजी है जिसमें राज्य सरकार को सुझाव दिया गया है कि वे इस योजना के लिये केन्द्रीय सड़क क्षेत्र योजना के अनुसंधान और विकास कार्य के अंतर्गत कम से कम रुपये 50.00 लाख के आवंटन के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करें। अन्य राज्यों से भी ऐसे आवेदन पत्र मिलने और संसाधनों की निश्चित सीमा को ध्यान में रखते हुए हाल ही में बुलाई गई बैठक में एक विस्तृत योजना तैयार की गई और उस पर चर्चा की गई। इस बैठक में केरल राजमार्ग अनुसंधान संस्थान के निदेशक भी उपस्थित थे। बैठक में हुई चर्चा के अनुसार केरल सरकार के प्रस्ताव को दुबारा तैयार करने की आवश्यकता है जब कि संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त पत्रों के आधार पर उसी प्रकार की अन्य आवश्यकताओं पर विचार करते समय उक्त प्रस्ताव की भी जांच की जा सकती है।

India Aid Mission in Nepal

1628. Shri Shankar Dayal Singh: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the number of employees rendered unemployed in India Aid Mission in Nepal; and

(b) the main functions of India Aid Mission in Nepal and the expenditure incurred thereon in the current year?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) Posts in the Indian Co-operation Mission (formerly known as Indian Aid Mission) are temporary and renewed every year, keeping in view the extent of bilateral economic co-operation projects in hand. No employee of the Indian Co-operation Mission has been rendered unemployed during the current financial year.

(b) The main function of the Mission is to oversee the Indian assistance programme to Nepal. To this end, the Indian Co-operation Mission formulates proposals for fresh projects and, when the projects are approved, ensures the satisfactory implementation thereof.

The expenditure incurred on the Directorate of the Mission in the current financial year upto 30th June, is Rs. 3,81, 900. Expenditure incurred on projects during the same period is Rs. 2,28,76,197/-.

गैर-सरकारी क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा रिक्त स्थानों का अधिसूचित किया जाना

1629. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान कानून में गैर-सरकारी क्षेत्र के नियोक्ताओं को रोजगार के लिये रिक्त स्थानों की अधिसूचना दिये जाने पर रोजगार एजेन्सियों द्वारा प्रायोजित अर्हता प्राप्त उम्मीदवार को भी अस्वीकार करने का अधिकार है ;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी नियोक्ताओं द्वारा रिक्त स्थान के बारे में सरकार को अधिसूचना देने की प्रक्रिया निहित किये जाने का क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार देश भर में रोजगार कार्यालय में पंजीकृत योग्य उम्मीदवारों को नौकरी देने के लिये नियोक्ताओं को बाध्य करने संबंधी किन्हीं उपायों के बारे में विचार कर रही है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के अधीन 25 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाले निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के नियोजकों के लिये यह अनिवार्य है कि वे उस प्रतिष्ठान में होने वाली रिक्तियों को भरने से पहले निर्धारित रोजगार कार्यालय को अधिसूचित करें।

यद्यपि इस समय निजी क्षेत्र के नियोजकों के लिये रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती करना सांविधिक रूप से अनिवार्य नहीं है, तो भी रोजगार कार्यालय निजी नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के लिये उम्मीदवार भेजते हैं और रोजगार कार्यालय द्वारा नामित किये गये व्यक्तियों में से भर्ती करने हेतु उनका सहयोग प्राप्त करने के लिये प्रेरक तरीके इस्तेमाल करते हैं।

उड़ीसा में कृषि श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाएं

1630. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में अब तक उड़ीसा के कृषि श्रमिकों के कल्याण हेतु कौन कौन सी कल्याण योजनाएं मंजूर की गई हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : श्रम मंत्रालय मुख्यता कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिये विधान बनाने तथा दिशा निर्देश निर्धारित करने के काम से संबंधित है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और ट्रेड युनियन अधिनियम, 1926 कृषि श्रमिकों पर लागू होते हैं। कृषि प्रतिष्ठान, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की परिधि से बाहर नहीं है जो कृषि फार्म वाणिज्यिक आधार पर चलाए जाते हैं, वे भी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत आते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि और विधि उपबन्ध अधिनियम, 1952 विशिष्ट बागान में नियोजित कृषि श्रमिकों पर प्रयोज्य है। ट्रेक्टरों या अन्य यांत्रिक शक्ति द्वारा या बिजली द्वारा किये जाने वाले फ़ार्म कार्य में नियोजित श्रमिक पहले ही कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत आते हैं।

सरकार ने कृषि श्रमिकों संबंधी एक स्थायी समिति स्थापित की है ताकि वह अन्य बातों के साथ-साथ कृषि श्रमिकों के कल्याण संबंधी वर्तमान विधायी और अन्य उपबन्धों की परीक्षा करे और केरल कृषि श्रमिक अधिनियम, 1974 के नमूने पर इस विषय पर एक व्यापक कानून के बारे में सुझाव दे।

निर्माण और आवास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमीहीन कृषि श्रमिकों के लिये गृहस्थलों की निःशुल्क व्यवस्था करने संबंधी एक योजना बनाई है। कृषि विभाग ने सूचित किया है कि फ़ालतू जमीन का वितरण करते समय भूमीहीन कृषि श्रमिकों को, विशेषकर ऐसे श्रमिकों को जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हैं प्राथमिकताएं दी जानी चाहिये। ग्रामीण विकास विभाग ने कमजोर वर्गों की आर्थिक दशाओं को सुधारने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये लघु किसान विकास अभिकरण और उपस्तस्थ किसान और कृषि श्रमिक विकास अभिकरण प्रायोजनाओं जैसी देश-व्यापी योजनाएं बनाई हैं। बैंकिंग विभाग ने सूचना दी है कि वाणिज्यिक बैंकों को हिदायत की गई है कि वे देश भर में उत्पादक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमीहीन कृषि श्रमिको को वित्तीय सहायता दे।

उड़ीसा राज्य के संबंध में गत तीन वर्षों के लिये कोई विशिष्ट सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

डाक तथा टेलीफोन सलाहकार समिति का बनाया जाना

1631. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में विभिन्न स्तरों पर डाक तथा टेलीफोन सलाहकार समितियां अब तक नहीं बनायी गयी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या है ?

संचार मंत्री (डॉ० शंकार दयाल शर्मा) : (क) और (ख) राज्य स्तर की सलाहकार समितियों को क्षेत्रीय डाक तार सलाहकार समितियों के नाम से पुकारा जाता है। ऐसी सलाहकार समितियां निम्नलिखित राज्यों में, जिनमें केन्द्र शासित राज्य भी शामिल है, पहले ही गठित की जा चुकी है :—

1—मेघालय

2—नागालैंड

3—अरुणाचल प्रदेल

4—बिहार

5—मध्य प्रदेश

6—केरल, जिसमें लक्षद्वीप समूह भी शामिल है।

7—तमिलनाडु जिसमें पांडिचेरी भी शामिल है।

8—पंजाब

9—हिमाचल प्रदेश

10—पश्चिम बंगाल

11—महाराष्ट्र

12—अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों तथा केन्द्र शासित राज्य मिजोरम से नामांकनों की प्रतीक्षा है। शेष राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों के लिये समितियों के गठन का काम चल रहा है।

कलकत्ता पत्तन कर्मचारियों के समुख नौकरी छूटने का संकट

1632. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन पर काम कर रहे 5000 से अधिक कर्मचारियों के सामने नौकरी छूटने का संकट है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) कलकत्ता पत्तन को परिचालनात्मक दृष्टि से कुशल बनाने और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिये कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड, जो एक त्रिपक्षीय संस्था है, ने 29-7-1976 को हुई बैठक में सर्व-सम्मति से यह निश्चय किया कि अत्यावश्यक हो गया हैं कि धरा उठाई की जाने वाली यातायात की वर्तमान प्रवृतियों के अनुसार बोर्ड के कार्या-बल को पुनः गठित किया जाये। तदनुसार बोर्ड के अध्यक्ष को अधिकृत किया गया कि वह कर्मकारों की प्रत्येक श्रेणी में फ़ालतू कर्मकारों की गणना

करें और फिर उन्हें उचित प्रतिपूर्ति देकर सेवा निवृत्त करने के लिये कार्यवाही करें। इस संबंध में एक ठोस योजना तैयार की जा रही है।

Implementation of Recommendations of National Nutrition Advisory Committee

1633. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the outlines of the recommendations of the National Nutrition Advisory Committee and the manner in which these recommendations were implemented; and

(b) whether nutrition experts have to possess necessary qualifications?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque): (a) A statement containing the information is enclosed.

(b) Yes, all nutrition experts working at the Centre and States have to possess specialised qualification in Nutrition from a recognised University in India/abroad.

Statement

The National Nutrition Advisory Committee in its eighth and last meeting held in Bombay in June, 1970 passed the following five resolutions and the action taken thereon for their implementation is indicated against each:—

Recommendations	*action taken*
1. For effective implementation of Nutrition programmes, well equipped State Nutrition Divisions should be set up in the Health Directorate of States.	The various States were adressed and at present 18 States and 2 Union Territories have State Nutrition Divisions. Action is being taken to establish Nutrition Divisions in the remaining States/Union Territories.
2. Central and State Government should take immediate action to explore alternative arrangement in place of UNICEF which was withdrawing from the MCH Sikim Milk Feeding Programme.	Care was approachecd to supply CMS (Corn-Soya Flour) and the Programme has been reviewed in some States.
3. State Governments in goitre belt of India may take suitable measures to enforce use of iodised salt and prevent entry of non-iodised salt by imposing a ban under Essential Commodity Act.	The States of West Bengal, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Manipur, Nagaland, Jammu and Kashmir, Haryana, Punjab, Bihar and the Union Territory of Chandigarh have since banned the entry of non-iodised salt in the endemic goitre area of their States. The States of Meghalaya, Assam, Tripura and the Union Territory of Mizoram are considering the issue of ban in their respective states.
4. States Nutrition Divisions to carry out food pattern survey in different regions of States and the expertise of Home Science Colleges should be utilised.	Food habits surveys are being conducted by State Nutrition Bureaux and the Home Science Colleges are also being involved. The data is being published by the Nutrition Cell as a report of Nutrition work done in States and Union Territories.
5. A sub-committee be formed to review past and present efforts and lay down guide-lines for all future efforts in the field of mass communication in Nutrition.	The Sub-Committee was formed and held a number of meetings. Information was collected from various sources. Based on this information, guidlines were framed which were forwarded to various Departments/Agencies connected with Nutrition.

पश्चिम बंगाल के शहरों में टेलीफोन व्यवस्था में गड़बड़ी

1634. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल के अन्य शहरों के टेलीफोन प्रयोक्ताओं को टेलीफोन व्यवस्था में प्रायः लम्बे अरसे तक गड़बड़ी का सामना करना पड़ता है ;

(ख) कलकत्ता के संबंध में इस बारे में गत वर्ष के मास-वार आंकड़े क्या है , और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

संचार मंत्री (डा० शकर दयाल शर्मा) : (क) जी नहीं । कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली में कुछ प्रतिशत (4 प्रतिशत से कम) उपभोक्ता लाइनें है । जोकि बरसात के मौसम में प्रभावित हुई थीं, लंबी अवधियों तक खराब रहीं ।

(ख) कलकत्ता टेलीफोन में अगस्त, 75 से जुलाई 1976 तक दोषों के माहवार आंकड़े इस प्रकार हैं :—

महीना	दोष / 100 उपभोक्ता प्रतिमास	प्रति दोष औसत अवधि घंटों में
अगस्त, 75	30.95	4.6
सितम्बर, 75	28.45	3.81
अक्तूबर, 75	26.45	4.55
नवम्बर, 75	25.47	4.58
दिसम्बर, 75	22.79	3.67
जनवरी, 76	23.08	3.74
फरवरी, 76	24.39	4.19
मार्च, 76	25.83	7.72
अप्रैल, 76	26.37	4.33
मई, 76	29.03	7.59
जून, 76	25.69	4.79
जुलाई, 76	30.07	5.34

(ग) निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(i) दोष तुरन्त दूर किये जा सकें इसके लिये निर्माण और विकास कार्यों में लगे कर्मचारियों को इस काम में लगा दिया गया है । दोषों की स्थिति का नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है और लंबे अर्से वाले दोष दूर करने के लिये विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

(ii) जमींदोज टेलीफोन केबुलों में क्षति कम से कम हो और दोष जल्दी ही दूर किये जा सकें इसके लिये सी० एम० डी० ए० और अन्य उपयोगिता एजेंसियों के साथ निकट का ताल-मेल बनाये रखा जा रहा है ।

(iii) कलकत्ता टेलीफोन में वर्षा ऋतु के दौरान दोष पैदा होने की घटनायें कम करने के लिये दीर्घ कालीन निदान के रूप में जंक्शन और प्राइमरी केबुलों का उत्तरोतर दाबानुकूलन किया जा रहा है। जहां तक पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल के अन्य टेलीफोन एक्सचेंजों का संबंध है, संवितरण केन्द्रों (डिस्ट्रब्यूशन प्वाइंट) की योजनाबद्ध ओवरहालिंग और रीफिटिंग का काम शुरू कर दिया गया है। खंबों पर दी गई लाइनों का विशेष रख-रखाव किया जा रहा है। खंबों पर दी गई भारी लाइनों को उत्तरोत्तर जमींदोज केबुलों में बदला जा रहा है।

बन्ध्याकरण आपरेशनों के बाद बचाव का सुनिश्चित किया जाना

1635. **श्री रेणुपद दास** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बन्ध्याकरण तथा ऐसे ही अन्य आपरेशनों के बाद बचाव सुनिश्चित करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): नसबन्दी आपरेशन करवाने वाले व्यक्तियों का समुचित, चुनाव, आपरेशन से होने वाली पेचीदगियों को रोकने के लिये अपेक्षित उपाय और आपरेशन के बाद की जाने वाली देख-रेख के बारे में विस्तृत अनुदेश जारी किये जा चुके हैं।

महिलाओं के नसबन्दी आपरेशन के बाद सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखि अनुदेश विशिष्ट रूप से जारी किये जा चुके हैं :—

(1) महिलाओं के योनि मार्ग द्वारा किये जाने वाले आपरेशन केवल अस्पतालों में और सकुशल एवं अनुभवो डाक्टरों द्वारा ही किये जाने चाहिये।

(2) शिविरों में जो महिला नसबन्दी आपरेशन किये जाते हैं, उन के बारे में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो डाक्टर आपरेशन करें वह आपरेशन के बाद दो या तीन दिन तक रोगी की देख भाल करता रहे।

(3) नसबन्दी आपरेशन करवाने वाली महिलाओं को तब तक घर जाने की अनुमति न दी जाए जब तक उनके टांके काटे न जाएं और वे पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जातीं।

(4) उन महिलाओं के प्रसवोतर आपरेशन न किये जाएं जिन का प्रसव घर पर हुआ हो और जो टैटनास से सुरक्षित न हुई हों अथवा जिनमें प्रसवोत्तर संक्रमण की संभावना का पूरी तरह से निराकरण नहीं हुआ हो।

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्पात संयंत्र

1636. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो इस्पात संयंत्र एक महाराष्ट्र में और एक मध्य प्रदेश में स्थापित करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) : स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० ने 'मेकन' को मध्य प्रदेश में बेलाडिला क्षेत्र और महाराष्ट्र में सूरजगढ़ क्षेत्र में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए अलग-अलग शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने का काम सौंपा था। ये प्रतिवेदन स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० को अप्रैल-मई, 1975 में प्राप्त हो गये थे और इनकी जांच की जा रही है।

डाक्टरों की भर्ती के लिए परीक्षा

1637. **श्री राम सहाय पाण्डे**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का डाक्टरों की भर्ती के लिये परीक्षा लेने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :

(क) जी हां।

(ख) इसकी रूप-रेखा तैयार की जा रही है।

भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा सहायक उद्योगों का विकास

1638. **चौधरी नीतिराज सिंह :**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र ने अपने सहायक उद्योगों का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि पहले से ही स्थापित छः एककों को मान्यता नहीं दी गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) : संभवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय भिलाई इस्पात कारखाने के इर्द-गिर्द स्थापित लघु उद्योगों से है। हिन्दुस्तान स्टील लि० लघु उद्योगों को सभी संभव सहायता देकर उन्हें प्रोत्साहित करती है। काफी मदों को लघु उद्योगों के निर्माण के लिए निश्चित कर दिया गया है और उन्हें इस्पात कारखाने की उन मदों की सप्लाई के लिए पर्याप्त आर्डर दिए जाते हैं। हिन्दुस्तान स्टील लि० के बोर्ड द्वारा इन इकाइयों को सहायक उद्योगों के रूप में मान्यता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि चूंकि इन इकाइयों द्वारा निर्मित मदें इस्पात कारखाने की उत्पादन प्रक्रिया का अंग नहीं है, अतः इन्हें सहायक इकाइयां नहीं माना जा सकता। फिर भी, कम्पनी की नीति, लघु उद्योग इकाइयों को तकनीकी जानकारी की सुविधाएं, कच्चे माल की आपूर्ति आदि की सहायता देकर इनके विकास को प्रोत्साहन देने की है।

कलकत्ता और खड़गपुर-मिदनापुर तथा कलकत्ता और आसनसोल के बीच सूक्ष्म तरंगों अथवा को-आक्सियल चैनल की व्यवस्था करना

1639. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन निदेशालय ने टेलीविजन रिले पारेषण के लिये कलकत्ता और खड़गपुर-मिदनापुर तथा कलकत्ता और आसनसोल के बीच सूक्ष्म-तरंगों अथवा को-आक्सियल चैनलों की पहिले ही व्यवस्था कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो दूरदर्शन को यह सुविधा दी जायेगी ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी नहीं । कलकत्ता और खड़गपुर (या मिदनापुर) तथा कलकत्ता और आसनसोल के बीच टेलीविजन पारेषण सुविधा की व्यवस्था करने के लिये फिलहाल दूरदर्शन से कोई मांग नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Private Stevedores at Ports

1640. **Shri Mohan Swarup:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether the scheme of abolishing the system of private stevedores at ports is being implemented; and

(b) if so, the outlines of new scheme to replace the stevedores?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H. M. Trivedi): (a) and (b). No final decision has yet been taken by Government on the future stevedoring arrangements in the major ports.

नमक मजदूरों के लिए कल्याण निधि

1641. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपाण्डे** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ का रण, जैसे क्षेत्रों में नमक मजदूरों के काम की अस्थाई स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने उनके लाभ के लिए कल्याण निधि बनाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं ; अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा बसों की खरीद

1642. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की आवश्यकता को पूरा करने के लिये दिल्ली परिवहन **निगम** का विचार अधिक बसें खरीदने का है ; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में कितनी बसें खरीदी जायेंगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दल ीर सिंह) : (क) और (ख). बदल के लिए दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 150 बसों की खरीद के लिए चालू वर्ष के बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु निगम ने इस समय इन बसों की खरीद को स्थागित कर दिया है। उसका प्रस्ताव अपने मौजूदा बेड़े के कार्यों को दृढ़ करना है।

लौह अयस्क पर रायल्टी की दर

1643. **श्री नाथू राम अहिरवार** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लौह अयस्क पर रायल्टी की वर्तमान दर क्या है और मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि दी जा रही है ;

(ख) इस्पात संयंत्रों द्वारा कच्चा लोहा और इस्पात प्रति टन किस दर से बेचा जाता है और न खनिजों पर प्रति टन वे कितना मुनाफा कमा रहे हैं ;

(ग) क्या गत कुछ वर्षों में कच्चे लोहे और इस्पात के मूल्य दुगने हो गये हैं; और

(घ) क्या लौह अयस्क पर रायल्टी की दर में कोई वृद्धि करने का विचार है; यदि हां, तो ऐसा कब किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) लौह अयस्क के विभिन्न ग्रेडों पर रायल्टी की वर्तमान दर रु० 0.35 से 2.00 ० के बीच है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 1975-76 में लौह अयस्क पर कुल 1,53,48,000 पए का खनिज राजस्व वसूल किया गया।

(ख) इस्पात कारखानों द्वारा कच्चा लोहा संयुक्त संयंत्र समिति मूल्यों पर बेचा जाता है, जो बेचे गए कच्चे लोहे की किस्म के अनुसार 767 ० से 907 रु० प्रति टन (मुख्य रेलवे स्टेशन तक रेल पर्यन्त निशुल्क) के बीच होता है।

इस्पात की बिक्री दर प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग होती है। इस्पात संयंत्रों के लिए लाभ का निर्धारण समूचे तौर पर किया जाता है जो अन्य बातों के साथ-साथ एक वर्ष के दौरान किसी विशेष इस्पात संयंत्र में तैयार लोहे और इस्पात की विभिन्न किस्मों के सौदों को ध्यान में रख कर किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लौह अयस्क पर रायल्टी दरों में परिवर्तन के सवाल पर विचार किया जा रहा है।

दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र का विस्तार

1644. **श्री कृष्ण चन्द्र हालदर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिश्र इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर के विस्तार के संबंध में कोई निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो विस्तार कार्य कब आरम्भ होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख). अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) ने मेटालर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स (इंडिया) लि० (मेकन) को दुर्गापुर के मिश्र-इस्पात कारखाने के विस्तार के लिए पूंजी-निवेश पूर्व शक्यता अध्ययन करने का काम सौंपा था। 'मेकन' ने मार्च, 1976 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। 'सेल' द्वारा इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

कोयला खानों में रोजगार से हटाई गई महिलाएं

1645. **श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की कोयला खानों में (i) ठेका श्रमिकों की मनाही और (ii) औद्योगिक रोजगार में पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए रोजगार की बराबर व्यवस्था करने संबंधी अधिनियम पास किए जाने के बाद कोयला खानों में लदान, साफ्ट कोक बनाने तथा अन्य सहायक कार्यों में नियुक्त कितनी महिला श्रमिकों को रोजगार से अलग किया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : कोयला विभाग द्वारा, उपलब्ध सूचना के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियों ने, निषिद्ध वर्गों अर्थात् (i) कोयले को निकालना या निकालना-व-बेचना (ii) कोयले को भरना और उतारना (iii) अधिभार को हटाना और भूमि को काटना (iv) साफ्ट कोक बनाना और (v) भूमिगत मिश्रित पत्थर की कटाई करना और स्टोन ड्रिफ्टों को चलाने में, ठेका कार्य को समाप्त करने के लिये कार्यवाही की है। जहां कहीं अपेक्षित था, इन कम्पनियों ने कुछ ठेका श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था की है। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनियों में फालतू और अपूर्ण कार्यरत श्रमिकों को कुछ जाबों पर, जो पहले ठेका श्रमिकों द्वारा की जा रही थीं, लाभोन्मुख आधार पर लगाया जा रहा है। समान मजदूरी अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हमें कोयला खानों में महिला कामगरों के निरसन संबंधी कोई अभ्यावेदन या शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

नसबन्दी के लिए समान नकद प्रोत्साहन

1646. **श्री शिव कुमार शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र शासित क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में नसबन्दी के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली नकद राशि भिन्न-भिन्न हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि धनराशि में उक्त विभिन्नता के कारण समीपवर्ती राज्यों के व्यक्ति नसबंदी के लिए उन स्थानों पर चले जाते हैं जहां उन्हें अधिक धनराशि मिलती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार समस्त देश में प्रोत्साहन की समान नकद धनराशि निश्चित करने के बारे में विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) केन्द्रीय सहायता के पैटर्न के अनुसार सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को नसबन्दी के लिये मुआवजे की राशि समान दरों पर दी जाती है कुछ राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति को तेज करने के लिये निजी स्रोतों से मुआवजे की राशि को और बढ़ा दिया है।

(ख) लोग परिवार नियोजन की सेवाओं के लिये अपनी-अपनी पसन्द के केन्द्रों में जाते हैं। केन्द्रों के चुनाव में उनके कई कारण हो सकते हैं जैसे कि केन्द्र का उनके घरों के नजदीक होना, वहां पर अन्य सुविधाओं का उपलब्ध होना अथवा ऐसी ही अन्य बातें।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व चम्पारन जिले में टेलीफोन तथा सार्वजनिक टेलीफोन

1647. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व चम्पारन जिले के मुख्य कार्यालय स्थान मोतीहारी में टेलीफोन और आरा; मानुगढ़ा तथा नाहरपुर और अन्य स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन खराब रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इन्हें ठीक कराने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कपड़ा संबंधी राष्ट्रीय औद्योगिक समिति (सर्वोच्च) की बैठक

1648. **श्री एस० एम० बनर्जी** :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा संबंधी राष्ट्रीय औद्योगिक समिति (सर्वोच्च) की जुलाई, 1976 के प्रथम सप्ताह में दिल्ली में बैठक हुई थी ;

(ख) क्या इस बैठक में बन्द हुई 18 कपड़ा मिलों के प्रश्न पर भी विचार किया गया था; और यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस मामले में मंत्रालय से कोई सिफारिश की गई थी; यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) कपड़ा संबंधी राष्ट्रीय औद्योगिक समिति (निजी क्षेत्र), जो एक द्विपक्षीय निकाय है, की बैठक 17 जून, 1976 को ई थी।

(ख) और (ग) इस मद् से संबंधित बैठक के निर्णयों के पूर्ण मूल पाठ का उद्धरण सदन की मेज पर रखा गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 11239/76]

(घ) संबंधित प्राधिकरियों को ऐसी उचित कार्रवाई आरम्भ करने के लिए, जो कि उनके द्वारा लाभ-हानि के आधार पर प्रत्येक मामले में उचित और आवश्यक समझी जाए, इस बैठक के निर्णयों से अवगत कराया गया है।

समुद्री का ून पर सम्मेलन

1649. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त 1976 में न्यूयार्क में होने वाले समुद्री कानून पर सम्मेलन के संबंध में अमरीकी प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्होंने विचार विमर्श किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई पारस्परिक समझौता हुआ है ;

(घ) इस सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा किये जाने की आशा है ; और

(ङ) इस सम्मेलन में कितने देशों द्वारा भाग लिये जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास): (क) संयुक्त राज्य अमरीका का एक प्रतिनिधिमंडल 12 और 13 जुलाई 1976 को नई दिल्ली आया था तथा उसने समुद्र कानून सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की थी ।

(ख) और (ग) चूंकि यह बातचीत अनौपचारिक और गोपनीय प्रकृति की थी इसलिए उसके बारे में बताना मुनासिब नहीं होगा । किसी करार की कोई बात न ीं थी और न कोई करार आ ही था ।

(घ) सम्मेलन के समक्ष जो मुख्य प्रश्न हैं, उनमें से कुछेक का संबंध आर्थिक क्षेत्र के विस्तार की सीमा तथा उसके दर्जे और महाद्वीपीय शैल्फ से, अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण के स्वरूप और भूमिका से, अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल क्षेत्र में अन्वेषण और समुपयोजन से, तथा समुद्र में वैज्ञानिक अनुसंधान और विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे से है ।

(ङ) इस सम्मेलन में 156 प्रतिनिधि मंडल भाग ले रहे हैं ।

समुद्री कानून पर संधि

1650. **श्री नवल किशोर सिंह :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री सम्पदा का पता लगाने के बारे में समुद्री कानूनों पर संधि का मसौदा तैयार करने के लिए न्ययार्क सत्र में बातचीत के प्रारूप का मूल पाठ क्या है ; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) "सिगल नेगोशिएटिंग टैक्स्ट की मुख्य-मुख्य बातें नीचे लिखे अनुसार हैं :--

(i) 12 मील के प्रादेशिक समुद्र, 200 समुद्री मील के आर्थिक क्षेत्र तथा बाहरी महाद्वीपीय सीमा तक विस्तीर्ण अथवा 200 मील का, तट से जो भी अधिक दूर हो, महाद्वीपीय शैल्फ को मान्यता ।

(ii) अगर किसी तटवर्ती राज्य के आर्थिक क्षेत्र में अथवा उसके महाद्वीपीय शैल्फ में वैज्ञानिक अनुसन्धान करना हो तो उस राज्य की अनुमति अपेक्षित होगी ।

(iii) विवादों के अनिवार्य निपटारे की कोई व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतल क्षेत्र के अन्वेषण एवं समुपयोजन से सम्बद्ध विवादों के लिए एक अलग न्यायाधिकरण।

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतल क्षेत्र से उत्पादन फिलहाल 20 वर्ष के लिए सीमित। प्रारम्भिक अवस्था में चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण को गहरे समुद्रतल क्षेत्र के संसाधनों को विकसित करने में दूसरों की सहायता पर निर्भर करना पड़ सकता है, इसलिए राज्य पार्टियों को अथवा राज्यों द्वारा प्रायोजित पार्टियों को, प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित औपचारिक लिखित कार्य योजना के अनुसार, संविदा दी जा सकती है।

(ख) प्रादेशिक समुद्र सीमा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, महाद्वीपीय शेल्फ तथा इनमें तटवर्ती राज्य के अधिकार के सम्बन्ध में संशोधित 'सिंगल नेगोशिएटिंग टैक्स्ट" में जो व्यवस्थाएं रखी गई हैं उनमें भारत के हितों की रक्षा की गई है। लेकिन, लक्षद्वीप तथा अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों को आर्चिपेलागो का दर्जा न देने की कोशिश जब कि इण्डोनेशिया, मारिशस और फिजी जैसे आर्चिपेलाजिक राज्यों को यही दर्जा दिया जाना चिन्ता का विषय है लेकिन भारत अपनी बात मनवाने के लिए भरसक कोशिश करेगा।

जहां तक विवादों के निपटारे का सवाल है, भारत इस बात को अनुपयुक्त तथा अवांछनीय मानता है कि समुद्री क्षेत्रों से सम्बन्धित किसी विवाद को सम्बद्ध तटवर्ती राज्य की मर्जी के खिलाफ किसी तीसरे पक्ष को सौंपा जाए जब कि ये समुद्र क्षेत्र तटवर्ती राज्य के प्रभुसत्तात्मक अधिकार तथा अनन्य अधिकार-क्षेत्र में आते हों।

P.F. outstanding against Coal Mines in M.P.

1651. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) the amount of provident fund outstanding against all the coal mines in Madhya Pradesh for the years 1972-73, 1973-74 and 1974-75, yearwise, indicating the names of those mines and the action being taken to recover the arrears;

(b) whether some coal mines have been closed in Madhya Pradesh rendering many workers unemployed and whether retrenchment has also been made in some mines; and

(c) whether the amount of provident fund has not been paid to the retrenched employees and if so, the time by which this amount would be paid?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) Only one colliery named Pure Chirimiri Colliery has been closed from 1st December, 1975. No worker was thrown out of employment or retrenched. About one hundred workers employed in the colliery were rehabilitated in the nearby collieries in that area.

(c) Question does not arise.

कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी

1652. **श्री वयालार रवि :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने हेतु कानून बनाए हैं तथा इन कानूनों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो इन निर्णयों को कार्यरूप देने में अभी तक असफल हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 विधान की स्थापना करता है जो अधिनियम की अनुसूची में दिए गए रोजगारों के बारे में उचित सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरियों के निर्धारण/पुनरीक्षण की व्यवस्था करता है। कृषि में रोजगार इस अनुसूची के भाग II में सम्मिलित है और कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के लिए अधिनियम के अधीन मजदूरियां निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन अधिसूचित कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरियों के बारे में विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में नवीनतम स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०–11240/76]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यय की गई धनराशि

1653. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, राज्यवार, विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर (1) नये निर्माण, तथा (2) मरम्मत पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(ख) क्या पर्वतीय क्षेत्रों में, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये चालू वित्तीय वर्ष में तथा आगामी वर्षों के लिये धनराशि में वृद्धि करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

***नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री* (श्री दलबीर सिंह)** : (क) अपेक्षित सूचना देने वाले दो विवरण संलग्न हैं (अनुबन्ध i तथा ii) [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-11241/76]।

(ख) तथा (ग) पर्वतीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 1976–77 के दौरान आवंटित व्यवस्था पहले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में व्यय से अधिक है, जो कि इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि 1976–77 का आवंटन 10.51 करोड़ रु० है, जबकि 1973–74, 1974–75, 1975–76 में व्यय 2.91 करोड़, 2.80 करोड़ तथा 5.10 करोड़ रुपए (अस्थाई) है। जहां तक सड़कों की मरम्मत का प्रश्न है, आवंटित राशि की जाने वाली मरम्मत पर निर्भर करेगा। जो वर्तमान अवस्था, यातायात के प्रयोग के कारण, टूट-फूट, बाढ़ इत्यादि के कारण क्षति इत्यादि, जैसी बातों पर निर्भर करेगा।

जहां तक बाद के वर्षों का आवंटन का प्रश्न है, वह प्रत्येक वर्ष के संसाधनों की उपलब्धि की स्थिति पर निर्भर करेगा।

कार्यभार और आय का हिसाब लगाने के सूत्र का पुनरीक्षण

1654. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक घरों में आरम्भ किये गये नये कार्यों को ध्यान में रखकर डाक घरों के लिये कार्यभार और आय का हिसाब लगाने के सूत्र को हाल में पुनरीक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षण से पूर्व तथा पुनरीक्षण के पश्चात् इस सूत्र की रूपरेखा क्या है?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) विभागेतर डाकघर खोलने के लिये खर्च और आमदनी के फार्मूले की तथा विभागेतर डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें विभागीय डाकघर बनाने के लिये कार्यभार को जांच करने के लिये एक विभागीय समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

चीन में अभी हाल में आये भूकम्प के दौरान घायल हुए भारतीय

1655. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में चीन में आये भूकम्प के दौरान कितने भारतीय परिवारों को पीकिंग से निकाला गया था ;

(ख) क्या भूकम्प के दौरान भारतीय दूतावास का कोई व्यक्ति घायल हुआ था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) पीकिंग-स्थित हमारे राजदूतावास के कर्मचारियों के कुल मिलाकर 18 परिवारों को, जिनमें 34 वयस्क और सभी बच्चे थे, कैण्टन भेज दिया गया। तीन वयस्क और दो बच्चे हांगकांग भेज दिए गए। सत्रह वयस्क पीकिंग में ही रहे। जिनमें हमारा राजदूत शामिल है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Introduction of Workers' Participation in M.P.

1656. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) the names of the textile and other industries of Madhya Pradesh in which scheme of workers' participation in the management has been introduced and the dates on which it has been introduced in each industry; and

(b) the sphere in which the workers have been allowed to participate and the nature of the profit and loss to be shared by the workers also?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma: (a) and (b). The information is being collected from the Government of Madhya Pradesh and will be laid on the Table of the House.

P.F. Outstanding against and Deposited by Proprietors of "Bhaskar" and "Janbodh" Newspapers

1657. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) the amount of provident fund deposited and that remains outstandign, against the proprietors of the daily "Bhaskar" published from Gwalior, Jhansi, Bhopal and Ujjain and of "Jan Bodh" published from Sahdol, from 1973 to march, 1976. year-wise; and

(b) if so, the action taken by Government against the proprietors for not depositing the same in time?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) and (b). The Provident Fund Authorities have reported as follows:—

The 'Daily Bhashker' Bhopal along with its branches at Jjjain and Jhansi was covered under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 with effect from 1-3-1965 treating all its branches as one unit. A prosecution complaint under Section 14 of the Act was filed for non-compliance. The establishment, however, contested the applicability of the Act. At present an appeal of the Provident Fund Authorities is pending before the High Court, Jabalpur. Since matter is subjudice, the question of depositing or non-depositing of the provident fund dues during the years from 1973—76 does not arise. The 'Jan Bodh' Sahdol has been covered under the Act with effect from 1-7-1976 only. The question of details of dues/recoveries during 1973 to March, 1976 does not arise.

Bringing out of Hindi Version of Telephone Directory for Madhya Pradesh

***1658. Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Communication** be pleased to state:

(a) Whether Hindi version of telephone directory is not being brought out in Madhya Pradesh for the last several years; and if so, the facts thereof;

(b) the number of English and Hindi version of directories and their supplements brought out so far since 1973 and the gap between Hindi and English publications;

(c) whether Madhya Pradesh is a Hindi speaking State; and if so, the main reasons for delay in bringing out the Hindi directory; and

(d) whether several complaints have been made by the subscribers regarding Hindi version directory; and if so, the remedial measures taken in this regard?

The Ministry of Communication (Dr. Shanker Dayal Sharma): (a) The last Hindi version of Madhya Pradesh Circle directory was brought out in January, 1971.

(b) Since 1973 one Main English Directory and six supplementary issues were brought out for M.P. Circle. No Hindi directory or its supplementary has been published after January, 1971.

(c) The delay in bringing out Hindi directory has been due to certain unavoidable difficulties in the appointment of printers and advertising agents.

(d) No complaints have been received. However, efforts are being made to print Hindi directories at divisional level.

Schemes for setting up Medical Councils at States Level

1659. Shri Bhagirath Bhanwar: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether a scheme has been submitted by Madhya Pradesh and other States for setting up Medical Councils at States level; if so, the outlines thereof; and

(b) the institutions at central level exercising control over medical facilities?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque): (a) No.

(b) Ministry of Halth and Family Planning (Department of Health) in the Government of India and the Medical Council of India are exercising control over medical educational facilities.

भारतीय जहाजरानी निगम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या

1660. **श्री एन० ई० होरो** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जहाजरानी निगम के कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है और उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित कोटे में उनके कर्मचारियो के प्रतिनिधित्व में कोई कमी ध्यान में आई है ; और

(ग) यदि हां, तो इन स्थानों को भरने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी): (क) शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया में नियुक्त तटीय स्टाफ में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऐसे 1,687 कर्मचारियों में से 135 अनुसूचित जाति और 10 अनुसूचित जनजाति के हैं।

(ख) और (ग). दोनों ही वर्गों में कमी है। शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया को हिदायत की गयी है कि वे इस कमी को पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाये।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार इंजीनियर तथा डाक्टर

1661. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों के अनुसार दिसम्बर, 1975 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने इंजीनियर, टेक्नीशियन, डाक्टर तथा अन्य प्रशिक्षित स्नातक बेरोजगार थे; और

(ख) ऐसे कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और(ख). उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०–11242/76]

केरल के आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

1662. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में तथा सामरिक महत्व के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सड़कों के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). केरल के आदिवासी उप योजना क्षेत्र के दो आदिवासी क्षेत्र अर्थात् (1) अट्टापड्डी और (2) उत्तर और दक्षिण वाइनद के लिए सड़क निर्माण और अन्य कार्यक्रमों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अब

आदिवासी उप-योजना क्षेत्र के संबंध में प्रस्ताव की अभी राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है। सड़क कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार ने अट्टापड्डी और दक्षिण बाइनद आदिवासी क्षेत्र के लिए क्रमशः 145 लाख और 175 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगी है। केरल की आदिवासी उपयोजना के लिए कुल परिव्यय को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, क्योंकि सम्पूर्ण संशोधित आदिवासी उप-योजना अभी तक राज्य सरकार द्वारा भेजी जानी है।

खनिजों और खनिज वाले क्षेत्रों के विकास के लिए विकास उपकर

1663. **डा० लक्ष्मी नारायण पाँडेय :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकास उप-कर सम्बन्धी समिति, द्वारा मई, 1973 में की गई सिफारिशों पर विचार किया है; और

(ख) क्या सरकार की यह राय है कि खनिज और खनिज वाले क्षेत्र के विकास के लिए विकास उप-कर लगाना आवश्यक है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) व (ख). खनिजों पर विकास उपकर संबंधी समिति की सिफारिशें अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं।

नीम के कारण अस्थमा तथा अन्य एलर्जियां होने की घटनाएं

1664. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जुलाई, 1976 के 'टाइम्स आफ़ इण्डिया' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि नीम का पेड़, जिसके पत्ते रोगाणु नाशक होते हैं और अत्यन्त चैकित्सिक महत्व के होते हैं, राजधानी (नई दिल्ली) में बड़े पैमाने पर अस्थमा रोग तथा अन्य श्वास संबंधी एलर्जियां फैलाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) बल्लभभाई पटेल वृक्ष संस्थान ने, जोकि वृक्ष-रोगों पर अनुसंधान करता है, कुछ समय पूर्व इस संबंध में कुछ परीक्षण किये थे और उन्होंने यह देखा कि कुछेक बिरले मामलों को छोड़ कर नीम, दमा एवं अन्य श्वास संबंधी एलर्जियां पैदा नहीं करता।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8

1665. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद से बसाड तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को चार संकीर्ण पथों में विभक्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा है; और

(ग) योजना को आवश्यक निधि प्रदान करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी नहीं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल में नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

समुद्र तटीय राजमार्ग

1666. **श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़ : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र तटीय राजमार्गों से संबंधित कितने कार्य चल रहे हैं;

(ख) ये कब तक पूरे हो जायेंगे;

(ग) अभी तक कितने कार्य आरम्भ किये जाने शेष हैं; और

(घ) उनको कब तक पूरा करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) संभवतया माननीय सदस्य गुजरात में तटीय राजमार्गों का उल्लेख कर रहे हैं। ये राज्य सड़कें हैं, और 36 कार्य इस समय प्रगति पर हैं। राज्य सरकार की संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर यथाशीघ्र इन कार्यों को पूरा करने की संभावना है। 43 कार्य अभी हाथ में लिये जाने हैं। राज्य सरकार की संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उन पर छठी पंचवर्षीय योजना में विचार करने की संभावना है।

आदमी द्वारा चलाये जाने वाले रिक्शा को मोटर से चलाया जाना

1667. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदमी द्वारा चलाये जाने वाले रिक्शा को मोटर से चलाने को कहा था और गत केन्द्रीय बजट में इस कार्य के लिये उत्पादन शुल्क में छूट दी थी; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक और किन-किन राज्यों में मोटर चालित रिक्शा सड़कों पर चलने लगे हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :(क) और (ख) राजस्व और बैंकिंग विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार, उनके द्वारा संबंधित हितों से प्राप्त अभ्यावेदनों के बाद शुल्क मद संख्या उप-मोटर वाहन के अन्तर्गत पावर से चलने वाले साइकिल रिक्शों को उन पर लगाये जाने वाले पूर्ण शुल्क से, 1976 बजट के अंग के रूप में, छूट दी गई है। उनके पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं है कि इस छूट के फलस्वरूप मोटर से चलने वाले कितने रिक्शे सड़कों पर चल रहे हैं।

बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ द्वारा भविष्य निधि की राशि का जमा न किया जाना

1668. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 9 फरवरी, 1976 के अपने निर्णय में बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत एक उद्योग घोषित किया है

परन्तु कर्मचारियों की भविष्य निधि की 85 लाख रुपये की राशि अभी तक जमा नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :--

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत एक उद्योग ठहराया था। इस निर्णय के विरुद्ध प्रबन्धकों की अपील सर्वोच्च न्यायालय के पास लम्बित है। इस प्रतिष्ठान पर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1952 लागू होता था और उचित जांच के पश्चात् क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने इस प्रतिष्ठान से वसूल की जाने वाली राशियों का निर्धारण किया। प्रबन्धकों ने इस निर्धारण के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय में अपील की है और प्रबंधकों की प्रादेश याचिका के निपटान के लम्बित रहने तक उच्च न्यायालय ने इस मामले में रोधनादेश जारी किया है। इस याचिका के विरुद्ध प्रतिवाद किया जा रहा है।

बड़ौदा और दिल्ली, बम्बई, पूना तथा राजकोट के बीच सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था करना

1669. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ौदा और दिल्ली, बम्बई, पूना तथा राजकोट के बीच सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था कब से कर दी जायेगी; और

(ख) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकरदयाल शर्मा) : (क) बड़ौदा के लिये उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा देने का कार्यक्रम इस प्रकार है :

(1) बड़ौदा—बम्बई	1977–78
(2) बड़ौदा—पूना	1977–78
(3) बड़ौदा—राजकोट	1976–77
(4) बड़ौदा—दिल्ली	1978–79

(ख) इस समय अहमदाबाद में ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज लगाया जा रहा है। उपर्युक्त उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवाएं इसी ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज के जरिये देने का प्रस्ताव है। आशा है कि अहमदाबाद का ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज मार्च 1977 में चालू हो जायेगा, जिससे शुरू में बड़ौदा से राजकोट के लिये उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा दी जायेगी। अहमदाबाद और बम्बई के बीच 12 एम-एच-जेड कोएक्सिएल केबुल प्रणाली पूरी हो जाने पर बड़ौदा और बम्बई तथा बम्बई और पूना के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा 1977–78 में देनी व्यवहार्य होगी अहमदाबाद, बम्बई और दिल्ली के ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंजों का पर्याप्त विस्तार हो जाने के बाद उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग के जरिये बड़ौदा को दिल्ली से जोड़ा जायेगा। इस कार्य के वर्ष 1978–79 में पूरा होने की संभावना है।

बड़ौदा टेलीफोन व्यवस्था का विस्तार

1670. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़ौदा टेलीफोन व्यवस्था के विस्तार कार्यक्रम की योजना बना रही है;

(ख) क्या सरकार को बड़ौदा के कासबार एक्सचेंज के असंतोषजनक कार्य-करण की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (डा० शंकरदयाल शर्मा) : (क) बड़ौदा की वर्तमान टेलीफोन प्रणाली में 8600 लाइनों की क्षमता है। अभी हाल ही में 15–8–76 को इसमें 1000 लाइनों का विस्तार किया गया है। मौजूदा एक्सचेंज में 1400 लाइनों का और विस्तार करने तथा 3000 और 400 लाइनों के दो नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना है।

(ख) और (ग) बड़ौदा का कासबार एक्सचेंज जबसे चालू हुआ है, सामान्य रूप से काम कर रहा है। फिर भी मार्च और अप्रैल, 1976 के महीनों में, जब करीब 400 नये टेलीफोन कनेक्शन दिये गये थे और 400 चालू कनेक्शन कोठी एम०ए०एक्स०–1 एक्सचेंज से इस एक्सचेंज में अंतरित किये गये थे, डायल टोन मिलने में थोड़ा विलम्ब होता था। इस एक्सचेंज पर और भार डालना बन्द कर दिया गया था और दूसरे सुधारात्मक उपाय किये गये थे। अब डायल टोन मिलने में कोई विलम्ब नहीं होता है और एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है।

जून 1976 के तूफानों से और जुलाई, 1976 में आई भीषण बाढ़ से बड़ौदा की सम्पूर्ण टेलीफोन प्रणाली को क्षति पहुंची थी। अनेक केबुल और खंबों पर दी गई लाइनें इनसे प्रभावित हुई थीं। उन्हें दुरुस्त करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं और स्थिति तेजी से सामान्य होती जा रही है।

Effect of Import of Steel by MMTC

1671. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether the Minerals and Metals Trading Corporation has imported steel indiscriminately;

(b) whether large stocks of steel sheets and plates have accumulated at Durgapur Steel Plant as a result thereof;

(c) the value of the stocks which have accumulated at the plant; and

(d) whether there is any machinery of Government for ensuring coordination between imports and the indigenous production thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) The Minerals and Metal Trading Corporation of India Limited, at present, is the canalising agency for import of stainless steel sheets, plates and strips. These imports are made according to Government policy.

(b) and (c) The items of steel being imported by MMTC are not produced at Durgapur Steel Plant. Therefore, the question of accumulation of stock at that plant as a result of MMTC imports does not arise.

(d) In formulating the import policy, the domestic production is closely looked into and various Government departments, producing and consuming interests are associated in the discussions before finalising the policy.

Shipping Facilities between Lakshdweep Islands and Mainland

1672. Shri Bhagirath Bhanwar: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether adequate shipping facilities are existing between Lakshdweep Islands and the mainland;

(b) if not, the steps proposed in this direction; and

(c) time taken in the journey from Lakshdweep Islands to the mainland and back at present and whether a proposal is being considered to curtail the time of the journey?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H. M. Trivedi): (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Time for round voyage from Lakshdweep Island to Cochin and back is between 6 and 8 days depending on the ports of call and includes about 3 days' stay of the vessels at Cochin. There is no scope for curtailing the voyage time.

जापानी शिपयार्ड से मालवाहक जहाज प्राप्त करने के लिए भारतीय जहाजरानी निगम का अनुरोध

1673. श्री एम० एस० पुरी : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाजरानी निगम ने सरकार से जापान के एक बड़े शिपयार्ड से कम से कम छः मालवाही जहाज प्राप्त करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या जापानी शिपयार्ड से इससे पूर्व कोई अनुबन्ध किये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) सरकार ने मित्सुबिशि हैवी इन्डस्ट्रीज जापान से 6 बहुउद्देशीय सामान्य माल जहाज प्राप्त करने की स्वीकृति दे दी है। इनमें से चार जहाज शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि० द्वारा प्राप्त किये जायेंगे।

(ख) जी, हां।

(ग) चालू दशक के दौरान शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया ने जापान से 6 तेल वाहक जहाज और एक भारी माल वाहक जहाज प्राप्त किया है। सभी 6 टैंकरों की कीमत सुपुर्दगी पर चार टैंकरों के लिए विश्व बैंक ऋण की सहायता से और शेष दो के लिए वाणिज्यिक विदेशी मुद्रा ऋण सहायता से चुका दी गई। भारी माल वाहक जहाज शिपयार्ड ऋण से प्राप्त किया गया था जिसमें कीमत का 80 प्रतिशत प्रतिवर्ष 7.75 प्रतिशत की दर से 16 अर्धवार्षिक किस्तों में प्रति देय है।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज द्वारा निर्यात

1674. श्री राजदेव सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज ने किस्म, मूल्य तथा उपकरणों के आधार पर प्रतिस्पर्द्धा करके बड़े पैमाने पर निर्यात का काम करने की योजना बनाई है;

(ख) क्या आई०टी०आई० ने पहले 40 से अधिक देशों को स्ट्रोजर एक्सचेंज उपकरण और टेलीफोनों का निर्यात किया है; और

(ग) यदि हां, तो आयात करने वाले देशों में पहले निर्यात की गई मशीनों और सामग्री के बारे में लोकमत क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकरदयाल शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) निर्यात की गई मशीनों और सामान के बारे में आम राय बहुत अच्छी है।

हरिजनों और आदिवासियों को ऋण ग्रस्तता से मुक्त करना

1675. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में कितने आदिवासियों, हरिजनों और अन्य पददलित लोगों को साहूकारों के शिकंजे से मुक्त किया गया है और उन्हें उनकी रहन रखी हुई सम्पत्ति वापस दिलाई गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने के शीघ्र बाद सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

अफ्रीकी-एशियाई विधि-सलाहकार समिति का सम्मेलन

1676. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीकी-एशियाई विधि सलाहकार समिति (एफ्रो-एशियन लीगल कन्सलटेटिव कमेटी) का सम्मेलन जुलाई 1976 में क्वालालम्पुर में हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सम्मेलन में समुद्री कानून पर चर्चा हुई थी ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) जी हां।

बम्बई और दिल्ली में 'टेलेक्स ट्रेफिक' के लिये 'इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज'

1677. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस बम्बई और दिल्ली में 'टेलेक्स ट्रेफिक' का काम करने के लिये 'इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज' लगायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी विदेशी फर्म के साथ किसी ठेके पर हस्ताक्षर किये गये हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकरदयाल शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बम्बई केन्द्र के लिए आवश्यक उपस्कर सप्लाई करने के बारे में स्विट्जरलैण्ड के मैसर्ज हासलर के साथ एक करार पर हस्ताक्षर हो गये हैं। इनकी अनुमानित लागत 80 लाख स्विस फ्रैंक (लगभग 2.58 करोड़ रुपये) है और तीसरे स्विस ऋण के अन्तर्गत इसमें पूंजी लगाई जा रही है। इस प्रायोजना की अनुमानित लागत कुल 4.35 करोड़ रुपये है। प्रारम्भ में इस

टेलेक्स एक्सचेंज में 450 अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स ट्रंकों के टर्मिनेशन की क्षमता होगी। कालान्तर में अतिरिक्त उपस्कर जोड़कर इसको 2000 ट्रंक तक बढ़ाने की व्यवस्था भी है।

नई दिल्ली केन्द्र में इलेक्ट्रोनिक टेलेक्स एक्सचेंज लगाने की प्रायोजना रिपोर्ट भी तैयार की गई है जिसमें काफी सामान स्वदेशी होगा। इसे शीघ्र ही मंजूर किये जाने की संभावना है। इसकी अनुमानित लागत 4.27 करोड़ रुपये है।

कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी का लागू किया जाना

1678. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी लागू करने और उन्हें संरक्षण देने के लिये मुख्य मंत्रियों को निदेश दिये हैं; और

(ख) यदि हां; तो इसे राज्यवार, कहां तक क्रियान्वित किया जा रहा है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी की दरों के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वियन की आवश्यकता को राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया है, उन पर इस बात की निगरानी रखने का भी जोर दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कृषि श्रमिकों के हित को पूर्णतया सुरक्षित रखा जाता है।

विभिन्न राज्य सरकारें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अधीन निरीक्षण तंत्र को मजबूत बनाने और दावा प्राधिकारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कार्यवाही कर रही है ताकि प्रभावी कार्यान्वियन को सुनिश्चित किया जा सके।

सीमा पर होने वाली घटनाओं के बारे में बंगला देश के साथ वार्ता

1679. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय शिष्टमंडल द्वारा ढाका में जून 1976 में की गई वार्ता में सीमा की स्थिति और सीमा पर होने वाली घटनाओं का पुनर्विलोकन किया गया था, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी, हां।

(ख) सीमा की घटनाओं में भारत का हाथ होने के निराधार आरोपों का प्रतिकार करते हुए भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने भारत की शांतिमय सीमा की इच्छा को पुनः दुहराया तथा बंगलादेश की आंतारिक समस्याओं के लिए भारत को बलि का बकरा बनाने के प्रयासों को खेदजनक बताया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने इस बात की पुनः पुष्टि की कि भारत बंगलादेश की प्रभुसत्ता, गणतंत्रता तथा प्रादेशिक अखण्डता में विशेष रुचि रखता है। भारत की इच्छा है कि बंगलादेश सुदृढ़ एवं सम्भन्न हो। यह भारत के अपने हित में है तथा उप महाद्वीप में शांति और सहयोग के लिए प्रयास करने की भारत की नीति के समनुरूप भी है।

Introduction of Direct Dialling System in Bhagalpur

1680 **Shri G. P. Yadav:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the residents of Bhagalpur in Bihar have to waste a lot of time and face great difficulties in getting a call on the telephone; and

(b) if so, the time by which the Direct Dialling System is being introduced in Bhagalpur?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma): (a) No, Sir.

(b) Direct dialling system in Bhagalpur has been planned to be introduced early in the sixth Plan period subject to land for the exchange being available well in time.

गुजरात में राष्ट्रीय राजपथ

1681. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में राष्ट्रीय राजपथ की मील दूरी बढ़ाने की कोई योजना है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). संभवतः माननीय सदस्य पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति नये मार्गों को शामिल करने के लिये प्रश्न का उल्लेख कर रहे हैं। वित्तीय कठिनाइयों के कारण भारत सरकार वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में किसी नये मार्ग को शामिल करने के बारे में किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने में असमर्थ है।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा भारत को मलेरिया की गोलियों की सप्लाई

1682. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि ने चालू वर्ष में भारत के लिये कोई मलेरिया-निरोधक गोलियां प्राप्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत को ऐसी कुल कितनी गोलियां सप्लाई की गई; और

(ग) क्या कुल खेप से भारत की आवश्यकता पूरी हो जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख). यूनिसेफ ने देश में मलेरिया से पीड़ित बच्चों के लिए 11 करोड़ 70 लाख क्लोरोक्विन गोलियां सप्लाई करने की पेशकश की है। इनमें से अब तक 3 करोड़ 26 लाख गोलियां ही प्राप्त हुई हैं।

(ग) भारत सरकार राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत जितनी मलेरिया रोधी गोलियों का इन्तजाम कर रही है यूनिसेफ से उपहार स्वरूप मिलने वाली इन गोलियों से उसमें कुछ मदद मिल जायेगी।

कोलार स्वर्ण क्षेत्रों के निकट नये स्वर्ण निक्षेप

1683. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार स्वर्ण क्षेत्रों के निकट नये स्वर्ण निक्षेप पाये गये हैं ;

(ख) क्या इन निक्षेपों से कोलार स्वर्ण क्षेत्र का काम चलता रहेगा ; और

(ग) क्या भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तीन वर्षों तक किये गए विस्तृत सर्वेक्षण के दौरान इन नये निक्षे ों का पता लगा ?

स्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) : गत तीन वर्षों के ौरान भारतीय भूगर्भ सर्वे द्वारा भारत गोल्ड माइन्स लि० के सहयोग से कि गये सर्वे कार्य से कोलार स्वर्ण क्षेत्र में मैसूर खान के पश्चिमी भाग के मेटागर्ट के वर्टिकल शैफ्ट एरिया; कर्नाटक में पूर्वी बेट्राय स्वामी और मणि गट्टा विस्तार तथा आंध्र प्रदेश में कोलार स्वर्ण क्षेत्र के दक्षिण विस्तार की ओर नल्लप्पाकोंडा तथा विसनाथम इलाकों में स्वर्ण खनिजीकरण का पता चला है। जहां तक कोलार स्वर्ण क्षेत्र के और अधिक समय तक चलते रहने का सवाल है इसका निर्धारण गहराई में समन्वेषण कार्यक्रम के पूरा होने के बाद ही किया जा सकता है।

कलकत्ता पत्तन का बढ़ता हुआ यातायात

1684. **श्री राजदेव सिंह** : क्य **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975–76 में कलकत्ता पत्तन के माध्यम से होने वाला कुल समुद्री यातायात गत वर्षों के 75,36,000 टन की तुलना में बढ़कर 7699000 टन हो गया जबकि इसी वर्ष में अन्तर्देशीय पोत घाट यातायात, फिर भी, गत वर्षों के 3,88,000 टन की तुलना में कम होकर 3,27,000 टन रह गया;

(ख) क्या यह वृद्धि माल उतारने लादने में बरते गये अत्यधिक अनुशासन अथवा कृतिक बल द्वारा बरती गई अत्यधिक सतर्कता अथवा फरक्का बांध से भगीरथी में पानी छोड़े जाने जैसी किसी अन्य बात के कारण हुई है, और

(ग) इसका सही स ी कारण क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) : यद्यपि आपात स्थिति की घोषणा के फलस्वरूप पत्तन पर उत्पादकता मे वृद्धि हुई है, टन भार में वृद्धि का मुख्य कारण हल्दिया रिफाइनरी द्वारा कच्चे तेल की मांग में हुई वृद्धि के कारण पी० ओ० एल० यातायात था।

Artificial Insemination

1685. **Shri Lalji Bhai**: Will the Minister of **Health and Family Planning** be ppleased to state the State-wise number of women who have had pregnancy through artificial insemination in India during the last three years?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque): This information is not readily available. It will be placed on the Table of the Sabha as soon as it can b ecollected from all the Government hospitals in the country that may be providing this service.

भारत बंगला देश संबंध

1686. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के साथ भारत के संबंधों में गत तीन मास में सुधार हुआ है; और

(ख) दोनों देशों के बीच विवादास्पद मामलों में से कितने मामले अब तक निपटायें जा चुके हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) : बंगलादेश के साथ संबंध सुधारने में भारत ने अनेक प्रकार से पहल की है ; परन्तु दुर्भाग्य से उनकी प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं रही है।

(ख) भारत और बंगलादेश के बीच जिन महत्वपूर्ण मामलों को समझौते के माध्यम से निपटाया गया है उनमें से एक का संबंध थल सीमा को अंकित करने से है जिस पर 16 मई, 1974 को दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों ने हस्ताक्षर किय थे।

कलकत्ता पत्तन पर फालतू श्रमिक

1687. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड के कलतत्ता पत्तन पर फालतू श्रमिकों की संख्या कम करने के लिये कार्यवाही की है ।

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है, और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) : कलकत्ता पत्तन को परिचालनात्मक दृष्टि से कार्य-कुशल और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिये कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड ने जो एक त्रिपक्षीय संगठन है, 4-7-1976 को हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह पारित किया कि धारा उठाई किये जाने वाले चालू यातायात को वर्तमान प्रवृत्तियों के अनुसार बोर्ड के कार्य-बल को पुनः संगठित करना नितांत आवश्यक हो गया है। बोर्ड के अध्यक्ष को प्रत्येक प्रवर्ग में अपेक्षित रजिस्टर्ड कामगारों की संख्या निर्धारित करने और फालतू कामगारों को उचित प्रतिपूरक राशि देने के बाद उन्हें कार्यमुक्त करने के लिये उचित कार्यवाही संबंधी मूल्यांकन करने के लिये प्राधिकृत किया गया।

(ग) सरकार इस बैठक के बाद स्पष्ट प्रस्ताव आने की प्रतीक्षा कर रही है।

जन्म-दर में नियोजित स्तर तक कमी

1688. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के अन्त तक जन्म-दर में नियोजित स्तर तक कमी होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० सहाक) : (क) जी, हां।

(ख) अनुमान है कि वर्ष 1975-76 के दौरान जन्म-दर जो 1961 में 41 प्रति हजार थी, घट कर 35 प्रति हजार हो गई होगी। आशा है कि पांचवी योजना की बकाया अवधि के लिये निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लेने से पांचवीं योजना के अन्त तक जन्म-दर घट कर 30.7 रह जाएगी। इस कार्यक्रम के अनुसार छठी योजना के अन्त तक जन्म-दर को घटाकर 25 प्रति हजार जन्मसंख्या के स्तर तक ले आने का विचार है।

नौवहन कम्पनियों से ऋण की वसूली

1689. **श्री एम० कतामुतु :**
श्री के० एम० मधुकर :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच प्रमुख नौवहन कंपनियों से अभी भी ऋण के बीस लाख रुपए वसूल किये जाने हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त धन राशि वसूल करने के लिये कोई उपाय किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) शिपिंग कम्पनियों को नौवहन विकास निधि समिति द्वारा दिय गये ऋण की वापसी कंपनियों द्वारा किस्तों में की जाती है जो कि समिति द्वारा निश्चित वापसी की अनुसूची के अनुसार होती है। ऐसी कोई ऋण की राशि नहीं है जिसकी वापसी देय हो परन्तु जो वापिस न ले लिया गया हो।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उचित दर की दुकानें खोलना

1690. **श्री भान सिंह भौरा :**
श्री के० एम० मधुकर :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारियों के लाभ के लिये औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उचित दर की दुकानें स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) कुछ समय पहले तैयार की गई योजना के अनुसार, राज्य सरकारों और नियोजक मंत्रालयों को समय-समय पर 300 या उससे अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले सभी प्रतिष्ठानों में उचित

दर दुकानों उपभोक्ता सहकारी भण्डार स्थापित करने के लिये प्रेरित किया जा रहा है। अब तक की प्रगति इतनी अच्छी नहीं है जिससे कि हमें पूर्ण संतोष मिले जिसका मुख्य कारण ऐसी दुकानों भण्डारों को खाद्यान्न की सतत् पूर्ति के आश्वासन की कमी थी। इस मामले का उपलब्धता की सुधरी हुई स्थिति की दृष्टि में 10 अगस्त, 1976 को हुई अन्तः-मंत्रालय बैठक में पुनरीक्षण किया गया था और ऐसी दुकानों/भण्डारों को खाद्यान्नों आदि की लगातार पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिये सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से एक व्यवहार्य योजना तैयार की जा रही है।

कृषि श्रमिकों के लिये संवर्ग प्रशिक्षण शिविर

1691. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में कृषि श्रमिक संगठन की गतिविधियों के लिये संवर्ग प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली, जो श्रम मंत्रालय के अधीन एक स्वायतशासी निकाय है, विभिन्न राज्यों में ग्रामीण श्रमिकों के संगठनों की सहायता करने के लिये प्रशिक्षण शिविर संचालित कर रहा है।

(ख) इन कार्यक्रमों की मुख्य रूपरेखा निम्नानुसार है :—

(i) ग्रामीण श्रमिकों को कथित लाभ और सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य और केन्द्रीय कानूनों और विनियमों के विभिन्न उपबंधों की जानकारी देना ; और

(ii) नियोजकों को नेतृत्व निपुणता विकसित करने में सहायता देना ताकि वे ग्रामीण श्रमिकों को और प्रभावी ढंग से संगठित कर सकें। यह भी उल्लेख कर दिया जाए कि ग्रामीण श्रमिकों शिविरों में भाग लेने वालों को राज्य श्रम विभाग के तंत्र द्वारा चुना जाता है जो विभिन्न ग्रामीण श्रमिक संगठनों से परामर्श करते हैं।

दिल्ली में नसबंदी एवं बन्ध्याकरण के निःशुल्क आपरेशन

1692. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सभी सरकारी तथा गैर-सरकारी अस्पतालों का, नर्सिंग होम्स, डिस्पैन्सरियों तथा क्लिनिक्स द्वारा नसबन्दी तथा बन्ध्याकरण के आपरेशन निःशुल्क किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त सत्र को आदेश जारी किये हैं अथवा करने का विचार है कि सरकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाये; और

(घ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी, हां। सारे सरकारी अस्पताल, कई स्वैच्छिक अस्पताल और कुछ नर्सिंग होम नसबन्दी आपरेशन

मुफ्त कर रहे हैं। केवल उन्हीं डिस्पेंसरियों और क्लिनिकों में नसबन्दी आपरेशन किये जाते हैं जिनमें विशेष प्रबन्ध किये गये हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०—11243/76]

(ग) प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होमों ने इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहयोग देने की पेशकश की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Pending Telephone Applications in Patna

1693. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether applications for new telephone connections from subscribers are pending in Patna;

(b) if so, the facts thereof;

(c) whether applications of several legislators are also pending;

(d) if so, the particulars thereof;

(e) th steps bing taken by Government in this regard?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma): (a) and (b). Yes, Sir. The waiting list for new telephone connections at Patna is 244—

OYT		Nil
Special	..	
General	..	238

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

(e) A new Exchange of 800 lines is under installation at Pataliputra and is likely to be commissioned by the end of 1976. The additional capacity will fully cover the existing waiting list and some future demands as well.

स्टेट रोड्स आफ इंटर स्टेट और इकानामिक इम्पोरटेंस

1694. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री सी० जनार्दनन :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने स्टेट रोड्स आफ इण्टर स्टेट और 'इकानामिक इम्पोरटेंस' सम्बन्धी योजना को पांचवीं योजना में शामिल करने के बारे में केरल राज्य से प्रस्ताव मांगा था;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने अपने प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजे हैं; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या राय है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) वित्तीय कठिनाइयों के कारण उपलब्ध धनराशि चालू कार्यों के लिये भी पर्याप्त नहीं है और इसलिये भारत सरकार अभी तक पांचवीं योजना में अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों की योजना के अन्तर्गत किसी भी नयें कार्य के लिये ऋण सहायता मंजूर नहीं कर सकी हैं।

बोनस सूत्र का पुनरीक्षण

1695. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमिकों के लिये बोनस सूत्र में कोई संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) उसका श्रमिकों ने कहां तक स्वागत किया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) 25 सितम्बर, 1975 को प्रख्यापित किए गए बोनस भुगतान (संशोधन) अध्यादेश द्वारा बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में कतिपय परिवर्तन किए गए थे। बाद में, इस अध्यादेश को बोनस भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। फार्मूले में और आगे कोई परिवर्तन नहीं किए गए हैं।

गुजरात के लिये नई टेलीफोन लाइनें

1696. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के अन्त तक 7,50,000 और अधिक टेलीफोन लाइनों की व्यवस्था की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अन्त तक गुजरात राज्य में कितनी नई टेलीफोन लाइनों की व्यवस्था की जायेगी ;

(ग) क्या गुजरात राज्य में पांचवीं योजना के आरम्भ से कोई नई टेलीफोन लाइनों की व्यवस्था नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और भविष्य में कितनी नई लाइनों की व्यवस्था की जायेगी ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख), (ग) और (घ) गुजरात के टेलीफोन एक्सचेंजों में कुल 80,000 लाइनों का विस्तार करने का प्रस्ताव है, जिनमें से वर्ष 1974–75 और 1975–76 के दौरान क्रमश: 11,130 और 14,676 लाइनें जोड़ी गई थीं।

Posts of Ambassadors Lying Vacant

1697. Shri Shankar Dayal Singh: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the names of countries where the posts of ambassadors are lying vacant at present in our Embassies abroad; and

(b) the main reasons therefor and the time by which the ambassadors would be posted in those countries?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) Guyana, Iran, Panama, Qatar, Venezuela, Malagasy, Netherlands, Democratic People's Republic of Korea and Sweden.

(b) Vacancies arose in the normal process of periodical rotation. Heads of Missions for Guyana, Iran, Venezuela, Qatar and Panama have been selected and

they will be joining their respective posts shortly. The selection for the remaining vacant posts is under consideration and will shortly be finalised.

Indian Ambassador to China

1698. Shri Shankar Dayal Singh: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the new Indian ambassador to China met Chairman Maot-se Tung of China; and

(b) if so, when and where?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) No, Sir.

(d) Does not arise.

World Hindi Conference in Mauritius

†1999. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of External Affairs be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal for sending a delegation to World Hindi Conference being convened in Mauritius; and

(b) if so, the facts in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) Yes, Sir.

(b) A list of the members of the delegation in enclosed. [Placed in Library. *See* No. LT-1144/76].

रत्नगिरि हार्बर को पूरा करना

1700. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रत्नगिरि हार्बर की योजना के अनुसार पूरा कर लिया गया है; यदि हां, तो कब ;

(ख) इस हार्बर को सभी मौसमों के लिये उपयोगी बनाने हेतु और क्या सुधार आवश्यक हैं; और

(ग) ये सुधार कब किये जायेंगे और किस के द्वारा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग). केन्द्रीय ऋण सहायता से रत्नगिरि बन्दरगाह के विकास की स्वीकृति योजना 1973 में पूरी हो गई है। यह छोटा पत्तन होने से और सुधार, यदि कोई हों, राज्य सरकार द्वारा राज्य पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में हाथ में ली जाएंगी और निष्पादित की जायेगी।

रत्नगिरि और कोरबा एल्यूमीनियम संयंत्रों को सप्लाई किये जाने वाले बाक्साइट में सिलिका और एल्यूमिना की मात्रा

1701. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रत्नगिरि एल्यूमीनियम सन्यन्त्र और कोरबा एल्यूमीनियम सन्यन्त्र को सप्लाई किये जाने वाले बाक्साइट में सिलिका और एल्यूमिना की प्रतिशत क्या है ;

(ख) इन सन्यन्त्रों को सप्लाई किये जाने वाले कौन से बाक्साइट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और कौनसा बेहतर है;

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने रत्नगिरि परियोजना के लिए भूमि, सड़क, बन्दरगाह, पानी और बिजली सप्लाई करने के बारे में किन सुविधाओं की पेशकश की है; और

(घ) रत्नगिरि में सन्यन्त्र स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :

(क)

	एलूमिना	सिलिका
रत्नगिरि . .	50.5 प्रतिशत	3.6 प्रतिशत
कोरबा	47 प्रतिशत	4.5 प्रतिशत

(ख) दोनों बाक्साइट निक्षेपों की मात्रा और किस्म की श्रेष्ठता के बारे में कोई स्पष्ट संकेत देना सम्भव नहीं है क्योंकि उनमें से एक (कोरबा) में खुदाई का काम चल रहा है और दूसरे (रत्नगिरि) में अभी खुदाई का काम शुरू होना है।

(ग) राज्य सरकार न सभी ऊपरवर्ती सुविधाएं देने का वचन दिया है।

(घ) वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस परियोजना का कार्यान्वयन अभी शुरू नहीं किया गया है।

वर्ष 1976-77 के दौरान महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजपथों की मरम्मत

1702. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 के दौरान महाराष्ट्र में कौन-कौन से राष्ट्रीय राजपथों पर मरम्मत, चौड़ा करने अथवा आधुनिकीकरण करने का काम आरम्भ किया गया है;

(ख) प्रत्येक मामले में काम पूरा करने की समय-सीमा क्या है; और

(ग) इन राजपथों में से प्रत्येक के लिये इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार को ऋण और राज सहायता की कितनी धनराशि दी गई है या देने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). महाराष्ट्र राज्य में 9 मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग हैं ? इन राष्ट्रीय राजमार्गों, जो मौजूदा सड़कें हैं, का अनुरक्षण किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 13 को छोड़, शेष पर निकट भविष्य की यातायात मांग को पूरा करने के लिए लगभग 47.00 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर सुधार किया जा रहा है। सुधारात्मक कार्यों में ये शामिल हैं—सशक्त करके या बिना सशक्त किये दोगली तक चौड़ा करना, रा० रा० सं० 3 पर कालवा कशेली और मलेगांव में नये पुलों का निर्माण, रा० रा० सं० 4 पर कोल्हापुर के समीप पंचगंगा नदी पर पुल और रा० रा० सं० 6 पर जलगांव के निकट गिरना नदी पर पुल का निर्माण। ये सुधार कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं और यदि धन, जिसका अभाव है, उपलब्ध हुआ तो सुधार कार्यों के पांचवीं योजना अवधि के अन्त तक पूरे हो जाने की सम्भावना है।

(ग) चूंकि संवैधानिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग केन्द्रीय विषय है, इनके विकास और अनुरक्षण का पूरा व्यय प्रत्यक्ष व्यय के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसलिए ऋण और राज सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता। 1976-77 में महाराष्ट्र में सड़कों के विकास, सुधार और आधुनिकीकरण के लिए 700 लाख रु० की राशि आवंटित की गई है। जहां तक मरम्मत कार्यों का प्रश्न है 78.51 लाख रुपए अब तक आवंटित किए गये हैं और अगली धनराशि, जो निर्धारित मानदण्डों के अनुसार स्वीकार्य पाई गई, चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में आवंटित की जायेगी।

बेलेकेरी पत्तन के अयस्क हैंन्डलिंग लक्ष्य

1703. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में पश्चिमी तट पर बेलेकेरी पत्तन द्वारा 1976-77 और 1977-78 वर्षों में अयस्क को हैंडलिंग के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) क्या पत्तन पर उपलब्ध वर्तमान सुविधाओं का पूरा उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या पत्तन पर हैंडलिंग सुविधाओं में सुधार करने का कोई विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग). बेलेकेरी कर्नाटक सरकार के नियंत्रणाधीन एक छोटा पत्तन है। राज्य सरकार ने बताया है कि वर्तमान सुविधाओ को यंत्रीकृत बजरा उठाई सुविधाओं द्वारा बढ़ाया जा रहा है ताकि 1976–77 और 1977–78 के लिए निर्यात माल की धरा उठाई की जा सके।

देश में प्रजनन आयु वाले युगल

1704. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) जनसंख्या सम्बन्धी अद्यतन आंकड़ो के अनुसार आज के दिन देश में प्रजनन आयु वाले युगलों की कुल संख्या क्या है;

(ख) उनमें से कितने युगलों की नसबंदी की जा चुकी है;

(ग) शेष युगलों में से कितने प्रतिशत की नसबंदी वर्ष 1976–77 में करने की योजना है; और

(घ) वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार भारत किस वर्ष में शून्य जनसंख्या विकास दर प्राप्त करेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ऐ० के० एम० इसहाक) : 1971 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार जनसंख्या पर प्रजननशील आयु वर्ग के विवाहित दम्पत्तियों के अनुपात के आधार पर अनुमान है कि 30 जून, 1976 को प्रजननशील आयु वर्ग (पत्नि की आयु 15 से 44 वर्ष के बीच) के दम्पत्तियों की संख्या 1047 लाख थी।

(ख) 30 जून, 1976 की स्थिति के अनुसार अनुमान है कि नसबन्दी आपरेशनों द्वारा 150 लाख दम्पतियों को हाल ही में सुरक्षित किया गया है।

(ग) शेष के 4.8 प्रतिशत अर्थात् 43 लाख और दम्पत्तियों का नसबन्दी आपरेशन 1976-77 के बीच करने का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) वर्तमान कार्यक्रम में निहित उद्देश्य के अनुसार छठी योजना के अन्त तक वृद्धि दर को घटा कर 1.4 प्रतिशत तक लाना है। यदि जनन क्षमता में तेजी से परिवर्तन कर शुद्ध प्रजननशील

दर को धटा कर 1980–85 तक परिवर्तित स्तर तक भी ला दिया जाए तो भी अनुमान है कि लगभग 21 वीं सदी के उत्तरार्द्ध तक जनसंख्या बढ़ती ही रहेगी।

जनजाति श्रमिकों को रोजगार

1705. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने ऐसे जनजाति श्रमिकों को सीधे रोजगार देने का अनुरोध किया है जिनका ठेकेदारों द्वारा शोषण किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या देश के अन्य भागों में भी ठेकेदारों द्वारा जनजाति श्रमिकों का शोषण किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन राज्य सरकारो को सीधे जनजाति श्रमिकों को नियुक्त करने के लिये कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): (क) और (ख). गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार राज्य सरकारो के जनजाति विकास क लिए उपयोजनाएं तैयार करने में, बन श्रमिकों की समस्या पर विशेष रूप से विचार करने के लिये सलाह दी गई है। उन मामलों में जहां वन विभाग और वन श्रमिकों के बीच मध्यस्थ और ठेकेदार है, जनजाति श्रमिकों के लिये अनुकूल संबंध सुनिश्चित करने और वन ठेकेदारों एवं मध्यस्थों का अन्त में निष्कासन करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये । जनजाति श्रमिकों को नियमित रोजगार सुनिश्चित करने के लिये वन विभागों को भी उचित कार्यवाही करनी है।

कुद्रेमुख लौह अयस्क का विदोहन

1706. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख के लौह अयस्क का विदोहन इस प्रयोजन के लिये बनाये गये एक अलग निगम द्वारा किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो निगम सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये कंपनी अधिनियम के अधीन कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि० के नाम से एक नई कंपनी बनाई गई है।

(ख) इस कंपनी के बारे में मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) पंजीयित कार्यालय :	बंगलौर
(2) अधिकृत पूंजी :	150 करोड़ रुपये सभी शेयर भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिद्त्त हैं।

(3) निदेशकों की संख्या : कम से कम 5 अधिकाधिक 13

(4) निदेशकों की नियुक्ति : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी ।

कर्नाटक में मेडिकल कालेजों द्वारा प्रति व्यक्ति फीस लिया जाना

1707. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कर्नाटक में गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों द्वारा किस दर से प्रति व्यक्ति फीस तथा अन्य शुल्क लिया गया ;

(ख) क्या इस प्रकार ली गई प्रति व्यक्ति फीस की राशि सम्बद्ध मेडिकल कालेज के पास रहती है अथवा अन्य नियंत्रक संस्था के पास रहती है ; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त कालेज वास्तव में जनता में सार्वजनिक रूप से घोषित राशि से बहुत अधिक फीस वसूल कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जे० जे० **एम0** मेडिकल कालेज देवनगरी : कर्नाटक के छात्रों से उनकी योग्यता के आधार पर प्रति व्यक्ति शुल्क 10,000 रुपये और अन्यों से 35,000 रुपये ।

के० एम० सी० मेडिकल कालेज मणिपाल: कर्नाटक के छात्रों से उनकी योग्यता के आधार पर प्रति व्यक्ति शुल्क 10,000 रुपये और अन्यों से 44,000 रुपये तथा विदेशियों से 6,250 डालर । 1,570 रुपये ट्यूशन फीस सभी से ।

जे० एन० मेडिकल कालेज, बेलगांव: कर्नाटक के छात्रों से उनकी योग्यता के आधार पर प्रति व्यक्ति शुल्क 10,000 रुपये और अन्य से 35,000 रूपये । सभी छात्रों से ट्यूशन फीस 1,250 रुपये ।

एम० आर० मेडिकल कालेज, गुलबर्गा : अभी तक दाखिला नहीं दिया गया ।

(ख) छात्रों से एकत्र की गई फीस संबंधित मेडिकल कालेजों के पास रहती है ।

(ग) जी नहीं ।

पूरे किये गये राष्ट्रीय राजपथ

1708. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने राष्ट्रीय राजपथ बनाये जा रहे हैं जिन पर चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में काम आरम्भ हो गया था ।

(ख) चौथी पचवर्षीय योजना की अवधि में बिहार में कितने राष्ट्रीय राजपथों का काम पूरा हो गया था ; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में बिहार में कितने राष्ट्रीय राजपथ बनाये जायेंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारत में 55 राष्ट्रीय राजमार्ग है। इनमें से 44 1 अप्रैल, 1969 को (अर्थात् चौथी योजना के शुरू में) थे और 11 नए मार्ग चौथी योजनावधि में राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था में शामिल किये गये। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कमियों, यातायात आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धि पर निभर करती है। इस निरंतर प्रक्रिया के भाग के रूप में चौथी योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिये तय किये गये कार्यक्रम में मुख्यत 44 मार्ग शामिल थे जो चौथी योजना के शुरू में मौजूद थे और इस के अलावा इस कार्यक्रम में नए शामिल किये गये मार्गों के कुछ कार्य भी सम्मिलित थे।

(ख) और (ग) : बिहार में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसमें चस-रांची-रुरकेला-तलचेर मार्ग भी शामिल है जिसे मार्च, 1972 में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 23 घोषित किया गया था। नये शामिल किये गये राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 23 और राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6 जो अपेक्षित स्तरों के अनुसार है परन्तु लम्बाई में छोटे हैं, को छोड़कर सभी राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास किया जा रहा है अर्थात यातायात आवश्यकताओ को पूरा करने के लिये चौथी योजना विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में इन राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा और मजबूत करके उन्हें सुधारा जा रहा है। सुधार कार्य प्रगति के विभिन्न चरणो में है। इनमें से कुछ कार्य चौथी योजनावधि में पूरे किये गये और बाकी बचे काम को पांचवीं योजना में शामिल किया गया। धन प्राप्त होने पर इन कार्यों की पांचवी योजनावधि के अंत तक पूरे किये जाने की संभावना है।

यद्यपि पांचवीं योजना के नए कार्यों की सूची को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की यह प्रक्रिया पांचवीं योजना में भो जारी रहेगी और जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

Punishment for Non-Payment of Equal Wages to Male and Female Workers

1709. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) the number of persons pnished under the 20-point economic programme for non-payment of equal wages to male and female workers for the same nature of work, State-wise; and

(b) the number of persons against whom legal action has been taken under the equal Remuneration Act State-wise?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) and (b) Information is being collected.

Cases of Non-Payment of Minimum Wages to Agricultural Labourers pending in Courts

1710. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) th number of cases still pending in courts relating to non-payment of minimum wages to agricultural labourers under the Minimum Wages Act; and

(b) the numbear of such cases, State-wise and the number of persons punished under this Act?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) and (b) The bulk of employment in agriculture falls in the State sphere where the State Governments are the appropriate Governments for fixation/revision of minimum wages under the Minimum Wages Act, 1948 in various scheduled employments including agriculture, as also for implementing the various provisions of the Act. According to the information available with the Central Government, in respect of the Central sphere, no such cases are pending in courts. Information in respect of State Governments/Union Territories is being collected.

कलकत्ता पत्तन श्रमिकों की भर्ती, कल्याण आदि संबंधी समिति

1711. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन श्रमिकों की भर्ती, कल्याण आदि के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और किन को क्रियान्वित करने के लिये स्वीकार कर लिया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गुट-निरपेक्ष प्रेस पूल

1712. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के कोलम्बो सम्मेलन में "गुट निरपेक्ष प्रेस पूल" को अन्तिम रूप देने के प्रश्न पर विचार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस पूल के संगठनात्मक ढांचे का स्वरूप क्या होगा; और

(ग) भारत सरकार इस सम्बन्ध में क्या सहायता देगी ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) जुलाई, 1976 में नई दिल्ली में मन्त्री सम्मेलन में स्वीकृत प्रेस एजेंसी पूल के संविधान को कोलम्बो में गुट-निरपेक्ष देशों की सरकारों और राज्याध्यक्षों के शिखर सम्मेलन ने स्वीकृति दे दी। पूल के संगठनात्मक ढांचे का विवरण उस संविधान में दिया गया है जो व्यापक तौर पर पहले ही प्रचारित किया जा चुका है।

(ग) भारत उपर्युक्त संविधान के अनुसार पूल में सक्रिय भाग लेगा।

कलकत्ता पत्तन में कथित कठिन सीमा शुल्क और प्रशासनिक प्रक्रिया

1713. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन में सीमा शुल्क और प्रशासनिक प्रक्रियाएं इतनी कठिन हैं कि वहां जहाज पर माल लादने में लगभग 15 दिन लगते हैं जबकि अन्य पत्तनों पर सात दिन लगते हैं ;

(ख) क्या विलम्ब के कारण जहाज 1000 टन से 2000 टन तक कम माल ले जा रहे हैं जिससे पत्तन की आय में उतनी ही कमी हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो लाल फीताशाही को दूर करने तथा समस्त प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) । (क) यह सही नहीं है कि कलकत्ता पत्तन में सीमा शुल्क और प्रशासनिक क्रियाविधि विशेष रूप से जटिल है। वास्तव में सभी पत्तनों में एक सी सीमा शुल्क क्रियाविधि अपनायी जा रही है।

(ख) और (ग) टर्मिनल पत्तन होने से इस पत्तन को आयात माल लाने वाले जहाज अपनी वापसी पर निर्यात माल ले जाते हैं, वे पत्तन पर उपलब्ध पोत मरम्मत सुविधाओं का भी फायदा उठाते हैं। कर्मीदल में भी यह प्रवृत्ति रही है कि वे तट पर कुछ देर रुके रहें। इन्हीं कारणों से इस पत्तन पर अन्य पत्तनों की अपेक्षा जहाज अधिक देर तक ठहरते हैं। परन्तु इस क्रियाविधि में तेजी लाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं। पत्तन नौवहन हितों और पोत बणिकों के प्रतिनिधियों का एक कार्यदल का गठन किया गया है जो पत्तन में चालू कार्य पद्धति की जांच करे ताकि जहां कहीं आवश्यक पाया जाए उसको सुप्रवाही बनाया जाए।

नये तार-कोड आरम्भ करने का प्रस्ताव

1714. **श्री बसन्त साठे :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन्देश भेजने के तार-कोड काफी समय से प्रभावहीन रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं और विभाग के हित में नये तार-कोड आरम्भ करने/जोड़ने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्री (डा० शंकरदयाल शर्मा) : (क) डाक-तार विभाग ने सार्वजनिक तार-सन्देश भेजने के लिये कोई तार कोड निर्धारित नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बन्धक श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन

1715. **श्री बसन्त साठे :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिये बन्धक श्रमिकों की समस्याओं का गहन अध्ययन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). श्रम मन्त्रालय के अधीन राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने, जो कि एक स्वायत्त संगठन है, बन्धक श्रमिकों की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर अनेक सूक्ष्म स्तरीय अध्ययनों का आयोजन किया है। उनके कुछ अध्ययनों को राष्ट्रीय श्रम संस्थान की पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा, बन्धक श्रमिक प्रणाली-पुनर्वास उपायों के परिमाण और मूल्यांकन का जिला-वार अनुमान लगाने के लिए निदेशक, श्रम ब्यूरो द्वारा व्यापक गहन अध्ययन करने का एक प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

खेतिहर मजदूरों के लिये योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के लिये विशेष सैल

1716. **श्री वसन्त साठे** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खेतिहर मजदूरों के लिये योजनाओं में समन्वय स्थापित करने तथा उन पर नजर रखने के लिए एक विशेष सैल स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो स्थापित की गई कृषि सैल में कितने कर्मचारी हैं तथा इस पर 1975-76 में कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) क्या 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक प्रभावकारी ढंग से योजनाओं में समन्वय स्थापित करने तथा उन पर नजर रखने के लिये सैल को सुदृढ़ करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) 1975-76 के दौरान सैल के स्टाफ की संख्या निम्न प्रकार थी :--

अनुभाग अधिकारी . .	1
अन्वेषक	2
सहायक	1
लिपिक . . .	1

1975-76 के दौरान किया गया व्यय ० 45,304/- था।

(ग) बन्धक श्रम प्रथा उन्मूलन अधिनियम के लागू होने से, स्वतन्त्र किए गए बन्धक श्रमिकों के पुनर्वास के लिए योजनाओं को सूत्रबद्ध करने के लिए राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों से अनुरोध किया जा रहा है। कृषि श्रमिकों के कल्याण सम्बन्धी क़ानून को लागू करने के लिए भी कार्यवाई की जा रही है। सेल को मज़बूत बनाने के प्रश्न की सतत पुनरीक्षा की जा रही है।

सन्त गाडग महाराज की जन्म शताब्दी पर डाक टिकट जारी करना

1717. **श्री बसन्त साठे** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस वर्ष सन्त गाड्गे महाराज की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख). मई, 1976 में पूना के मेयर से गाड्गे महाराज की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। किन्तु समय बहुत कम दिया गया था। इसलिये इस प्रस्ताव को कार्यक्रम में शामिल करना सम्भव नहीं था। महाराष्ट्र सरकार से अलग से कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ था।

अधिक से अधिक संख्या में वन्ध्याकरण (ट्यूबकटनी) के ओपरेशन करने वाले डाक्टरों को पुरस्कार

1718. **श्री रेणुपद दास** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस डाक्टर का नाम क्या है जिसने देश में बन्ध्याकरण के अधिकतम औपरेशन किये हैं;

(ख) अधिकतम औपरेशन करने वाले डाक्टरों में दूसरे नम्बर पर कौन है; और

(ग) उन डाक्टरों को क्या पुरस्कार दिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : क से (ग). स्त्रियों के सर्वाधिक नसबन्दी आपरेशन करने वाले डाक्टरों के लिए वैसा कोई राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं रखा गया है। वर्ष 1975–76 में एक विशिष्ट पुरस्कार की व्यवस्था की गई है जो उस मेडिकल / परा-मैडिकल / क्षेत्रीय कायकर्ता को दिया जायेगा जिसने परिवार नियोजन में सर्वोत्तम कार्य किया होगा। इस प्रयोजन के लिए सबसे अधिक नसबन्दी आपरेशन करने वाले चिकित्सा अधिकारियों के नामों पर राज्यों से तत्सम्बन्धी प्रस्ताव मिलने पर विचार किया जाएगा।

बेरोजगारी समाप्त करने के लिये रोजगार बनाने के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान

1719. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने यह अनुमान लगाया है कि यदि बेरोजगारी और गरीबी को समाप्त करना है तो विकासशील देशों में यह शताब्दी समाप्त होने से पूर्व 100 करोड़ अतिरिक्त रोजगार बनाने होंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रस्तावों पर सरकार की प्रतिक्रिया को, सामान्य रूप में, विश्व रोजगार सम्मेलन में दिए गए श्रम मन्त्री जी के भाषण में दिया गया था, जिसकी एक प्रति 19 अगस्त, 1976 को तारांकित प्रश्न संख्या 138 के उत्तर में पहले ही सभा की मेज पर रखी गई थी।

कोयला खानों से दूषण

1720. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है कि कोयला खानो से दूषण स्वास्थ्य के लिए अपेक्षाकृत अधिक हानिकारक सिद्ध हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) जी नहीं। कोयला खानों से होने वाला दूषण स्वास्थ्य के लिए अन्य पर्यावरणिक दूषण की अपेक्षा कम हानिकारक होता है। कोयला खानों में दूषण को रोकने के लिए केन्द्रीय खान अनुसन्धान स्टेशन धनबाद, खान सुरक्षा महानिदेशालय, कारखाना परामर्श सेवा महानिदेशालय और श्रम संस्थान, बम्बई, तथा कोयला खान कल्याण, धनबाद द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

राष्ट्रीयकृत इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के प्रशासक के पद पर संयुक्त सचिव की नियुक्ति

1721. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के एक संयुक्त सचिव को राष्ट्रीयकृत इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के प्रशासक के पद पर तथा प्रबन्ध बोर्ड के एक सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा करना प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों और सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 14वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोकसभा 1971-72), 70वें प्रतिवेदन (चौथी लोकसभा 1969-70) और 77वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोकसभा 1975-76) की सिफारिशों के विरुद्ध नहीं हैं।

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) इस्पात और खान मन्त्रालय (इस्पात विभाग) के भूतपूर्व संयुक्त सचिव श्री वी० के० दर को 25 दिसम्बर, 1975 से इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० का पूर्ण कालिक प्रशासक तथा कम्पनी के प्रबन्ध-मण्डल का सदस्य नियुक्त किया गया है। चूंकि यह पूर्णकालिक नियुक्ति है अतः प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित सिफारिशें इस मामले में लागू नहीं होती हैं।

दिल्ली परिवहन निगम की आय

1722. **चौ० राम प्रकाश** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन की आय में गत कुछ महीनो के दौरान काफी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो टिकटों की बिक्री और बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाकर वसूल की गई राशि से होने वाली आय के आंकड़े क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) इसमें काफी सुधार हुआ है।

(ख) सितम्बर, 1975 से जुलाई, 1976 तक की अवधि के दौरान बिना टिकट के यात्रियों से वसूल यातायात आय और जुर्माने की राशि माहवार नीचे दी गई है :—

माह	आय (रु० लाखों में)	बिना टिकट यात्रियों से वसूल की गई जुर्माने की राशि (रु० लाखों में)
सितम्बर, 75 . . .	140.28	1.03
अक्तूबर, 75 . .	150.42	.92
नवम्बर, 175 . . .	147.15	.47
दिसम्बर, 75 . .	147.91	.76
जनवरी, 76 . . .	156.49	1.34
फरवरी, 76 . . .	157.10	.77
मार्च, 76 . .	173.57	.55
अप्रैल, 76 .	173.53	.72
मई, 76 . . .	185.73	1.67
जून, 76 . . .	186.65	.84
जुलाई, 76	199.59	.30

दिल्ली परिवहन निगम की बसों से दुर्घटनाएं

1723. चौ० राम प्रकाश : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है जो दिल्ली परिवहन निगम की बसों में हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के पहले छः महीनों में कितनी दुर्घटनाएं हुई और ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां। परन्तु परिचालित प्रति लाख कि० मी० दुर्घटनाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) 1-1-76 से 30-6-76 की अवधि के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों की 1246 दुर्घटनाएं हुई। दुर्घटनाओं को रोकने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :--

(1) केवल उन व्यक्तियों को चालक की नौकरी पर भर्ती किया जाता है जिनका कम से कम भारी वाहन चलाने का तीन वर्ष का अनुभव हो।

(2) नये भर्ती किये गये व्यक्तियों को प्रशिक्षण स्कूल में गहन प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उनके सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात् ही उन्हें नौकरी दी जाती है।

(3) नये भर्ती किये गये व्यक्तियों को डाक्टरी जांच करवानी होती है जिससे कि उनकी शारीरिक स्वस्थता तथा दृष्टि तीक्ष्णता सुनिश्चित की जा सके।

(4) तीव्र गति की रोकथाम के लिये शहरों में गति की अधिकतम सीमा 40 कि० मी० प्रति घंटा निर्धारित की गई है।

(5) यातायात पुलिस ने कुछ सड़कों पर बस लेन बनाई है।

(6) दुर्घटना रहित रिकार्ड वाले चालकों को प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी

1724. श्री रेणु पद दास : क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां कृषि-श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी 8 रुपये 10 पैसे देना आरम्भ हो चुका है; और

(ख) क्या पश्चिम बंगाल स्थित राज्य कृषि, रेशम उत्पादन फार्मों और केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसन्धान केन्द्र ने सरकारी नीति के रूप में न्यूनतम मजूरी को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही प्राप्त होगी, सदन की मेज़ पर रख दी जाएगी।

काण्डला पत्तन के एक श्रमिक का डूब जाना

1725. श्री एम० कतामुत्तु :
श्री डी० के० पंडा :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 मई, 1976 को काण्डला पत्तन पर नारायण नाम का एक श्रमिक काम कर रहा था और उसी दिन शाम को वह गुम हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उसी दिन अथवा अगले दिन उसकी खोज निकालने के लिये कोई कार्यवाही की गई थी;

(ग) क्या 22 मई को उसका शव, पत्थरों से बंधा हुआ, पानी में तैरता हुआ मिला था; और

(घ) क्या उसका पोस्टमार्टम किया गया था और उसकी रिपोर्ट क्या है?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां।

(ख) दोनों दिन जेट्टी के नीचे और सकरी खाड़ी के जल में खोज की गई।

(ग) 22 मई, 1976 को दाएं हाथ की कलाई से बंधे हुए वजन के साथ शव तैरता हुआ पाया गया।

(घ) अंजार में सरकारी अस्पताल में किये गये पोस्टमार्टम के अनुसार उसकी मृत्यु का कारण गला दबाने से सांस का रुक जाना था। पुलिस जांच जारी है।

धातुओं का बेकार जाना

1726. **श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या ड्रास, स्क्रेप्स, टर्निंक्स और स्पेंट फ्लासिस आदि के रूप में प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में धातुएं व्यर्थ जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार धातुओं के व्यर्थ जाने को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में उत्पादन प्रक्रिया में कुछ माल रद्दी हो जाता है। इस प्रकार के रद्दी माल में मुख्यतः कोक ब्रीज धमन-भट्टी, धातु मल, मिल स्क्रैप, लौह अयस्क, चूना-पत्थर, डोलोमाइट का चूरा, जिंक ड्रास, टिन ड्रास आदि शामिल हैं। अधिकतर इस प्रकार के माल को कारखाने में ही लाभदायक ढंग से इस्तेमाल किया जाता है अथवा उसे बाजार में बेच दिया जाता है जहां उसे परिष्कृत/फिनिश किया जाता है और उद्योगों में पुनः इस्तेमाल किया जाता है।

खनिजों के लिए विकास उपकर

1727. **श्री नाथू राम अहिरवार :**
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या **स्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिजों और खनिजों वाले क्षेत्रों के विकास के लिए विकास उपकर अनिवार्य हैं ;

(ख) क्या सरकार ने विकास उपकर संबंधी समिति द्वारा मई, 1973 में की गई सिफ़ारिशों पर विचार किया है ; और

(ग) सरकार इन सिफ़ारिशों को कब तक लागू कर देगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग). खनिजों पर विकास उपकर संबंधी समिति की सिफ़िरिशों पर सरकार द्वारा विकास किया जा रहा है और इस मामले में निकट भविष्य में कोई फैसला कर दिए जाने की संभावना है।

रक्त से पृथक किये गये शोधित प्रतिजन

1728. **श्री पी० गंगा देव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : :

(क) क्या हाल के अनुसंधान से यह आविष्कार हुआ है कि संक्रान्त जिगर, तिल्ली और रक्त से पृथक किए गए शोधित प्रतिजन रोग मुक्त करने को समर्थ होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे मलेरिया के विरुद्ध प्रतिजनों की पैदावार को बढ़ाने में भी समर्थ हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) अभी भी अध्ययन किए जा रहे हैं ।

दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र में प्रबन्धकों तथा कर्मचारी संघ के बीच सम्पर्क व्यवस्था का न होना

1729. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दुर्गापुर के मिश्र इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड कर्मचारी संघ के बीच सम्पर्क व्यवस्था तथा विचार विमर्श का कोई माध्यम नही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात के कारखाने के प्रबन्धकों तथा हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाइज यूनियन के बीच विचार-विमर्श तथा आपसी परामर्श औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के माध्यमों से किया जाता है ।

दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयंत्र की शीट मिल

1730. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात संयंत्र की पुरानी अलाभप्रद शीट मिल के स्थान पर आधुनिक मिल लगाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : इस समय वर्तमान शीट मिल को बदलने का कोई विचार नहीं है । दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विस्तार के लिए मेटालर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट्स (इंडिया) लि० द्वारा तैयार किए गए पूंजी-निवेश पूर्व शक्यता प्रतिवेदन में इस शीट मिल की कुल कमियों पर विचार किया गया है और कुछ अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है । स्टील अथारिटी आफ़ इंडिया लि० इन पर विचार कर रही है ।

मिश्रित इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर से स्टेनलेस स्टील का भेजा जाना

1731. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर स्थित मिश्रित इस्पात संयंत्र से जनवरी, 1976 से कम स्टेनलेस स्टील भेजे जाते रहने के क्या कारण हैं ; और

(ख) स्टेनलैस स्टील की आयात सम्बन्धी योजना क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) दुर्गापुर के मिश्र इस्पात के कारखाने से बेदाग इस्पात की चादरों/प्लेटों के अपक्रय में गिरावट के मुख्य कारणों में वस्तु-सूची (इन्वेंटरी) में कमी करना/पहले से पड़े माल को उपयोग में लाना, आयात किये गये माल को प्राथमिकता देना और बर्तनों तथा अस्पताल में काम में आने वाले उपस्करों के निर्माण के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं को बेदाग इस्पात के आयात के लिए आयात नीति को उदार बनाना है।

(ख) वर्तमान नीति में निम्नलिखित मदों के आयात की व्यवस्था है :—

(1) कुछ शर्तों के साथ—बेदाग इस्पात/तार उद्योग के लिये ताप प्रतिरोधक इस्पात की वायर राड ;

(2) पैनों की निवें बनाने वाले उद्योग रेजर ब्लेड उद्योग, घड़ियों की चेनें बनाने वाले उद्योग और सर्पिल आकार के गास्केटों के लिए ठण्डी बेलित बेदाग इस्पात/ताप प्रतिरोधी इस्पात की पत्ती ;

(3) घड़ी उद्योग के लिये ठंडी बेलित तथा गर्म बेलित क्वायल ;

(4) कुछ विशिष्ट औद्योगिक कार्यों के लिए कुछ साइजों में बेदाग इस्पात की प्लेटें, चादरें, पत्ती और क्वायल ;

(5) ओपन जनरल लाइसेंस देने की नीति के अन्तर्गत अस्पतालों में काम आने वाले उपस्करों और बर्तनों के लिए बेदाग इस्पात की चादरें और पत्ती यह केवल खनिज तथा धातु व्यापार निगम तक ही सीमित है जो आयात किये गये माल को पूर्व निर्धारित आरक्षित मूल्य पर बेचेगी।

पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति में भी (जो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बनाई जाती है और जो इसका अनुपालन सुनिश्चित करता है) कुछ उत्पादों जिसमें बेदाग इस्पात के बर्तन, अस्पतालों में काम आने वाले उपस्कर आदि शामिल हैं, के निर्यात के बदले बेदाग इस्पात/ताप प्रतिरोधक इस्पात की चादरों, प्लेटों और पत्तियों का आयात करने की व्यवस्था है।

माइक्रो-वेव और खम्भों के ऊपर सीधी टेलीफोन लाइनों की स्थापना पर लागत

1732. **श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच माइक्रो-वेव स्थापित करने तथा खंभों के ऊपर सीधी टेलीफ़ोन लाइनें लगाने पर तुलनात्मक रूप से कितनी पूंजीगत लागत आती है ;

(ख) इन दो भिन्न प्रकार की दूर संचार प्रणालियों के रख-रखाव पर प्रतिवर्ष कितनी लागत आती है ; और

(ग) ट्रंक कालों की क्रियान्विति को प्रतिशतता के हिसाब से माइक्रो-वेव तथा टेलीफोन लाइनों की तुलनात्मक रूप से कार्यकुशलता कैसी है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) अनिवार्य रूप से खंभे पर दी गई लाइनों पर खुले तार वाली कैरियर प्रणालियां छोटी क्षमता वाली प्रणालियां हैं जो किसी मार्ग पर लगभग 60 स्पोच सर्किट तक देती हैं जबकि माइक्रो-वेव प्रणालियां बड़ी क्षमता वाली प्रणालियां होती हैं जो 120 से 1800 चैनल या इससे भी अधिक चैनल उपलब्ध कराती हैं। इसलिये खुले तार वाली कैरियर प्रणालियां उन मार्गों पर लगाई जाती है जिन पर यातायात कम होता है, जबकि माईक्रो-वेव प्रणालियां अधिक यातायात वाले मार्गों पर लगाई जाती है। इन दोनों प्रकार की प्रणालियों की पूंजीगत लागत और वार्षिक प्रभारों का तुलनात्मक ब्यौरा निम्नलिखित है :--

प्रणाली का प्रकार	चैनलों की संख्या	पूंजीगत लागत	वार्षिक प्रभार
		(रु० लाखों में)	
खुले तार वाली लाइन	60	49.53	7.43
2 जी-एच-जेड माइक्रोवेव	120	70	14
7 जी-एच-जेड माइक्रोवेव	300	106	21.2
6 जी-एच-जेड माईक्रोवेव	1800	370	74

(ग) (i) 99.99 प्रतिशत की कार्यकुशलता के लिये माइक्रोवेव प्रणालियां बनाई गई हैं।

(ii) खंभो पर दी गई लाइनों की कार्यकुशलता मौसम संबंधी दशाओं, भू-भाग आदि जैसी विभिन्न बातों पर निर्भर होती है। एक अच्छी लाइन से यह आशा की जाती है कि वह 80 से 85 प्रतिशत की कार्यकुशलता देगी।

(iii) ट्रंक सर्किट माध्यम की कार्यकुशलता के अलावा ट्रंक कालें लगाने का प्रतिशत मार्ग पर यातायात का भार, सीमान्त टेलीफ़ोन प्रणालियों की कार्यकुशलता आदि जैसी अन्य कई बातों पर निर्भर करता है।

दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, बोकारो, रांची और रामगढ़ औद्योगिक क्षेत्रों के आस-पास फ़िलेरिया रोग की घटनाएं

1733. **श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, बोकारो स्टील, बर्मों, रांची और रामगढ़ औद्योगिक क्षेत्रों में तथा उनके आस-पास वर्ष 1974, 1975 तथा 1976 के दौरान फ़िलेरिया रोग की कितनी घटनाओं की जानकारी मिली ;

(ख) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए और उनके अब तक क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इस कार्य पर वर्ष वार कितनी राशि खर्च की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1974 में रांची में फाइलेरिया की एक घटना तथा 1975 में छ: घटनाएं हुई। धनबाद में 1974 में कोई घटना होने की सूचना नहीं मिली है किन्तु 1975 में 93 घटनाएं हो जाने की खबर है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर और आसनसोल क्षेत्रों तथा बिहार के बर्ही और रामगढ में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। बोकारो इस्पात काम्पलैक्स में फ़ाइलेरिया की कितनी घटनाएं हुई इसके बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ख) देश के जिन जिलों में सर्वेक्षण नहीं हो पाया है, जिनमें बिहार का हजारीबाग और पश्चिम बंगाल का बर्दवान जिला भी शामिल है, फ़ाइलेरिया कहां-कहां है यह देखने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। रांची नगर में फ़ाइलेरिया निवारण उपाय 1958 में बरते जाने लगे। इस रोग की प्रकोप दर जहां 1958 में 5 प्रतिशत थी वह घट कर 1975 में 0.1 प्रतिशत हो गई। धनबाद नगर में फ़ाइलेरिया नियंत्रण उपाय 1975 में शुरू किए गए। इस रोग के एक चिरकारी रोग होने के कारण इन नियंत्रण उपायों के प्रभाव के बारे में इतनी जल्दी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(ग) भारत सरकार राष्ट्रीय फ़ाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य सरकार को सामग्री और उपकरण के रूप में सहायता प्रदान करती है। रांची, धनबाद और दुर्गापुर के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :—

शहर	1974	1975
	रु०	रु०
रांची	44,000	16,000
धनबाद	31,000	55,000
दुर्गापुर	—	47,000

इस रोग के रोकथाम सम्बन्धी कार्यों को करने में जो खर्च आता है उसे राज्य सरकार पूरा करती है।

Motorised Cycle Rickshaws in Delhi

†**1734. Shri Mohan Swarup:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration a scheme to motorise the cycle rickshaws, operating in Delhi;

(b) whether a dealer has been given the contract for the supply of such rickshaws; and

(c) if so, the progress made in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Dalbir Singh): (a) Yes.

(b) No.

(c) The Delhi Administration issued an order on 17-7-1976 permitting, on an experimental basis, the plying of cycle rickshaws fitted with an engine of the type that may be approved by them. This facility has been limited to existing cycle rickshaws only and for plying in the trans-Jamuna areas.

So far, no owner/driver of any cycle ricksaw has come forward for obtaining certificate of fitness to operate motorised rickshaws, in terms of the orders issued by the Administration.

एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी की ओर भविष्य निधि की बकाया राशि

1735. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड, विशेषकर उसके दिल्ली जोन की ओर गत तीन वर्षों में वर्षवार कर्मचारी भविष्य निधि की कुल कितनी राशि बकाया रही है ; और

(ख) उक्त राशि के कम्पनी द्वारा जमा न कराये जाने के क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि मैसर्स एसोसिएटेड सीमेन्ट कम्पनीज लिमिटेड के एकक और विशेष रूप से दिल्ली क्षेत्र में प्रतिष्ठान नियमित रूप से अनुपालन करने की सूचना देते रहे हैं। पिछले तीन वर्षों से इस प्रतिष्ठान के विरुद्ध भविष्य निधि की कोई राशि बकाया नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी द्वारा भविष्य निधि का भुगतान न किया जाना

1736. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी, दिल्ली जोन द्वारा गत तीन वर्षों में कितनी बार भविष्य निधि की राशि का भुगतान नहीं किया गया ;

(ख) इसके लिए उक्त कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) राशि जमा न कराने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :

(क) मैसर्स एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड के एकक और विशेषकर दिल्ली क्षेत्र के प्रतिष्ठान अनुपालन समय पर और नियंत्रित रूप से भेज रहे हैं ; और

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में भारतीय विद्यार्थी

1737. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय इतिहास और भारत में नवीनतम परिस्थितियों में हुत पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने का है जिससे अमरीका और अन्य देशों की यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति भारत का अच्छा चित्र पेश कर सकें ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उन देशों में स्थित अपने दूतावासों को यह आदेश देने का है कि वे उनके साथ नियमित रूप सेसम्पर्क बनाये रखें तथा समय समय पर उन्हें जानकारी, और पैम्फलेट सप्लाई करते रहें तथा देश से जाने वाले प्रतिष्ठित यात्रियों के उपलब्ध होने पर बैठकों की व्यवस्था करें ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) जिन मामलों में सरकार द्वारा प्रस्तावित या अनुमोदित शिष्ट मण्डलों और व्यक्तियों के विदेश जाने के बारे में सरकारी तौर पर स्पष्ट सूचना प्राप्त हो जाती है उन्हें विदेश मंत्रालय द्वारा आमतौर पर ब्रीफ किया जाता है तथा समुचित साहित्य उपलब्ध करा दिया जाता है ।

इसी प्रकार की कार्रवाई हमारे विदेश स्थित मिशनों द्वारा भी की जाती है जो उनकी यात्राओं के दौरान बराबर संपर्क रखते हैं और जब भी आवश्यक तथा संभव होता है उनके लिए बैठकों का आयोजन करते हैं । इसके अलावा हमारे विदेश स्थित मिशनों से यह कहा गया है कि उनके पास जो भी भारतीय यात्री आए उन्हें विभिन्न सामयिक प्रश्नों से समुचित रूप से अवगत कराने के उद्देश्य से वे उनसे निकट संपर्क रखें ।

लैन्सों के लिए सीसे का मानवीकरण

1738. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नम्बर वाले ऐनकों और धूप चश्मों--दोनों के लिए घटिया किस्म के सीसे से बने लैन्सों की बिक्री देश के बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर हो रही है ;

(ख) क्या ऐसे सीसे से निर्मित ऐनकों और चश्मों के प्रयोग के परिणामस्वरूप बहुत से लोगों की नेत्र-ज्योति और खराब हो जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) सरकार को इस समस्या की जानकारी है और इस बारे में क्या आवश्यक कदम उठाए जाएं उन पर विचार कर रही है।

Hindustan Zinc Limited, Udaipur

1739. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the estimates of production prepared by the Hindustan Zinc Limited, Udaipur for 1974-75 and 1975-76 and the actual production during that period;

(b) the efforts made by the Company to increase the production; and

(c) the profits earned by it during the years 1974-75 and 1975-76?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) to (c). Targets and actual production of Hindustan Zinc Limited and the profits made by the company during 1974-75 and 1975-76 are given below:—

(figures in tonnes)

	Zinc metal	Lead metal	Cadmium metal	Single super phosphate
1974-75:				
Target	15,400	3,600	40	55,000
Actual production	13,952	4,109	46	50,670
Profits made (before tax)	Rs. 893·45 lakhs			
1975-76:				
Target	14,750	6,000	40	50,000
Actual Production	16,031	5,155	32	20,028
Profits made (before tax)	Rs. 1076 lakhs (provisional)			

*Low production due to poor off-take of single super-phosphate during 1975-76.

The capacity of the smelter at Debari is being increased from 18,000 tonnes to 45,000 tonnes per annum. The Hindustan Zinc Ltd. is also setting up a new zinc smelter at Visakhapatnam (Andhra Pradesh) based on imported concentrates with a capacity of 30,000 tonnes per annum. Both the schemes of Hindustan Zinc Ltd. are likely to materialise by the end of 1976.

The Company's Lead Smelter at Tundoo (Bihar) is under modernisation to realise annual lead production of 8,000 tonnes. In addition, a lead plant of 10,000 tonnes per annum capacity is being set up by the company in the Visakhapatnam Zinc Smelter Project which is likely to be commissioned in 1976-77.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (ग्रोसग्राम) : मुझे ग्रासनसोल से एक तार ग्राया है । ग्रतः मेरा निवेदन है कि . . . .

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्रापको सभा में इस तरह किसी मामले को नहीं उठाना चाहिए । ग्रापको सब से पहले मुझे इस की सूचना देनी चाहिए । ग्राप एक गलत प्रथा कायम कर रहे हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं ने नियम 377 के ग्रन्तर्गत सूचना दी है ।

ग्रध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा । ग्रब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

ग्रौषध तथा सौन्दर्य प्रसाधन ग्रधिनियम के ग्रन्तर्गत ग्रधिसूचना

स्वास्थ्य ग्रौर परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : ग्रौषध तथा सौन्दर्य प्रसाधन ग्रधिनियम, 1940 की धारा 38 के ग्रन्तर्गत ग्रौषध तथा सौन्दर्य प्रसाधन (पांचवां संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण की एक प्रति) जो दिनांक 24 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में ग्रधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1098 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं ।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 11226/76)

विदेशी ग्रभिदाय (विनियम) ग्रधिनियम के ग्रन्तर्गत ग्रधिसूचनाएं

संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : ग्रध्यक्ष महोदय, श्री एफ० एच० मोहसिन की ग्रोर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) विदेशी ग्रभिदाय (विनियमन) ग्रधिनियम, 1976 की धारा 1 की उपधारा (3) के ग्रन्तर्गत जारी की गई ग्रधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 755 (ङ) (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 5 ग्रगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(2) विदेशी ग्रभिदाय (विनियमन) ग्रधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (3) के ग्रन्तर्गत विदेशी ग्रभिदाय (विनियमन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 5 ग्रगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में ग्रधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 756 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 11227/76]

तमिलनाडु मोटरयान कराधान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और एक विवरण

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु मोटरयान कराधान अधिनियम, 1974 की धारा 25 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी०ओ०एम० 2242 जो दिनांक 14 सितम्बर, 1974 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) जी० ओ० एम० 879 जो दिनांक 11 जून, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु मोटरयान कराधान नियम, 1974 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(तीन) जी०ओ०एम० 1975 जो दिनांक 19 नवम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) जी०ओ०एम० 63 जो दिनांक 12 जनवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) जी०ओ०एम० 397 जो दिनांक 17 मार्च, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(छः) जी०ओ०एम० 414 जो दिनांक 24 मार्च, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सात) जी०ओ०एम० 427 दिनांक 24 मार्च, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(आठ) जी०ओ०एम० 746 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(नौ) जी०ओ०एम० 633 जो दिनांक 7 अप्रैल, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दस) जी०ओ०एम० 834 जो दिनांक 9 अप्रैल, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(ग्यारह) जी०ओ०एम० 840 जो दिनांक 9 अप्रैल, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(बारह) जी० ओ० एम० 704 जो दिनांक 14 अप्रैल, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तेरह) जी० ओ० एम० 831 जो दिनांक 28 अप्रैल, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चौदह) जी० ओ० एम० 893 जो दिनांक 5 मई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पन्द्रह) जी० ओ० एम० 922 जो दिनांक 12 मई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सोलह) जी० ओ० एम० 923 जो दिनांक 12 मई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सत्रह) तमिलनाडु ग्रामीण सड़क विकास निधि नियम, 1976 जो दिनांक 19 मई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 949 में प्रकाशित हुए थे ।

(अट्ठारह) जी० ओ० एम० 988 जो दिनांक 19 मई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(उन्नीस) जी० ओ० एम० 1053 जो दिनांक 26 मई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(बीस) जी० ओ० एम० 1056 जो दिनांक 26 मई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(इक्कीस) जी० ओ० एम० 1104 जो दिनांक 2 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(बाईस) जी० ओ० एम० 1113 जो दिनांक 2 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तेईस) जी० ओ० एम० 1209 जो दिनांक 16 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चौबीस) जी० ओ० एम० 1274 जो दिनांक 23 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पच्चीस) जी० ओ० एम० 1308 जो दिनांक 30 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(छब्बीस) जी० ओ० एम० 1393 जो दिनांक 30 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सत्ताईस) जी० ओ० एम० 1660 जो दिनांक 10 जुलाई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(अट्ठाईस) जी० ओ० एम० 1439 जो दिनांक 14 जुलाई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(2) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 11228/76]

कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और विवरण, कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, इत्यादि

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1976 जो दिनांक 12 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 845 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) आंध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम 1976 जो दिनांक 12 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 846 में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम 1976, जो दिनांक 12 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 847 में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) नैवेली कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1976 जो दिनांक 12 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 848 में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) कोयला खान निक्षेप सम्बन्धित बीमा स्कीम, 1976 जो दिनांक 28 जुलाई, 1976 (अंग्रेजी संस्करण) तथा 21 अगस्त, 1976 (हिन्दी संस्करण) के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 487 (ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(2) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 11239/76]

(3) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम 1976, जो दिनांक 24 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1103 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) सा० सां० नि० 1141 जो दिनांक 31 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 1976 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 395 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(तीन) कर्मचारी निक्षेप सम्बन्धित बीमा स्कीम, 1976 जो दिनांक 28 जुलाई, 1976 (अंग्रेजी संस्करण) तथा 21 अगस्त, 1976 (हिन्दी संस्करण) भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 488 (ङ) थे प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 11230/76]

(4) कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि स्कीम के 1974-75 के कार्यकारण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 11231/76]

(5) मैसर्स बिसरा लाइम स्टोन कम्पनी लिमिटेड, बिरमित्रापुर की कपलास वैस्ट लाइम स्टोन और डोलोमाइट खान में 12 जून, 1975 को हुई घातक दुर्घटना के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० तो० 11232/76]

(6) हेसलांग कोयला खान, जिला हजारीबाग में 28 फरवरी, 1975 को हुई घातक दुर्घटना के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 11232/76]**

(7) मैसर्स कोल माइन अथारिटी लिमिटेड (अब कोल इंडिया लिमिटेड) की अरा कोयला खान में 14 मई, 1975 को हुई घातक दुर्घटना के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।
[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 11232/76]

(8) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु जलपान प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 की धारा 29 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 1006 की एक प्रति जो दिनांक 1 जनवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु जलपान प्रतिष्ठान नियम, 1959 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 11233/76]

(9) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) **(ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 11233/76)**

(10) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 38 की उपधारा (5) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (गुजरात) (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 3 अप्रैल, 1976 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या के० एच० एस-एच–356 आई डीए–1176-41292–जो एच में प्रकाशित हुए थे।
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 11234/76]

(11) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविदा श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तमिलनाडु संविदा श्रम (विनियमन और उत्पादन) नियम, 1975 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 973 में प्रकाशित हुए थे।
[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 11235/76]

(12) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण।
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11235/76]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव: मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 20 अगस्त, 1976 को पास किये गये विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1976 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 23 अगस्त, 1976 को पास किये गये तमिलनाडु विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1976 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 23 अगस्त, 1976 को पास किये गये पांडिचेरी विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1976 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कावेरी डेल्टा में पानी की कमी
Seanty Supply of Water in Cauvery Delta

श्री के० गोपाल (करूर) : महोदय, मैं कृषि और सिंचाई मंत्री का निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :--

> "कृष्ण राज्य सागर बांध तथा दूसरे बांधों से जल की कम सप्लाई होने तथा मैसूर जलाशय में कम जल संचित होने से कारण कावेरी डेल्टा में उत्पन्न स्थिति ।"

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह प्रक्रिया के बारे में है । जल की कमी की स्थिति केवल मद्रास राज्य में ही नहीं अपितु देश में अन्य राज्यों में भी बनी हुई है । कर्नाटक में भी जल की कमी की स्थिति है । जब कि बातचीत चल रही है मंत्री महोदय यहां वक्तव्य दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति : अध्यक्ष के निर्णय के विरुद्ध व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं हो सकता । मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री के० लकप्पा : कृपया, आप मेरी बात तो सुन लीजिए . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप उसके विरुद्ध आपत्ति उठा रहे हैं : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता । आप सूचना की ग्राह्यता पर कोई आपत्ति नहीं उठा सकते ।

श्री के० लकप्पा : मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं । मैं तो यह पूछ रहा हूं कि क्या यह प्रक्रिया के अनुसार है । क्या जब जलविवाद पर बातचीत चल रही हो तो इस विषय को उठाया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति, श्री केदार नाथ सिंह ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : कावेरी एक अन्तर्राजीय बेसिन है जिसमें कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य आते हैं । तमिलनाडु में कावेरी पर मैत्तूर सबसे निचला जलाशय है । कृष्णराज सागर कर्नाटक में कावेरी पर इससे ऊपर का अगला जलाशय है । कर्नाटक द्वारा हाल ही में काबिनी और हेमावती नामक दो नए जलाशयों का निर्माण किया गया है । कृष्णराज सागर के प्रतिप्रवाह के वाह-क्षेत्र में चालू मानसून के मौसम के दौरान वर्षा सामान्य मात्रा से बहुत कम हुई है । इसके परिणामस्वरूप कृष्णराज सागर में जल सामान्य मात्रा से बहुत कम आया अर्थात् जून में 12 टी० एम० सी० के सामान्य प्रवाह की तुलना में । टी० एम० सीङ, जुलाई, में 68 टी० एम० सी० के सामान्य प्रवाह की तुलना 20 टी एम० सी० और अगस्त में (20 अगस्त तक) 53 टी० एम० सी० के सामान्य प्रवाह की तुलना में 25 टी० एम० सी० रहा । पहली जून को कृष्णराज सागर में लगभग 4 टी० एम० सी० जल पहले से संचित था जबकि मैत्तूर जलाशय में इसी तारीख को 24.7 टी० एम० सी० पहले से संचित जल का भण्डार था ।

काबिनी वाह-क्षेत्र में भी वर्षा अपर्याप्त हुई और काबिनी के प्रवाह का केवल 10 टी० एम० सी० जल संचित किया गया । पानी की कमी के कारण तमिलनाडु ने 12.6 लाख एकड़ क्षेत्र को सिंचाई के लिए जल दिया जबकि किसी एक सामान्य वर्ष में 16 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई की जाती है । कर्नाटक के अगस्त के पूर्वार्द्ध में 15 टी० एम० सी० जल छोड़ा ।

कर्नाटक ने 23 अगस्त को 10 टी० एम० सी० अतिरिक्त जल छोड़ने की हिदायतें दी हैं। तमिलनाडु में सिंचाई के लिए 24 अगस्त तक मेत्तूरके नीचे लगभग 44.5 डी० एम० सी० जल छोड़ा जा चुका है।

कम वर्षा वाले चालू मानसून के मौसम के दौरान तमिलनाडु और कर्नाटक के अधिकारी आपस में निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं। और परस्पर-स्वीकार्य प्रबन्ध तलाश कर रहे हैं। दोनों राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि उपलब्ध जल का बटवारा न्यायोचित आधार पर हो।

उपर्युक्त स्थिति मौनसून के चालू मौसम के सम्बन्ध में है। लेकिन कावरी नदी के जल के उपयोग और विकास से सम्बन्धित मुख्य मामले के बारे में मैंने कर्नाटक के मुख्य मंत्री, केरल के दो मंत्रियों और तमिलनाडु के गर्वनर के साथ 25 अगस्त को छह घंटे तक विचार-विमर्श किया है। यह विचार-विमर्श 26 अगस्त को भी किया जा रहा है।

श्री के० गोपाल : मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं तमिलनाडु में जन्मा और पला हूं किन्तु मेरे योवन का काफी भाग कर्नाटक में बीता है मैंने यह प्रश्न राष्ट्रीय हित में उठाया है अतः श्री लक्प्पा को इस प्रश्न पर इतना नहीं घबराना चाहिए। इस प्रश्न को पूछ कर मैंने कोई गलती नहीं की है ... (**व्यवधान**)। मैंने यह प्रश्न इसलिए उठाया है क्योंकि जल की कमी के कारण तमिलनाडु में खाद्यान्न के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री के० गोपाल : अब मैत्तूर में जल सम्बन्ध 120 फीट के सामान्य स्तर से कम होकर 30 फीट हो गया है। साथ ही कृष्णराज सागर में भी जल सामान्य मात्रा से कम आया। 45 टी० मी० टी० सामान्य प्रवाह की तुलना में 36 टी० मी सी० ही जल आया। वक्तव्य के अनुसार भी केवल 10.20 लाख एकड़ भूमि को जल मिला जहां शेष 4 लाख एकड़ भूमि को बिलकुल जल नहीं मिला। क्या शीघ्र ही जल छोड़ा जायेगा जिससे सूख रही फसलों को बचाया जा सके। साथ ही क्या जल विवाद को शीघ्र ही निपटाया जायेगा ताकि परियोजनाओं को शीघ्र ही पूरा किया जा सके। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी एक परियोजना की योजना है किन्तु इसका निर्माण इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि यह कावेरी जल विवाद से सम्बन्धित है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस विवाद का कोई सामाधान निकाललेंगे। माननीय मंत्री ने बताया था कि तीन राज्य सरकारों के साथ इस सम्बन्ध में कुछ बातचीत चल रही हैं। उस बातचीत का क्या परिणाम निकला है, क्या सरकार एक राष्ट्रीय जल नीति की व्यवस्था करना चाहती है?

श्री केदारनाथ सिंह : इस समय तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि बातीचीत चल रही है और उसमें अच्छी प्रगति हो रही है। कल भी इन तीन सरकारों के प्रतिनिधियों में छः घंटे तक बातचीत होती रही और यह अब भी बातचीत कर रहे हैं और मुझे आशा है कि वह आज कोई समझौता कर लेंगे और हम सभा को आज अथवा कल उसके बारे में सूचित करने की स्थिति में हो जायेंगे। तमिलनाडु में अनुभव की जा रही कठिनाइयों के बारे में मैं सभी चिन्तित है उसके बारे में प्रबन्ध किये जा रहे हैं ताकि जनता को कष्ट न हों। किन्तु साथ ही जल की कमी की स्थिति सभी सम्बन्धित राज्यों को मिल कर सहन करनी होगी। इस महीने की 23

तारीख को कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने 10 टी० एम० सी० जल छोड़ने के लिए निर्देश दिये हैं और यह पानी तमिलनाडु में एक सप्ताह के लिए काफी होगा । जल के बंटवारे के बारे में आज अथवा कल तक कोई समझौता हो जाने की आशा है ।

श्री ओ० वी० अलगेशन :(तिरुत्तनी) : कावेरी भारत की पवित्र नदी है । एक कवि ने तो यहां तक कहा है यद्यपि यह हो सकता है कि कभी वर्षा न आये, किन्तु कावेरी सर्वदा बहती रहती है । इतिहास बताता है कि चोला साम्राज्य के करीकला चोला प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कावेरी पर नियंत्रण किया था और तंजौर डेल्टा में बाढ़ से होने वाले विनाश को बचाया था । अगर आप भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत मंत्री श्री के० एल० राव की प्रबुद्ध पुस्तक देखे तो आपको पता चलेगा कि कावेरी पर एनीकट प्रथम शताब्दी में बनाया गया था पिछली शताब्दी के मध्य में एक प्रसिद्ध ब्रिटिश अभियन्ता सर आर्थर काटन ने गैंड एनीकट से प्रेरणा प्राप्त कर गोदावरी और कृष्णा नदियों पर बनाये जाने वाले बांधों का डिजाइन और नहर पद्धति तैयार की । एक अन्य ब्रिटिश अधिकारी ने गंगा नहर पद्धति तथा यमुना नहर पद्धति का डिजाइन बनाया था । कावेरी की सिंचाई पद्धति बड़ी पुरातन है । कावेरी डेल्टे का विकास बहुत पहले हो चुका था अतः अब ऐसा कोई विवाद न ही होना चाहिए कि इस पुराने डेल्टा को कावेरी से पानी मिले । 1924 में एक समझौता था...

श्री के० लकप्पा : यह सब बातें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से असम्बन्धित हैं वह सभी प्रकार के समझौतों आदि का यहां उल्लेख नहीं कर सकते ।

अध्यक्ष महोदय : श्री अलगेशन जी, आप इसे अन्तर्राज्यीय विवाद में परिवर्तित मत करें । आप केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उठाये गये विषय तक ही स्वयं को सीमित रखें । इतिहास के पन्ने मत पलटिये ।

श्री ओ० वी० अलगेशन : मन्त्री महोदय ने स्वयं यह बात वक्तव्य में कही है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री, केरल के 2 मन्त्रियों तथा तमिलनाडु के राज्यपाल के साथ बातचीत की गई है । अतः यह दीर्घकालीन समझौते से सम्बन्धित है । अतः मुझे 1924 के समझौते का उल्लेख करने का अधिकार है, आप इस तरह मेरा मुंह बन्द नहीं कर सकते । आप चिल्लायेंगे तो मैं चुप नहीं हो जाऊंगा । महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अन्तर्राज्यीय विवाद का उल्लेख मत करें ।

श्री ओ० वी० अलगेशन : मैं वही बात तो कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव इस बारे में नहीं है । अगर यह इस विषय पर होता तो मैंने इसे स्वीकार न किया होता । मैंने इसकी अनुमति इसलिये दी कि यह कावेरी डेल्टा में जल की कमी के बारे में था । अतः आप विवाद अथवा इतिहास में मत जाईये ।

श्री ओ० वी० अलगेशन : महोदय, मैं आपके निर्देश को मानता हूं । वक्तव्य में यह स्वीकार किया गया है कि कृष्णराज सागर में 36 टी० एम० सी० से कम जल नहीं है और काबिनी में 16 टी० एम० सी० जल है किन्तु हेमवती का कहीं कोई उल्लेख नहीं है किन्तु हमें बताया गया है कि उस में 4 टी० एम० सी० जल है ।

श्री एन० शिवप्पा : (हसन) : वह पुनः अपने अधिकार से बाहर जा रहे हैं।

श्री ओ० वी० अलगेशन : महोदय, मुझे इस प्रकार बार बार न टोका जाये। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात को मंत्री महोदय पर छोड़ देवें।

श्री ओ० वी० अलगेशन : कर्नाटक में आयकट की आवश्यकता एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने सही कहा है कि जल की कमी की स्थिति का तीनों राज्यों को मिल कर सामना करना चाहिये। मान लीजिये कर्नाटक को समुचे आयकट की सिचाई के लिये जल चाहिये तो यह केवल 20 टी० एम० सी० होगा। किन्तु कुल जल 56 टी० एम० सी० है।

अतः मेरा सुझाव यह है कि वह अपने लिये 20 टी० एम० सी० जल रख ले और शेष जल को अन्य राज्यों को दे। अगर भगवान की कृपा से वर्षा हो गई तो हम जल का पूरा. पूरा कोटा नहीं लेंगे। एक समय था जब सितम्बर में भी वर्षा होती थी तो कावेरी में बाढ़ आया करती थी। सम्भव है वर्षा से हो जाये और हमें केवल इसी जल पर निर्भर न रहना पड़े। समुचे देश में वर्षा हो रही है किन्तु कावेरी सूखी पड़ी है।

श्री केदार नाथ सिंह : यह सभा के बड़े ही वरिष्ठ सदस्य हैं और उनकी बातों से वास्तव में मेरा ज्ञानवर्द्धन हुआ है। चूंकि बातचीत चल रही है अतः आप कुछ समय प्रतीक्षा कीजिये मुझे आशा है उस समझौते के बारे में आपको शीघ्र ही सूचित किया जायेगा।

श्री ओ० वी० अलगेशन : वह दीर्घकालीन समझौते की बात कर रहे हैं किन्तु अल्प-कालीन प्रबन्ध का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULE CASTES AND SCHEDULE TRIBES

तिरपनवां प्रतिवेदन

श्री निहार लस्कर (करीमगंज) : मैं शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय (शिक्षा विभाग) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का तिरपनवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) उपस्थित करता हूं।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

उनतीसवां प्रतिवेदन

श्री एन० एम० सिद्दय्या (चामराजनगर) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का उनतीसवां प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

केरल विधान सभा (कालावधि विस्तार) दूसरा संशोधन विधेयक

KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY (EXTENSION OF DURATION) SECOND AMENDMENT, BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि केरल राज्य की विद्यमान विधान सभा की कालावधि को और बढ़ाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केरल राज्य की विद्यमान विधान सभा की कालावधि को और बढ़ाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (तैंतालीसवां) संशोधन विधेयक

CONSTITUTION (FORTY-THIRD) AMENDMENT BILL

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री ओम मेहता : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान पंचम अनुसूची (संशोधन) विधेयक

FIFTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान की पंचम अनुसूची का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान की पंचम अनुसूची का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक

CENTRAL SALES TAX (AMENDMENT) BILL

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1976

(APPROPRIATION (No. 6) BILL, 1976

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान एक सेवा पर जितनी रकम उस सेवा के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक खर्च हुई है उसकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान एक सेवा पर जितनी रकम उस सेवा के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक खर्च हुई है उसकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

मैं प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान एक सेवा पर जितनी रकम उस सेवा के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक खर्च हुई है उसकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

यह विधेयक वर्ष 1973–74 के दौरान पुलिस के लिए अनुदान संख्या 49 के सम्बन्ध में न्यायालय डिग्री पर हुए 1305 रुपए के अतिरिक्त व्यय के कारण लाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान एक सेवा पर जितनी रकम उस सेवा के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक खर्च हुई हैं उसकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्रमिक भविष्य निधि विधि (संशोधन) विधेयक

LABOUR PROVIDENT FUND LAWS (AMENDMENT) BILL

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन तथा बोनस स्कीम अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952, धनकर अधिनियम, 1957 और आयकर अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य 17 जुलाई 1976 को जारी किए गए एक अध्यादेश का प्रतिस्थापन है। विधेयक के उपबन्धों से भविष्य निधि अधिनियमों अर्थात् कोयला खान भविष्य निधि, परिवार पेंशन और बोनस अधिनियम, 1948 और कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 का संशोधन किया गया है। इन संशोधनों के द्वारा सरकार कर्मचारियों के लिए इन दोनों विधानों के अन्तर्गत आने वाले एक अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना पुरःस्थापित कर सकती है। नई योजना का नाम है—जमा सम्बद्ध बीमा योजना।

इस जमा सम्बद्ध बीमा योजना उन कर्मचारियों के लिए बीमा की व्यवस्था करता है जिन पर कोयला खान भविष्य निधि और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू होते हैं। ऐसे कर्मचारियों को इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। सम्बन्धित कर्मचारी की भविष्य निधि में जितनी राशि जमा है उससे यह योजना सम्बद्ध है। इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को उसकी भविष्य निधि की राशि की औसतन तीन वर्ष की जमा राशि का अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा। इसके लिए यह शर्त लगा दी गई है कि यह उपबन्ध तभी लागू होगा जब कि उसकी भविष्य निधि में जमा राशि 1000 रुपए से कम न हो। इस हेतु अधिकतम सीमा 10,000 रुपए निर्धारित का की गई है।

बीमें का लाभ प्राप्त करने हेतु कर्मचारी को बीमा निधि में कोई अंशदान नहीं करना पड़ेगा। इस निधि में अंशदान नियोजकों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा क्रमश: 2:1 में किया जायेगा। कोयला खान भविष्य निधि और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियमों के अन्तर्गत गठित न्यायधारियों के बोर्डों द्वारा अपनी-अपनी इन दो योजनाओं का कार्य संचालन किया जायेगा।

जमा सम्बद्ध बीमा योजनाएं 28 जुलाई, 1976 को प्रकाशित की गई और 1 अगस्त, 1976 से उन्हें लागू कर दिया गया है। नियोजकों और सरकार को वेतन बिल पर क्रमश: 0.5 प्रतिशत और 0.25 प्रतिशत अंशदान करना होगा। प्रशासन पर खर्च हेतु अंशदान क्रमश 0.10 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत होगा।

प्रस्तुत विधान का श्रमजीवी वर्ग ने बहुत स्वागत किया है जिसका, मुझे पूर्ण विश्वास है, यह सदन भी एकमत होकर समर्थन तथा स्वागत करेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि कोयला खान भविष्य निधि, स्कीम कुटुम्ब पेंशन और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952, सम्पत्तिकर अधिनियम, 1957 और आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (वर्दवान): अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस विधेयक में जो प्रस्ताव जोड़े गये हैं उन में से मृतक श्रमिकों के परिवारों को विपत्तियों में कुछ कमी होगी। जहां तक छूट उपबन्ध का सम्बन्ध है हमारा अनुभव यह है कि जहां तक मूल अधिनियम का सबम्न्ध है अनेक मामलों में या तो श्रमिक वर्ग के हितों को पूरी तरह से ध्यान में रखे बगैर छुट दी जाती है या अनेक मामलों में जहां श्रमिकों को बेहतर सुविधायें प्राप्त होती है छूट दी ही नहीं जाती, यह एक ऐसा मामला है जिस को मंत्री महोदय को जांच करनी चाहिये। क्योंकि यह शिकायत श्रमिकों और श्रमिक संघों द्वारा बार बार को जा रही है। छूट देने के सम्पूर्ण आधार के समुचित अध्ययन को आवश्यकता है।

इस विधेयक का मुख्य उपबन्ध यह है कि किसी श्रमिक को मृत्यु हो जाने पर उसे कुछ जीवन बीमा की राशि दी जायेगी। किन्तु विधेयक में योजना के कार्यचालन के बारे में कुछ

नहीं बताया गया। हम चाहते हैं कि विधेयक में इस बात का थोड़ा और अधिक ब्यौरा हो कि किये जाने वाले भुगतान का आधार क्या होगा। बीमा राशि कितनी होगी, इस बारे में क्या हकदारियां होगी। हम इसका विरोध नहीं कर रहेहैं। विधान मण्डल क्या चाहता है इस बारे में कुछ ब्यौरा विधेयक में दिया जाना चाहिये। अतः इस कारण से यह विधेयक बड़ा ही अस्पष्ट है। विधेयक में बुनियादी मार्गदर्शी सिद्धान्त तो होने ही चाहिये। ऐसे विधेयकों का स्वागत होना ही चाहिये किन्तु जहां तक इसके कार्यान्वयन का सम्बन्ध है इसके बारे में हमें आशंका है क्योंकि पहले का हमारा अनुभव सुखद नहीं है। अतः कानूनों या अध्यादेशों अथवा अनेक योजनाएं केवल पारित कर देने से ही काम नहीं चलेगा। इस बारे में यह कह देने से भी काम नहीं चलेगा कि इस सम्बन्ध में कदम उठाये जा रहेहैं। इस उत्तर से किसी को सन्तोष नहीं होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि भविष्य निधि का बकाया राशि क्या है? सरकारी सांविधिक निगमों और उपक्रमों में भी भविष्य निधि की बड़ी बड़ी राशियां बकाया पड़ी हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह देश के भविष्य निधि संगठन के कार्य से सन्तुष्ट हैं इतनी बड़ी राशियों को क्यों इक्ट्ठा होने दिया गया। एक समाचार पत्र में मैंने पढ़ा था कि भारत कोकिंग ओयल ने 26 करोड़ रुपये देने हैं।

श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी: उसने यह राशि दे दी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह सौभाग्य की बात है कि उसने यह राशि दे दी है। किन्तु इस राशि को इकट्ठा ही क्यों होने दिया गया। कम से कम सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में तो ऐसे नहीं होना चाहिये।

गैर-सरकारी क्षेत्र में क्या हो रहा है? आपने अनेक क्षेत्रों में श्रमिक वर्गों की कीमत पर गैर-सरकारी क्षेत्र को फलने फूलने दिया है? आपने यह विधेयक लाकर बड़ा अच्छा किया है किन्तु आप इसका कार्यान्वयन किस प्रकार करेंगे? क्या इसका लाभ उसे मिलेगा जिनके हित के लिये यह विधेयक लाया गया है। केवल विधेयक पारित कर देना ही काफी नहीं है उसका गम्भीर कार्यान्वयन भी आवश्यक है। वास्तविक कार्यान्वयन के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं? मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां भविष्य निधि की बकाया राशि जमा होती रहती है क्या उन कम्पनियों को कोई लाभ पहुंचाया जाता है? ऐसे कम्पनियों को सरकारी भुगतान बन्द कर दिया जाना चाहिये। मन्त्री महोदय को इन सब बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक में निहित सिद्धान्त का अनुमोदन करता हूं।

Shri Ram Singh Bhai (Indore): Sir, I extend my support to the Bill and congratulate the hon'ble minister for bringing the bill because the working class will be benefited by it. But I seek clarification in regard to some of the provisions of the Bill. It has been provided in the Bill that the amount of the insurance will be given to the present whose name was nominated. But the money should be paid to the legal successor. It should be made clear in the Bill.

It should also be clearly provided in the Bill that what will be the extent of amount to be paid to the legal successor. In case of death of a worker, whethere his provident fund including the contribution of his employers towards his provident fund and the interest thereon will be paid to his dependents.

It has been provided in the rules governing loans from the provident fund that the workers are entitled to get loans for the purpose of construction of houses. In addition to this, they can get loans on the occasion of marriage of their daughters, for the purposes of education of their sons, long illness and in times when the factories are closed down. These loans are given to them and interest is charged thereon. It will be in the interest of the workers if these amounts are treated as deposited money. ....

The age of retirement of the workers is not uniform in all the factories. Somewhere it is 58 years and somewhere it is 60 and 62 years. In case, the worker is retired due to over-age, he will not get the amount from the life insurance scheme. Sometimes, the workers deliberately cause accidents in order to become disable with a view to get money from the life insurance scheme. This is very agonising. So it should be provided that some part of the life insurance money should be paid to them alongwith the pension money.

As far as the family pension is concerned, the worker is eititled to get full amount only if he retires at the age of 60 years. But according to model standing order, the retirement age is not uniform in all the states. So the retirement age of the workers should be made uniform in all the states. With these words, I support the Bill.

डा॰ रानेन सेन (बारसात) : मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुये कुछ बातें कहना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने फरमाया है कि यह विधेयक बड़ा साधारण है। मैं उनसे इस बात पर सहमत नहीं हूं। इस विधेयक के सिद्धांत इतने साधारण नहीं है जितने प्रतीत हो रहे है मेरे से पहले दोनों वक्ताओं ने इस बात का उल्लेख किया है कि देश में भविष्य निधि अधिनियम किस प्रकार से कार्यान्वित हो रहा है। कोयला खान श्रमिकों की ओर से कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम, पेंशन योजना आदि के कार्यान्वयन के विरुद्ध मांग की जाती रही है।

कोयला खान भविष्य निधि तथा अन्य भविष्य निधियों के बारे में श्रमिकों को होने वाली कठिनाइयों पर इस समय में अनेक बार चर्चा हो चुकी है। चूंकि भविष्य निधि एक अंशदायी निधि है, मैं जानना चाहता हूं कि श्रमिकों की कितनी राशि निधि में जमा नहीं की गई है और नियोजकों को अंशदान की कितनी राशि निधि में जमा नहीं की गई है ? कोयला खान भविष्य निधि के बारे में भी ये आंकड़े सभा के समक्ष रख जाने चाहिये ताकि यह सभा समझ सके कि पिछले संशोधन के बाद स्थिति में क्या सुधार हुआ है। मंत्री महोदय जानते हैं कि अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की लगभग 16 करोड़ रुपयों की राशि देय है। सरकारी संस्थानों के कार्यकरण का हमारा अनुभव बहुत कटु रहा है।

खंड 14 में 11ख(1) के अन्तर्गत कोयला खानों को छूट दी गई है। अन्य संगठनों को कोई छूट नहीं दी गई है। इस छूट का परिणाम यह है कि इस श्रेणी के कारखानों या खानें अपनी बीमा योजना के अनुसार इकट्ठी की गई निधि अपने पास रख सकते हैं। मुझे मालूम है कि पटसन मिलों के तीन बड़े व्यवसाय गृहों अर्थात्, बज्लेरिया, गोयनका और बर्ड ने अनिवार्य जमा योजना का 1.56 करोड़ रुपया जमा नहीं किया है।

तत्पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे अपराह्न तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen Hours of the Clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न दो बजकर तीन मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at three minutes past fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

Mr. Deputy-Speaker *in the Chair.*

श्रमिक भविष्य निधि विधि (संशोधन) विधेयक—जारी

LABOUR PROVIDENT FUND LAWS (AMENDMENT) BILL—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : डा० रानेन सेन अपना भाषण जारी करें।

डा० रानेन सेन : मेरा सुझाव है कि ऐसी निधि किसी उपयुक्त एजेन्सी के माध्यम से सरकार के पास जमा की जानी चाहिये। विधेयक में नियोजकों पर बहुत विश्वास किया गया है और नौकरी छोड़ने और दूसरी कोयला खान में नौकरी करने की दशा में उसकी राशि बीमा निधि में उसके खाते में अंतरित करने की बात कही गई है। नियोजकों ने पहले भी हाल ही में अनिवार्य जमा योजना के मामले में श्रमिकों की राशि जमा नहीं की है। अतः इसके लिये कोई नई एजेन्सी बनाई जाये या यह पैसा भविष्य निधि आयुक्त को अन्तरित किया जाये।

विधेयक की तीसरी अनुसूची में उपबंध है कि किसी कर्मचारी या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य को देय धन उसके नाम से बचत बैंक खाते में जमा कर दिया जायेगा और अन्यथा नहीं दिया जायेगा। इस अनुसूची में ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि यदि कर्मचारी के परिवार को अविलम्ब धन की आवश्यकता हो, तो यह राशि उसे तुरन्त दी जा सके। जब कमाकर सबका पेट भरने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो पैसे की अविलम्ब आवश्यकता के अनेक कारण बन जाते हैं। इसलिए कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में तुरन्त नकद भुगतान करने के लिये उपबंध किया जाना चाहिये।

उद्देश्यों और कारणों के कथन के अंतिम पैराग्राफ में कहा गया है कि जमाबद्ध बीमा योजना उन स्थापनों के कर्मचारियों को भी लागू होगी जिनपर कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू नहीं थी। मैं नहीं समझ पाता हूं कि यह उनपर कैसे लागू की जायेगी जैसाकि श्री चटर्जी ने कहा, मुख्य प्रश्न यह है कि योजना किस प्रकार काम करती है और किस प्रकार इसे क्रियान्वित किया जाता है। यदि श्रमिकों को वास्तव में लाभ पहुंचाना है, तो ऐसी योजनाएं सरल होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ में विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं उन सभी सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं, जिन्होंने बहस में भाग लिया और अपना पूर्ण समर्थन दिया।

डा० रानेन सेन ने उद्देश्यों और कारणों के कथन के पैराग्राफ 6 का उल्लेख किया। वास्तव में जारी किये गये अध्यादेश में प्रारूप में कुछ कमी रह गई थी। इस विधेयक में उसे सुधारा गया है और भविष्य निधि अधिनियम और परिवार पेंशन अधिनियम के अन्तर्गत छोड़े गये उपक्रमों पर भी इसे लागू

करने का विशिष्ट उपबंध किया गया है। अतः यह छूट भविष्य निधि अधिनियम के अधीन छूट से भिन्न है। केवल ऐसी परिस्थितियों में भी छूट दी जायेगी जब सम्बन्धित प्राधिकारी संतुष्ट हो कि संबंधित उपक्रम या कंपनी द्वारा प्रदत्त बीमा योजना इस अधिनियम के अधीन बीमे से अधिक लाभप्रद है। मैं समझता हूं कि छूट देने से पहले कार्मिक संघों से परामर्श किया जायेगा।

इस बीमा योजना के लिये श्रमिक को कुछ भी नहीं देना होगा। अंशदान नियोजकों और सरकार ारा दिया जायेगा। केवल इतना अपेक्षित है कि दुर्घटना होनेकी तारीख को उसका तथा नियोजक का अंशदान मिलाकर कम से कम एक हजार रुपए जमा होने चाहिये। तब श्रमिक को अपनी जमाराशि के बराबर परन्तु अधिक से अधिक 10,000 रुपए पाने का हक होगा।

श्री राम सिंह भाई ने बीमा की राशि के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में कुछ रोचक प्रश्न रखे। मैं उनका ध्यान 28 जुलाई, 1976 के राजपत्र में प्रकाशित योजना के पैराग्राफ 22 की ओर दिलाना चाहता हूं। इसे पढ़ने के पश्चात् उनकी सभी शंकाओं का समाधान हो जायेगा। मैं सारा ब्यौरा देकर यहां समय नष्ट नहीं करना चाहता।

भविष्य निधि और परिवार पेंशन अधिनियम के अधीन निधि में कुल जमा राशि 2955.11 करोड़ रुपए है, 1357.97 करोड़ छूट न दी गई श्रेणी में और छूट वाली श्रेणी में 1597.14 करोड़ रुपए। दोनों ही श्रेणियों में प्रत्येक में बकाया राशि लगभग 19 करोड़ रुपए है इस प्रकार लगभग 3000 करोड़ में से 40 करोड़ रुपए जमा किये जाने शेष हैं। इसके विरुद्ध 30-6-76 को छूट न दी गई श्रेणी के संबंध में भविष्य निधि अंशदान की बकाया राशि 19.22 करोड़ रुपए थी। इसमें से 7.78 करोड़ पए कर्मचारियों को अंशदान है और 1.4 क ोड़ रूपए नियोजक का। भारतीय दंड संहिता के अधीन 657 मामले चलाये गये हैं। राष्ट्रीय कपड़ा निगम, जिसने बहुत सी संकट ग्रस्त मिलों को अपने हाथ में लिया है, काफी अंशदान जमा कराना है। मैं संबंधित अधिकारियों से बातचीत की है और यह व्यवस्था की गई है कि चालू देय राशि जमा करा दी जायेगी और भविष्य में यह राशि नियमित रूप में जमा की जायेगी। इन मिलों को हाथ में लेने से पूर्व तथा राष्ट्रीयकरण किये जाने से पूर्व की बकाया राशि के बारे में विधि मंत्रालय से कानूनी राय ली जा रही है। कोयला खान भविष्य निधि की बकाया राशि दो-तीन मास पहले 26 करोड़ रुपए थी जिसका कोयला खानों ने पूर्ण भुगतान कर दिया है।

यदि हम नियोजकों के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही करते हैं, तो कभी-कभी कार्मिक संघ ही रुष्ट हो जाता है। नियोजक के विरुद्ध सरकार द्वारा दांडिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप यदि नियोजक को जेल भेज दिया जाता है तो उस स्थापना के बंद होने और सैकड़ों श्रमिकों के बे ोजगार हो जाने का खतरा रहता है जिसे कार्मिक संघ पसन्द नहीं करता। विशेष रूप से कलकत्ता में पटसन तथा अन्य उद्योगों में बड़े व्यापार गृहों जिन्हे बहुत सी राशि जमा करानी है, उच्च न्यायालयों में लेख याचिका दायर करके ोक आदेश प्राप्त कर लिये हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका की प्रति प्राप्त करने में छ : या दस महीने तक लग जाते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको ठीक जानकारी नहीं दी गई है।

डा० रानेन सेन : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बजोरिया, गोयनका और बर्ड एंड कम्पनी के संबंध में जिन्होंने अनिवार्य जमा योजना का 1.56 करोड़ रुपया जमा नहीं किया है, रोक आदेश मंजूर किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि आप समझते हैं कि उच्च न्यायालय का आदेश सही नहीं है, तो रोक आदेश को रद्द कराने के लिये आपको तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री रघुनाथ रेडी : हमारा अनुभव इस मामले में अच्छा नहीं रहा है। फिर भी सरकार कार्यवाही कर रही है और बकाया राशि घट रही है। बकाया राशि को वसूल करने के लिये प्रत्येक संभव कार्यवाही की जायेगी। श्री सोमनाथ चटर्जी भी कठिनाइयों को समझते हैं। संकटग्रस्त मिलों को अपने हाथ लेते समय सरकार सबसे पहले यह सोचती है कि श्रमिक बेरोजगार न होने पाये। यदि बकाया वसूल करने के परिणामस्वरूप मिल बंद हो जाती है, तो इससे श्रमिकों का अहित ही होगा।

डा० रानेन सेन ने बचत बैंक खाते में पैसा जमा करने पर शंका व्यक्त की। वास्तव में सरकार को योजना बनाने की शक्ति दी गई है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि प्रत्येक मामले में पैसा बचत बैंक खाते में जमा किया जायेगा। जहां यह आवश्यक और नामंकित व्यक्तिके हित में समझा जायेगा, वहाँ पर ही ऐसा किया जायेगा।

Shri Ram Singh Bhai: I had raised two impoprtant questions and the Hon'ble Minister should have clarified them. I raised a point whether the amount of loan taken by a worker from his Provident Fund Account for meeting some urgent expenditure would be taken into account for calculating 3 years' average secondly. whether in the event of death of a worker who is contributing to his provident fund for 10 years, he will get the total amount contributed by him during the past three years only or an average of the amount contributed by the worker and the employer during the past three years will be taken into account. These points need to be clarified.

श्री रघुनाथ रेड्डी : बीमा योजना का लाभ पाने का हकदार होने के लिए किसी कर्मचारी का कम से कम 1000 रुपया भविष्य निधि में जमा होना चाहिए. . . . . (व्यवधान) इसमें मालिक और कर्मचारी द्वारा जमा की गई धनराशि शामिल हो सकती है।

जहां तक अग्रिमों का सम्बन्ध है ये वापस न किये जाने वाले अग्रिम है अतः इन्हें हिसाब में नहीं लिया जा सकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मई, 1976 में दिल्ली में भविष्य निधि आयुक्तों की बैठक हुई थी जिसमें यह निर्णय किया गया कि क्षेत्रीय आयुक्त ऐसा समय वद्ध कार्यक्रम बनायें कि भविष्य निधि की बकाया राशि जमा हो और भविष्य निधि के दावे के मामले निपटायें जायें तथा वार्षिक लेखा पर्चियां कर्मचारियों को मिलें।

क्या ये निर्णय क्रियान्वित किये जा चुके हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैंने भविष्य निधि आयुक्तों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें उनसे मैंने निवेदन किया था कि वे इसमें सक्रिय रुचि लें तथा भविष्य निधि कार्यालय में काम करने वाले लोगों का भी सहयोग लें जिससे कर्मचारियों को उनका लेखा विवरण शीघ्र दिया जा सके। भविष्य निधि आयुक्तों से भी निवेदन किया गया है कि वे भविष्य निधि की बकाया राशि शीघ्र जमा करवायें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कोयला खान भविष्य निधि, परिवार पेंशन और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952, धनकर

अधिनियम, 1957 और आय कर अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : खण्डवार विचार, संशोधनों की कोई सूचना नहीं दी गई है। प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 2 से 41 तक, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 41, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 41, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक—जारी

ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री ए० सी० जार्ज द्वारा 24 अगस्त, 1976 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करेंगे, अर्थात्:—

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

श्री भोगेन्द्र झा पिछली बार बोल रहे थे। वह अब उपस्थित नहीं हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : वह अभी आ रहे हैं। आप उन्हें बुला सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाई है। यदि कोई सदस्य अपना भाषण फिर से आरम्भ नहीं करता है तो उनका भाषण समाप्त माना जाता है।

अब श्री मूल चन्द डागा

Shri M. C. Daga (Pali): Sir, whenever this question of essential commodities comes before the House it is stated that it is a state subject. Therefore how its implementation can be insured at district and Tehsil level. It is not sufficient to

enact laws. It only gives powers to bureaucracy and put the small farmers and traders to difficulties. The only course is that the distribution is taken over by Government.

Very wide powers have been given to the collectors and executive officers under this Bill. It has been provided that no Government servant could be prosecuted in a Court of Law even if he transgressed his authority or power. These powers are very much like to be abused. The provision of retaining certified copies of account books and documents has also not been made. This is not good. By giving so many powers to the executive, it is not possible to ensure that the prices will come down and there will be proper distribution of essential commodities. Small farmers will be put to, great difficulty during the process of implementation of this law. They will not even be allowed to fix the price of their produce even after the recovery by levy foodgrains. This will only increase misuse of powers and corruption.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं सभा भाषणो के लिए समय के नियतन पर विचार करें। अब केवल 2 घंटे 45 मिनट शेष रह गये हैं और 14 सदस्यों ने बोलना है यदि सभी इसी प्रकार 15 मिनट तक बोलें तो मंत्री महोदय के लिए केवल 10 मिनट उत्तर देने के लिए रह जाते हैं। अतः सभी यह ध्यान रखें।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मैंने पूछा था।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाई है। हम नियमों को इस प्रकार बदल नहीं सकते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं उनके बाद बोल सकता हूं मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। यदि किसी सदस्य का भाषण समाप्त न हुआ हो और वह आकर जारी नहीं करता है तो यह माना जाना है कि उनका भाषण समाप्त हो गया है और बाद मैं यदि वह बोलने की अनुमति मांगता है तो वह उसका दूसरा भाषण होगा जिसकी अनुमति नहीं है।

श्री भोगेन्द्र झा : कल मंत्री महोदय के कहने पर मैंने आरम्भ किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आप और श्री जार्ज के बीच ममला है पीठासीन व्यक्ति इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता।

***श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) :** आवश्यक वस्तु अधिनियम पहले 1955 में पास किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल, खाद्य तेल, कपड़ा जैसी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन-खरीद और इन के गरीब वर्गों में वितरण पर नियंत्रण रखना तथा इनकी कीमतों में स्थिरता बनाये रखना और इनमें व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करना था। परन्तु खेद है कि इसे दृढ़ता से क्रियांवित नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप कीमतें बढ़ती चली गयीं और कदाचार में भी कोई कमी नहीं आ पाई है। विधि आयोग की सिफारिश पर 1974 में इस अधिनियम मैं संशोधन किया गया था और सरकार को अधिक शक्तियां प्रदान की गई जिससे जमाखोरी, मुनाफाखोरी, चोर-

*बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the original speech delivered in Bengali.

बाजारी आदि को रोका जा सके। अब इस विधेयक के अन्तर्गत सरकार को और शक्तियां प्रदान करने का उपबन्ध है। मैं अपने दल की ओर से इसका स्वागत कराना हूं। परन्तु इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि इन परिवर्तनों का तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक सरकार के रुख में परिवर्तन नहीं आ जायेगा क्योंकि सरकार इस अधिनियम को अनिच्छा से क्रियान्वित कर रही है।

जहां तक आवश्यक वस्तुओं के वितरण का सम्बन्ध है, यह तो ठीक है कि कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कानपुर आदि बड़े-बड़े नगरों में इनका वितरण ठीक प्रकार से हो रहा है परन्तु समाज के गरीब वर्गों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अधिनियम तो बहुत बन गये हैं परन्तु खेद है कि उनको पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। देश में इस समय आपात स्थिति है और सरकार के पास आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत भी पर्याप्त से अधिक शक्तियां हैं परन्तु आज भी हम देखते हैं कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आकाश को छू रही है। एक ओर तो सरकार का दावा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने से बहुत लाभ हुआ है और दूसरी ओर वास्तविकता यह है कि अच्छी फसल होने के बावजद आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। सरकार का अनुमान है कि इस वर्ष मूंगफली का 16.9 लाख टन उत्पादन होगा जो कि बहुत अच्छी मात्रा है। परन्तु इस के बावजूद महाराष्ट्र में मूंगफली के तेल की कीमत पहले से बढ़ गई है। यहां तक कि इस का मिलना भी कठिद हो गया है। इसी प्रकार सरसों का तेल जो पहले पांच रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा था अब 7.40 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है। गेहूं के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। अनुमान है कि इस वर्ष लगभग 11.4 करोड़ टन टब गेहूं का उत्पादन हुआ है। एक समय था जब गेहूं 75 रुपए प्रति क्विंटल बिका करता था और उसको उठाने वाला कोई नहीं होता था। बाद में भारतीय खाद्य निगम ने इसकी न्यूनतम कीमत 105 रुपए प्रति क्विंटल निश्चित की। इस समय दिल्ली में खुले बाजार में गेहूं की कीमत 165 रुपए से लेकर 180 रुपए प्रति क्विंटल है। समझ में नहीं आता कि यह मुनाफा कहां जाता है। स्थिति यह है कि किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को उत्पादन में हुई वृद्धि का कोई लाभ नहीं हुआ है। इस प्रकार आलू 12 से 18 रुपए प्रति मन खरीदा जाता है और बाद में उसे 1.20 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाता है यह इतना मुनाफा कौन कमा रहा है? जमाखोरी और चोर बाजारी करने वाले लोग मुनाफा कमा रहे हैं। जब कि किसानों का शोषण हो रहा है पटसन और प्याज उगाने वालों को भी लाभकारी कीमत नहीं मिल रही हैं। प्याज और आमों का निर्यात करके सरकार विदेशी मुद्रा तो कमा रही परन्तु इससे किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। दालों के मामले में कीमतें पिछले एक सप्ताह में 30 से 70 प्रतिशत बढ़ गई है। पश्चिमी बंगाल में मछली का अभाव है क्योंकि इसका बंगला देश से आयात नहीं हो रहा है। इसके फलस्वरुप मछली की कीमतें बहुत चढ़ गई हैं। इन सब तथ्यों से पता चलता है कि सरकार कीमतों को बढ़ने से रोकने में असफल रही है। इस दिशा में सरकार को कुछ ठोस कार्यवाही करनी चाहिए अन्यथा इस विधेयक को पारित करने का कोई लाभ नहीं होगा।

[श्री कृष्ण चन्द्र हालदर]

प्रस्तुत विधेयक के अन्तर्गत कलक्टर के साथ-साथ सहायक कलक्टर और उपखण्ड अधिकारी को छापे मारने की शक्ति दी जा रही है। मेरे विचार में, ऐसी शक्ति दे देने से कुछ सिद्धांतहीन अधिकारी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका दुरुपयोग करने लगेंगे क्योंकि कि वे जानते हैं कि इन के विरुद्ध न्यायालयों में भी कुछ नहीं हो सकेगा। अतः यह आवश्यक है कि सरकार ऐसे तत्वों पर निगाह रखे।

सरकार बात तो मिश्रित अर्थव्यवस्था और समाजवादी विचाराधारा की करती परन्तु वास्तव में वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है। सोवियत संघ, रुमानिया बल्गेरिया और चीन जैसे समाजवादी राज्यों में भी पिछले दो दशकों में कीमतें में कोई वृद्धि नहीं हुई है। आज सरकार संविधान की प्रस्तावना में "समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को शामिल करना चाहती है। परन्तु इस परिवर्तन से तब तक कुछ लाभ नहीं होगा जब तक कि सरकार अपनी आर्थिक नीति में परिवर्तन नहीं कर देती। राजनीतिक और आर्थिक विचाराधारा में परिवर्तन लाये बिना 20 सूत्री कार्यक्रम से भी कीमतों को नहीं गिराया जा सकेगा।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना): मैं आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। संशोधी विधेयक के अन्तर्गत कलक्टर की शक्तियों का प्रयोग अपर कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी और कलक्टर द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी भी कर सकेंगे और इन के द्वारा की गई कार्यवाही पर न्यायालयों में भी आपत्ति नहीं की जा सकेगी। पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए ऐसे उपबन्ध का होना आवश्यक हो गया है। अब जमाखोरी चोरबाजारी और मुनाफाखोरी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा सकेगी।

मानसून के देर से आने के कारण जमाखोरों और मुनाफाखोरों ने स्थिति का फायदा उठाया और इस के फलस्वरूप कीमतें फिर बढ़ गई थीं हालांकि अनाज और मूंगफली की अच्छी फसल हुई है। परन्तु सरकार द्वारा समय पर की गई कार्यवाही से मुल्यों में बढ़ने की प्रवृत्ति में अब फिर परिवर्तन आ गया है और अब मूल्य गिरने आरम्भ हो गये हैं।

यह एक अच्छी बात है कि धारा 3 में संशोधन कर के अब यह उपबन्ध किया जा रहा है जिसके अधीन खाद्यान्नों, खाद्य तिहलनों या खाद्य तेलों के सम्बन्ध में जारी किये गये उद्ग्रहण आदेश में उत्पादकों द्वारा घृत या उनकी जोत में कुल क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उन द्वारा वर्गीकृत आधार पर विक्रय किए जाने वाली मात्रा नियत की जा रही है। यह उपबन्ध उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा उद्ग्रहण आदेश को रद्द कर दिए जाने के फलस्वरूप करना पड़ रहा है। इस विधेयक में खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों और खाद्य तेलों के बारे में मुल्य नियत करने के लिए प्रक्रिया भी दी जा रही है। इस के अतिरिक्त इस विधेयक का उद्देश कलक्टर तथा अन्य अधिकारियों को अधिक शक्तियां प्रदान करना है जिससे इस अधिनियम को अधिक कारगर ढंग से क्रियान्वित किया जा सके।

आवश्यक वस्तुओं की कमी और मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए कड़े से कड़े उपाय किये जाने चाहिए। ऋण और खाद्यान्नों के वितरण पर नियंत्रण रख कर खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रयत्न किये गये और इन प्रयत्नों के फलस्वरूप गत वर्ष फसल काफी अच्छी हुई और मूल्यों का स्तर भी ठीक ही रहा। परन्तु पिछले एक सप्ताह से मूल्य फिर बढ़ने आरम्भ हो गए हैं। हमारी आर्थिक नीति का उद्देश्य सामाजिक न्याय की स्थापना करना है और इसे पूरा करने के लिए हमें स्थायी आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करनी चाहिए जिससे आम लोगों को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर मिलती रहें। इस के लिए उचित विधियां अपनाई जानी चाहिए और इनके साथ-साथ उचित साधन पैदा करने चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत न केवल वितरण ही परन्तु समाहार परविहन और भण्डारीकरण भी आता है और इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यक वस्तुएं देश के सभी भागों में समान दरों पर मिलें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए प्रमुख अधिकरण तो सहकारी संस्थाएं ही होनी चाहिए जिनका ढांचा लोकतंत्रात्मक है। यह ठीक है कि तालुका और जिला स्तर पर कुछ संस्थाओं का प्रबन्ध ठीक नहीं है। ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। जहां आवश्यक और सुविधाजनक हो इस प्रयोजन के लिए पंचायत अधिकारियों, स्थानीय सरकारी संस्थाओं और गैर-सरकारी अभिकरणों को भी यह कार्य सौंपा जा सकता है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए यह आवश्यक है। उर्वरकों, कीटनाशी औषधियों और अन्य चीजों के मूल्यों में स्थिरता लाई जाये। पिछले 1½ वर्ष में कृषि वस्तुओं की कीमतों में 40 प्रतिशत कमी हुई है जब कि किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं में इतनी कमी नहीं हुई है। इसी तरह निर्मित वस्तुओं के बारे में भी किया जाना चाहिए। संक्षेप में यह कि सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में चोर बाजारी और मुनाफाखोरों को भी समाप्त करना होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी तभी सफल हो सकती है जब उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होती रहें और इस प्रयोजनार्थ हमारी आर्थिक नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे उत्पादन को बढ़ावा मिले।

श्री मूलचन्द डागा ने कहा कि हम न्यायालयों की शक्तियों को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। छोटे-छोटे आर्थिक अपराधों को निपटाने के लिए विभिन्न न्यायालयों में बहुत अधिक समय लगता है और इसीलिए न्यायिक अधिकारियों की शक्ति को कम कर के यह शक्ति कलक्टर और अन्य अधिकारियों को दी जा रही है। ताकि मामले शीघ्र निपटाये जा सकें। आशा है सभा के माननीय सदस्य इस को समझेंगे और इसे उचित ही ठहरायेंगे।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : प्रस्तुत विधेयक सराहनीय है। न्यायालय के कतिपय निर्णयों एवं विगत कुछ वर्षों के अनुभवों के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम का संशोधन करना अनिवार्य हो गया है। मूल्य वृद्धि का कुप्रभाव केवल किसी व्यक्ति पर ही नहीं पड़ता अपितु उसका प्रभाव देश की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक स्थिति पर भी पड़ता है। इसलिए सरकार के लिए मूल्यों पर नियंत्रण रखने हेतु हर सम्भव कार्यवाही करना नितान्त आवश्यक हो गया है। वर्तमान परिस्थिति यों में इस प्रकार की कड़ी कार्यवाही युक्तिसंगत है चाहे चन्द लोगों को उससे दिक्कत ही क्यों न हो क्योंकि अधिकांश लोगों को इससे राहत ही मिलेगी।

[श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी]

उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय को दृष्टि में रखते हुए धारा 3 का संशोधन करना जरूरी हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि सरकार को भंडार (स्टाक) करने का अधिकार होगा। इसकी व्याख्या इस तरह की गई है कि उन आवश्यक वस्तुओं अथवा खाद्यान्नों की जो खेतों में हैं, वसूली नहीं की जा सकती क्योंकि वह स्टाक में नहीं है। केवल उन खाद्यान्नों की वसूली की जा सकती है जिनका भंडार होता है। अतः इन कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए यह संशोधन लाया गया है। यदि मूल्यों पर नियंत्रण पाना है तो खाद्यान्नों की वसूली करना निहायत जरूरी होगा। इस परिस्थितियों में सरकार के लिए यह संशोधन लाना आवश्यक हो गया है।

जहां तक धारा 3 में अन्य संशोधनों का सम्बन्ध है यह उपबन्ध किया गया है कि जिस पार्टी या कम्पनी के बही खाते जब्त हो जायें यदि वह चाहे तो उनकी प्रतियां बना सकता है। इसके लिए आपत्ति उठाई गई है और सरकार को इस सम्बन्ध में फिर से विचार करना चाहिए। यदि इस उपबन्ध का संशोधन किया जाये तो समूची प्रक्रिया सरल हो सकती है। ऐसे मामलों में सुसंगत उद्धरण सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उतारे जायें जिन्हें प्रमाणित करके साक्ष्य में प्रयुक्त किया जा सकता है।

एक भिन्न प्रकार के संशोधन से यह कठिनाई दूर हो सकती है और काफी हद तक अन्याय से छुटकारा मिल सकता है। आज की स्थिति में इसमें क्षेपक की बहुत गुंजाइश है। यह अन्य प्रकार के संशोधन से दूर हो सकता है किन्तु प्रस्तुत संशोधन से नहीं।

मूल्यों को तर्कसंगत या युक्तियुक्त बनाने का प्रयास किया गया है। किन्तु पता नहीं इतने प्रकार के मूल्य क्यों निर्धारित किये गये हैं। हम इन्हें और युक्तिसंगत बना सकते हैं और प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं।

ऐसे मामलों में जहां सामान जब्त किया जाता है, न्यायालय का क्षेत्राधिकार समाप्त कर दिया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत यदि कोई वस्तु जब्त की जाती है तो वह व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी से अपील कर सकता है, किन्तु विधेयक में एक यह चूक रह गई है कि इसमें न्यायिक अधिकारी की शर्तों व निर्बन्धनों का कोई विवरण नहीं है। इसे राज्य सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। अब हमने न्यायालय के अधिकार समाप्त कर दिये हैं। लेकिन साथ ही हमें यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी है कि वास्तविक एकता तथा स्वतंत्रता की भावना वाले व्यक्तियों को ही न्यायिक अधिकारी बनाया जाये। इसलिए, संविधान में ही कुछ मार्गदर्शन होना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जाये कि केवल ऐसे ही व्यक्तियों को न्यायिक अधिकारी बनाया जाए।

यदि कलेक्टर किसी वस्तु को पकड़ता है और उसे जब्त कर लेता है तो वह व्यक्ति धारा 6 के उपबन्धों के अधीन न्यायिक अधिकारी से अपील कर सकता है और प्रस्तुत संशोधन विधेयक के अधीन न्यायिक अधिकारी के निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है लेकिन यदि जब्त करने का कोई आदेश नहीं दिया गया हो और केवल पकड़ने का ही आदेश दिया गया हो तो उस स्थिति में किसी व्यक्ति को अपील करने का अधिकार नहीं है। ऐसे मामलों में कलेक्टर की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। इस संशोधी विधेयक के अन्तर्गत कलेक्टर के आदेश

अन्तिम माने जायेंगे। ऐसा उपबन्ध सराहनीय नहीं है जिसमें कलेक्टर को इतने अधिक अधिकार दिये गये हों, ऐसा वैकल्पिक मंच भी होना चाहिए जहां प्रभावित या पीड़ित व्यक्ति अपील कर सके। ऐसे उपबन्ध से भ्रष्टाचार बढ़ेगा।

इसलिए, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि प्रस्तुत संशोधन पर्याप्त तथा पूर्ण नहीं है। अतः न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की शर्तों और मानदंड का निर्धारण करने वाला और कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए किसी अपीलीय न्यायालय की स्थापना करने वाला एक अन्य प्रकार का संशोधन लाना चाहिए। धारा 6 के सम्बन्ध में इन विचारों को व्यक्त करते हुए मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Shivanath Singh (Jhunjhunu): As has been stated in the statement of objects and reasons of this Bill, it relates to the production, distribution and pricing policy. Our pricing policy is not satisfactory and Government should pay attention to it. Essential Commodities are of two kinds—agricultural commodities and industrial goods. The price structure of agricultural goods is very wrong. The farmers do not get remunerative price. Again the agricultural products are converted into industrial goods but there is lot of difference in their prices. Therefore, confiscating goods here and there would not solve the supply position. Attention has therefore, to be paid to this aspect. We will have to reduce the gap between the price paid to the producer and the one charged from the consumer as also the remuneration to be paid to the middle man.

So far as the essential commodities are concerned, there are so may other things which should be included therein. Cloth is an essential commodity and there is much scope for improvement in it. There are so many irregularities in regard to the manufacture of Janta cloth. Action should be taken against those manufacturing inferior quality cloth.

The prices of essential goods have increased in a monopolistic way. The prices printed on cloth are upto one and a half times more than the real prices and after intervention the same have been brought down by ten per cent to show that a reduction has been made. But the fact remains that they are still 20 per cent more. It is therefore necessary that Government machinery should be tightened.

It is a welcome measure that the powers of the collector have been delegated to the Additional collector and S.D.O.S. But many of the other provisions would create hardships. The officers executing the provisions have been given too much protection whereas it is not always certain that they would not commit any mistake and their little mistake can ruin those who are quite illeterate. It is a well-known thing that there are so many irregularities in supply department. Therefore the provision that no action can be taken against a Government official is not good and it is likely to be misused.

The provisions of the bill have been kept out side the jurisdiction of the courts which is not a welcome measure. The aggrieved party should be given a chance to go to the court. It is not a matter of surprise that the executive officers have to act in so many circumstances and may take wrong decisions. Therefore the provision for going to courts should be there.

The provision of documents is good. But there should be some safeguard for it so that there may be no manipulation therein. But at the same time wherever there are hardships the same should be removed. The provision of seized commodities is a welcome step.

[Shri Shivanath Singh].

The machinery to control the price increase is not able to have effictive control over it. No doubt the prices of agricultural commodities have come down but other commodities have not shown any downward trend. The farmers should, therefore, be given protection in this regard.

The provision of confiscating the media of transportation whether it may be a camel or bullocks and releasing the same taken on at market value is not clear. Because there can be so many conceptions of market value. There should be provision for maximum fine—with these words I support the good provisions of the Bill.

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधयक का समर्थन करता हूं। श्री डागा ने इसके उपबंधों को जो आलोचना की है सम्भवत: वह भूल गये हैं कि समाजवादी व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है और हमारी यह नीति बहुत पहले से रही है।

पहली बात विधेयक में कलेक्टर की परिभाषा में परिवर्तन करने के बारे में है। चूंकि कलेक्टर जिले का प्रभारी अधिकारी होता है अत: इस विधेयक के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त कलेक्टर अथवा उसके नीचे के अधिकारियों को शक्तियां प्रदान की गई हैं क्योंकि कलेक्टर के पास इतना काफी समय नहीं है। अत: व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है।

[श्री सी० एम० स्टीफन पीठासीन हुए
Shri C. M. Stephen in the Chair.]

दूसरा संशोधन इस बात के बारे में है कि किसी भी आवश्यक वस्तु निर्माता अथवा उत्पादक को उत्पादन का कोई भाग केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी एजेंट या उनसे नियंत्रित निगम को ही बेचना होगा। लेवी का निर्धारण क्षेत्र विशष के अनुसार किया जायेगा। यह संशोधन उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में किया गया क्योंकि निर्धारित क्षेत्र होने पर भी उनके स्टाक में अनाज की मात्रा नही थी अत: उससे लेवी वसूल नहीं की जा सकती थी। इस उपबंध के बिना लेवी अनाज की वसूली नहीं हो सकती है।

कुछ सदस्यों का यह कहना है कि जब्ती के मामलों में न्यायालय की शक्ति उनसे ले ली गई हैं, गलत है। यदि आवश्यक वस्तु अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन यह ज्ञान हुआ है कि नियमों का उल्लंघन किया गया है तो आंशिक रूप से अथवा पूरी की पूरी मात्रा जब्त की जा सकती है किन्तु साथ ही यह भी उपबंध है कि कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा विहित न्यायिक प्राधिकारी को अपील की जा सकती है। अत: ऐसी कोई बात नहीं है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम एक विशेष अधिनियम है जो इस देश के लाखों उपभोक्ताओं के हित के लिए बनाया गया है। अत: यदि कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपील की व्यवस्था को छोड़कर सिविल और अन्य न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाये तो सारी व्यवस्था बिगड़ जायेगी। यह इस विशेष उद्देश्य से किया गया है कि जरूरतमंद लोगों को आवश्यक वस्तुएं मिल सकें।

अधिकारियों को दिये गये संरक्षण की आलोचना की गई है। किन्तु धारा 15(क) में यह उपबंध है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी से अपना कार्य करते हुए गलती हो जाती है तो उससे सम्बद्ध केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की अनुमति से उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं तो यदि कोई अधिकारी अनाज की वसूली करे तो उसके विरुद्ध दूसरे ही दिन न्यायालय में मुकदमा चलाया जायेगा। अत: यह उपबंध बिल्कुल उचित है।

जहां तक लेखा बहियों का सम्बन्ध है ये बहियां काफी बड़ी होती हैं और दूकानदारों के रोजाना के काम की होती हैं और इनके बिना उनकी बड़ी हानि हो जायेगी। अत: पुरानी व्यवस्था जारी रहनी

चाहिए। जब्त करने वाले अधिकारी को प्रमाणित प्रति रखनी चाहिए और मूल प्रति वापस कर देनी चाहिए। इन सुझावों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान समय सूची की ओर दिलाना चाहता हूं। इसका पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। काफी विधायी कार्य किया जाना है। मंत्री महोदय को 4.45 बजे बुलाया जायेगा। अब मेरे पास आठ वक्ताओं की सूची है। प्रत्येक सदस्य को आठ मिनट दिये जा सकते हैं।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani): I am happy that our Government are committed to make available all essential commodities to the people and have therefore brought an amendment bill before the House. The original bill was passed in 1955 and to remove its shortcomings present bill has been brought. I thank the Hon'ble Minister for this.

The powers now given to Additional Collector and the S.D.O. is a step towards decentralisation. This is an important step. This step has been taken as a result of the decision given by Orissa High Court which stopped the realisation of levy foodgrains. But in this bill provision has been made for confiscation of goods and distribution thereof among the people. There is also provision for an judicial enquiry if some mistake has been committed during the course of the implementation of the Act. In clause (8) it has been stated that if any one has to make complaint against the decision of Government it can be done with the permission of Central and State Governments. These are good provisions and I support them.

But the question arises how the defaulting parties will be punished. If there is no strict enforcement of a law, the blackmarketeers, hoarders and profiteers would continue to indulge in their activities. This is the whole problem. Suitable provision should, therefore be made for that. We have had an experience that for no sound reasons the prices have gone up because the businessmen are in the look out of an opportunity to increase prices. I think distribution of essential commodities such as foodgrains, sugar, drugs and textiles should be taken over by Government, and then only the difficulties of the people can be removed.

It should also be ensured by Government that these commodities should be made available to the people in the villages at reasonable rates under the provision made in the Bill. Arrangements should be made for mobile shops for this purpose.

The storage system should be such as may enable proper safety of foodgrains from being damaged.

Proper arrangements should also be made for making imported goods available to rural and urban areas on reasonable prices.

I also want to bring to the notice of the Hon'ble Minister that a sugar factory in my area is lying closed since last year. I think at a time when 20-point programme is being implemented in the country no factory should remain closed.

I support the bill.

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं किन्तु मुझे खेद है कि पिछले 21 वर्षों में अधिनियम के क्रियान्वयन में प्रगति नहीं रही है। इसमें कहा गया है कि जनता के हित में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, सप्लाई और वितरण पर नियंत्रण की इसमें व्यवस्था की गई है। सरकारी कर्मचारियों को शक्तियां दी गई हैं और आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाई गई हैं। किन्तु विचारणीय बात यह है कि हम अभी तक सार्वजनिक विवरण व्यवस्था नहीं बना पाये हैं। अभी तक हम यह सुनिश्चित नहीं कर पाये हैं कि कृषक उन वस्तुओं का उत्पादन करें जो आवश्यक हैं। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए एक राष्ट्रीय योजना बना रही है।

जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है कोई समता नहीं है। चाहे उत्पादन अधिक हो या कम मूल्य बढ़ते जाते हैं। मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है। अब समय आ गया है कि सरकार को एक सार्वजनिक वितरण पद्धति बनानी चाहए। और इस वितरण पद्धति को जिला, तालुक और खंड स्तर पर भी लागू करना चाहिए जिससे न केवल शहरों और औद्योगिक केन्द्रों को ही लाभ हो किन्तु सभी क्षेत्रों को लाभ हो। आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन या तो सरकार स्वयं करे या सहकारी समितियों के द्वारा हो और उन्हें उचित मूल्य पर वितरित किया जाये।

व्यापारियों की यह रुचि नहीं है कि देशवासी खुशहाल हों। वे कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी करते हैं। अत: यह आवश्यक है कि सरकार सप्लाई, वितरण और मूल्यों पर नजर रखे।

जो संशोधन इस विधेयक द्वारा किये जाने हैं वे प्रक्रिया सम्बन्धी हैं। धारा 3(1)(च) में जो उपबंध है वह उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण लाया गया है। अब जो संशोधन लाया गया है है वह पूर्व व्यवस्था के दोष को दूर करता है और आवश्यक है।

जब्ती के विरुद्ध अपील करने का अधिकार न होने की जो शिकायत की गई है वह निराधार है। वास्तव में कलेक्टर अथवा न्यायिक प्राधिकारी, यदि कोई नियुक्त किया गया हो के अधिकार क्षेत्र में यह व्यवस्था है। यह खंड 650 में उपबंध है। इन अधिकारियों के पास अपील की जा सकती है।

यद्यपि विधेयक में अनुच्छेद 226 के अधीन नागरिकों को न्यायालय में जाने के अधिकार को सीमित किया गया है किन्तु सम्बद्ध आदेश के विरुद्ध शिकायत करने की व्यवस्था है। अत: इस दृष्टि से शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं है।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं किन्तु मेरा सुझाव है कि सजा और कड़ी दी जानी चाहिए। इस अधिनियम को एक संहिता का रूप दिया जाना चाहिए ताकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता को छोड़कर किसी अन्य कानून का सहारा न लेना पड़े क्योंकि ये मामले शीघ्र निपटाये जाने हैं। केवल उच्च अधिकारियों के पास शिकायत करने की व्यवस्था होनी चाहिए और यह इसमें है इससे परे उच्च न्यायालय

और उच्चतम न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। अत : मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस अधिनियम की समीक्षा करें तथा मूल अधिनियम के उद्देश्यों की उपलब्धि की दृष्टि से एक व्यापक विधेयक लाये और यह सुनिश्चित करे कि उत्पादन, वसूली और ब्लाक स्तर तक के वितरण के लिये एक राष्ट्रीय नीति बने। हमने गरीब जनता को उचित दरों पर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिये क्या प्रबंध किया है ? इस विधेयक में इस सम्बन्ध में कोई सुधार नहीं है। आपने नागरिकों के न्यायालय जाने के अधिकारों को कम किया है किन्तु इस संशोधन से वांछित परिणाम हाथ नहीं लगेंगे। अत : मैं अनुरोध करता हूं कि स्थायी सार्वजनिक वितरण पद्धति को लागू करने के लिये एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाये।

Sardar Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur) : Mr. Chairman Sir, the Essential Commodities (Amendment) Bill is the need of the hour because the original act of 1955 required certain amendments. The question of delegation of powers has come up. So my opinion is that a strict provision should be made that the powers vested in someone should not be delegated further. The corruption has been a subject of discussion many times here. There is a lot of corruption in Bihar state. Things are so bad that no work could be done without money. No paper will be sent to the officer without taking money. I think the question of essential commodities should not be left with the startes. It is clear that hoarding exists even to-day. Sometimes some articles disappear from the market and sometimes the prices of certain commodities are raised without any reason. The shopkeeper attach price tags on the articles and we buy it. There should be someone to see that how the prices are fixed. Sometimes, some commodities are available in Super Bazar on higher prices than that prevailing in the general market. Some measures should be taken in this regard. The Government have allowed the factories to sell sugar at cost prices to make up their losses. Now the sugar is being sold at more than Rs. 5.70. So it will be in the fitness of things if some legislative measure is taken to require the sale of sugar.

Procurement officers are not doing justice to the poor producers. Most of the producers are being harassed and put to difficulties by those officers. This should be looked into. Every precaution should be taken before any seizer under this Act is effected. An innocent trader should not be put to unnecessary difficulty or harassment by the misuse of powers conferred under the Bill.

Corrupt employees must be severely dealt with. Instead of taking disciplinary action against them, they should be dismissed then and there to teach them a lesson for the corrupt practices.

With these words, I support the Bill.

Shri Hari Singh (Khurja): The aim of the bill is to regulate the prices and markets and to make available essential commodities at reasonable prices and to eliminate corruption. Now persons indulging in irregular practices will be detected easily under this bill. The bill aims to remove loopholes etc. of the original Act. So it is a very useful bill.

As you are aware, essential commodities were not available to the people. Now his ministry has taken measures for the increase of production, and for making them available to the people. The hon'ble Minister deserves my congratulations for it and it is a great achievement of his ministry.

[Shri Hari Singh]

It is a matter of great satisfaction that inflation has been curbed in the country while European countries are still in the grip of acute scarcities. But India has overcome this evil with the far-sightedness shown by the Indian Government in handling the situation. I am glad that a national policy is being evolved in this regard. It is hoped that the price fluctuations will be checked as a result of this policy.

There is a wide gap between the price of free sale sugar and that of levy sugar. This gap should be reduced and free sale sugar should be made available at reasonable prices, not only in towns but also in villages.

I suggest that all the industries should be nationalised and this will result in the stability of prices and smooth supply of articles to the consumers. Arrangements should also be made to make farm inputs and other essential items available to the farmers at reasonable prices. More attention should be paid to the production of articles which could earn valuable foreign exchange.

श्री के० माथातेवर (डिंडीगल) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हम इस कानून में खाद्यान्न तथा तेल से सम्बन्धित कुछ उपबंधों में संशोधन कर रहे हैं। वितरण व्यवस्था तथा मूल्य स्थिरीकरण इसकी दो प्रमुख बातें हैं। हमें आपातकालीन स्थिति के अन्तर्गत इन योजनाओं का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करना होगा।

जहां तक गरीब लोगों के उपयोग की वस्तुएं जैसे गरी का तेल, चीनी, मूंगफली का तेल और अन्य वस्तुएं हैं उनके वितरण के लिये एक सार्वजनिक वितरण केन्द्र बनाया जायें। केवल शहरी लोगों को ही नहीं बल्कि ग्रामीण जनता को सरकार के कार्यों और संरक्षण से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होना चाहिये। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिये सहकारी केन्द्र खोले जायें ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को यह वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो सकें। सरकार यह कहती है कि हम खाद्यान्नों में आत्म-निर्भर हो गये है। पिछले दो-तीन महीने से कपड़े के मूल्य बढ़ गये हैं। सरकार को आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाने चाहियें।

माइलो, चावल आदि की चोर बाजारी रोकने के लिये यह अनाज देश के कोने-कोने में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई करना चाहिये। सरकार को बिचौलिये या कमीशन एजेंटों को समाप्त करने के लिये तुरन्त कदम उठाने चाहियें।

औषधियों के मूल्य निरंतर बढ रहे है। लोग महंगी दवाएं खरीदने में अपने आपको असमर्थ पा रहे हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये कि औषधियों के मूल्य नियंत्रित किये जायें, तुरन्त कदम उठाने चाहिये।

सरकार को उन धोखेबाज व्यापारियों को, जिनके स्टाक सरकारी कब्जे में कर लिये जाते हैं, किसी प्रकार का मुआवजा नहीं देना चाहियें। हमें उन आवश्यक वस्तुओं का मुआवजा देना चाहिये जो किसानों से कब्जे में की जाती हैं और जिन्हें किसान अपने अधिशेष के रूप में रख लेते हैं। किसानों और चोरबाजारियों में अन्तर स्थापित करना होगा।

चोरबाजारियों तथा भ्रष्ट अधिकारियों को दंड देने के बारे में विधेयक में कोई उपबंध नहीं किया गया है। यदि सरकार समझती है कि कोई विशेष अधिकारी भ्रष्ट हैं तो उसे न केवल नौकरी से निकाला जाये अपितु उस पर भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अन्तर्गत कार्यवाही कर उसे कठोर दंड भी दिया जाये। चोर बाजारियों और जमाखोरों को भी कठोर दंड दिया जाना चाहिए।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी हाल में फिर से मूल्यों में वृद्धि हो रही है। चूंकि मौनसून आने में 15–20 दिन की देरी हो गई अतः मुनाफाखोरों ने इस स्थिति से लाभ उठाकर मूल्यों में वृद्धि करनी आरम्भ कर दी है। इसका यह अभिप्राय हुआ कि इस देश में बाजार की एक अपनी अर्थ-व्यवस्था है जिसे नियन्त्रित करना बड़ा ही कठिन कार्य है। पिछले वर्ष हम इस पर नियन्त्रण पाने में सफल हुये हैं। यद्यपि यह बात भी सच है कि सरकार उत्पादन सप्लाई तथा थोक पद्धति पर कोई नियन्त्रण नहीं कर सकी है केवल वस्तुओं के वितरण पर ही उसका नियन्त्रण है और वह इस सीमित दायित्व को 2½ लाख उचित दर की दुकानों के माध्यम से निभा रही है।

इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि सरकार को उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर अपना नियन्त्रण रखना चाहिये ताकि इन वस्तुओं को देश के कमजोर वर्गों को उपलब्ध किया जा सके। अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि अगर हमें बाजार की अर्थ-व्यवस्था पर नियन्त्रण रखना है तो इसके लिये हमें मुनाफाखोरों, जमाखोरों और काला बाजार करने वाले तत्वों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाना होगा। पिछले वर्ष में उठाये गये विलक्षण कदमों से मूल्य नियन्त्रण में काफी सहायता मिली है, इसके लिये मन्त्री महोदय, मन्त्रालय तथा भारत सरकार बधाई की पात्र हैं।

आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध करना 20-सूत्रीय कार्यक्रम का एक सूत्र है। किन्तु दुर्भाग्य से यह भावना उत्पन्न की जा रही है कि औद्योगिक उत्पादन और कृषि उत्पादकों की वस्तुओं के मूल्यों में भिन्नता है। कृषि उत्पादों के मूल्य गिर गये हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बेची जाने वाली औद्योगिक उत्पादों पर भी समान रूप से कठोर नियन्त्रण रखा जाये।

लैवी पुराने रिकार्ड के आधार पर लगाई जाती है। इससे किसानों को बड़ी परेशानी होती है। किसानों पर लैवी लगाते समय अनेक बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिये जैसे कि क्या उसके पास बारानी भूमि है या सिंचित भूमि; वह उत्पादन के लायक है अथवा नहीं आदि। लैवी की वसूली का तरीका सुव्यवस्थित होना चाहिये। किसी अधिकारी की सनक अथवा विचारों को इसमें नहीं आने देना चाहिये क्योंकि इससे गरीब और अशिक्षित किसानों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है।

हमें कुशल वितरण व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिये और जब तक आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की स्थापना नहीं होती, समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अगर ग्रामीण आवश्यकताओं की वस्तुओं का उत्पादन गांवों में ही होने लगे तो उससे गांधी जी के आदर्श भी साकार होंगे। देश में 2.31 लाख उचित दर की दुकानें हैं और 3 हजार होस्टलों को इन दुकानों से सप्लाई हो रही है इससे विद्यार्थियों को काफी लाभ हो रहा है। इस सब के बावजूद वितरण व्यवस्था पर्याप्त नहीं है इससे ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। अतः प्रत्येक स्थान पर उपभोक्ता स्टोर हो तभी आप बाजार की अर्थ-व्यवस्था पर नियन्त्रण रख सकते हैं। हम समाजवादी आदर्शों की ओर बढ़ रहे हैं अतः इसमें बाधा उपस्थित करने वाली अर्थ-व्यवस्था पर नियन्त्रण करना आवश्यक है।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासोर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि सारी स्थिति का सही मूल्यांकन किया गया है। प्रधान मंत्री ने अनेक बार कहा है कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं होनी चाहिये। परन्तु जमाखोरी, काले बाजार

[श्री श्यामसुन्दर महापात्र]

में चीजें बेचने वाले तथा देश की आर्थिक प्रगति में रोड़ा अटकाने वाले लोग हमारे शत्रु हैं। ये लोग बाढ़ व सूखे की स्थिति का लाभ उठा कर देश की आर्थिक प्रगति में बाधा बनते हैं। मैं समझता हूं कि इस विधेयक से कलक्टरों आदि को अधिक शक्ति मिलेगी और वे इस स्थिति

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*

का कानूनी तौर से मुकाबला कर लेंगे। परन्तु दुख की बात यह है कि कई बार उन पर इतना दबाव डाल दिया जाता है कि वे अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर पाते। एक ओर हम कहते हैं कि हमें कलक्टरों के हाथ मजबूत करने चाहिये और दूसरी ओर यदि कोई कलक्टर किसी अपराधी के खिलाफ कोई कार्यवाही करता है तो उस पर उसे दण्ड न देने के लिए दबाव डाला जाता है। कई बार पुलिस अधिकारी भी ऐसी स्थिति का लाभ उठाने लग जाते हैं। वे भारतीय सुरक्षा नियम, 'मीसा' अथवा किसी ऐसे अधिनियम के अन्तर्गत बिना अपराध लोगों को हवालात में बन्द कर देते हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि स कानून की क्रियान्विति इस तरह से की जाए जिससे लोगों को बिना कसूर परेशान न किया जाए।

हमारे देश में मुद्रास्फीति कम हो रही है। श्री जार्ज के अनुसार 1973–74 में मुद्रास्फीति प्रतिमास दो प्रतिशत की दर से ब रही थी। किन्तु 1975 में यह न्यूनतम हो गई थी। आज देश प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। परन्तु अप्रैल और जून में फिर 4.7 प्रतिशत की दर से वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन दामों में वृद्धि होने का एक कारण यह है कि लोग समझने लग गए हैं कि आपातकाल तो सामान्य-सा हो गया है इसलिए स्थिति का लाभ उठाया जाए। मेरा निवेदन है कि हमें स्थिति को सामान्य नहीं समझना चाहिए और आर्थिक अपराधियों एवं राष्ट्र-विरोधी लोगों के खिलाफ "मीसा" आदि अधिनियमों का कड़ाई से प्रयोग करना चाहिये।

आज उत्पादन बढ़ रहा है और देश में मंदी की स्थिति भी नहीं है। इसके लिए मैं श्री पाई को बधाई देता हूं। श्री पाई का यह ब्यान भी बहुत सराहनीय है कि हमारा देश अब अविकसित देश नहीं रहा है और हम अब दूसरे देशों को औद्योगिक सामान और तकनीकी जानकारी भेजने की स्थिति में पहुंच गए हैं। जैसाकि श्री पाणिग्रही ने कहा है यह बात सही है कि सरकार को न केवल उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य पर परन्तु औद्योगिक सामान के मूल्यों पर भी नजर रखनी चाहिये। ऐसी भी खबर पढ़ने में आई है कि हमारे देश में औषधियों के मूल्य दूसरे देशों में औषधियों के मूल्यों की तुलना में अधिक हैं। यदि यह बात सही है तो सरकार को औषधियों को भी आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में रखना चाहिये।

सरकार को इस कानून की क्रियान्विति इस बात को ध्यान में रख कर करनी चाहिये कि इस के अन्तर्गत आने वाले अपराधी के लिए न्यायालय के दरावाजे बन्द होते हैं। हमें समानता पर आधारित समाज बनाना है इसलिए हमें नौकरशाही के हाथ मजबूत नहीं करने हैं तथा जन साधारण के लिए काम करते जाना है।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : विधेयक का एक उपबन्ध यह भी है कि हर व्यक्ति को स्टाक में पड़ी, उत्पादित या प्राप्त सारी मात्रा या उसके विनिर्दिष्ट भाग को बेचना

पड़ेगा । अब मान लो कि किसी व्यक्ति के पास एक या दो एकड़ भूमि है। इस भूमि से मान लो उसे 10 या 15 क्विंटल फ़सल मिलती है । अब मेरा प्रश्न यह है कि यदि आदेश अधिकारी उस व्यक्ति से सारी फ़सल वसूल करना चाहे तो क्या वह उसे वसूल कर सकता है या नहीं ? मैं समझता हूं कि वसूली अधिकारी के हाथ में इतनी अधिक शक्ति नहीं दी जानी चाहिए । अतः सरकार को विधेयक में इस आशय का संशोधन करना चाहिए। यदि उत्पादक को अपने उत्पाद का कुछ भाग अपने उपभोग के लिए चाहिए तो उसके पास उतना रहने दिया जाना चाहिए ।

मेरी दूसरी बात यह है कि भारतीय खाद्य निगम तथा राज्यों के खाद्य निगमों के पास स्टोर में लगभग एक करोड़ टन अनाज पड़ा है । परन्तु क्या सरकार ने इन निगमों के अनाज को स्टोर करने की क्षमता का मूल्यांकन किया है । मेरे पास जो जानकारी है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कर्नाटक राज्य खाद्य निगम के पास जितना अनाज है उसका एक-चौथाई अनाज खराब हो रहा है । माननीय मंत्री इसकी जांच कर सकते हैं। अतः सरकार ने एक ओर तो किसान को उस अनाज का उचित मूल्य लेने से वंचित रखा है तथा दूसरी ओर इस को स्टोर में रखा गया है और सड़ रहा है परन्तु बेचा नहीं जा रहा है । अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह कम से कम उन क्षेत्रों में अवश्य जांच कराएं जहां से उनको शिकायतें आई हैं । इस अध्ययन से उनको मालूम हो जाएगा कि ऐसे अनाज को जो स्टोर में पड़ा है वास्तविक स्थिति क्या है।

Shri Amar Nath Vidyalankar (Chandigarh) : I support this Bill with full heart. The object of the Bill is also unexceptionable. But the point to see is how it is implemented. This has gained importance even under 20-point programme. If we see whether the common man in the rural areas is getting essential goods or not then we will come to the conclusion that we have not been able to achieve the desired results. Everybody, whether he belongs to the rural area or urban area, complains that though the policy is good but it is not giving benefit to them as it is not being taken implemented properly. We should not forget that we cannot deliver goods to the common man through bureaucrats because they cannot become effective instruments for the good of the common man.

Corruption is rampant in the supply departments of essential commodities. Many Inspectors have been heard saying that they are compelled by their bosses to indulge in corruption and pass on a part of the amount this derived to them. The big officers do not accept bribe direct in order to keep their slate clean. Thus we will have to improve our distribution system. Either the Central Government should take this responsibility or urge the State Governments to be more vigilant over this issue.

The position today is that agricultural produce is taken from the rural folk, while industrial produce is not provided to them.

As far as the prices of essential commodities is concerned I have seen in Delhi that the traders first jack up the prices and then reduce it by a certain percentage. This they manipulate with the help of the inspectors etc. The Government should see to it.

It is good that a new legislation is being brought but unless it is implemented properly it has no meaning.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : बहुत से माननीय सदस्यों ने इस संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। इस के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं । आम सदस्यों का यही विचार था कि संशोधन का भाव तो सही है किन्तु इस की क्रियान्विति के बारे में सरकार को ध्यान देना होगा । उन्हें इस बात का डर था कि कहीं इसका दुरुपयोग न किया जाए । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि उनके इस सुझाव को भली भान्ति ध्यान में रखा जाएगा।

इस विधान के विभिन्न उपबन्ध के बारे में कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई हैं । ऐसी आशंकाओं का होना वाजिब ही था । मैं श्री नायक को बताना चाहता हूं कि यह विधेयक एक समर्थन प्रदान करने वाला उपबन्ध है । हमारी मंशा किसानों को, विशेषकर छोटे किसानों को तंग करने की नहीं है । हमारी मंशा बड़े किसान से लेवी लेने की है । इस विधेयक की क्रियान्विति के सम्बन्ध में भी हम छोटे किसानों का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि उन्हें विधान सम्बन्धी तथा नियमों और विनियम सम्बन्धी बहुत कम जानकारी होती है ।

जब कभी व्यापार और उद्योग में ठीक तरह से काम नहीं होता तो हम उसमें भी सुधार करने का प्रयास करते हैं । मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व होता है कि हमने मुद्रा स्फ़ीति को बढने से रोक लिया है और वस्तुओं के मूल्य भी स्थिर हो गए हैं। अक्तूबर 1974 में जब मूल्य सूचकांक बढकर 332 हो गया था तो हम ने लोक वितरण प्रणाली को ठीक करने के लिए ठोस उपाय किए थे । 26 जून को आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी । उस दिन थोक मूल्य सूचकांक 312 था । गत एक वर्ष में हमने कीमतों पर नियंत्रण कर लिया है । यहां पर मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम कीमतों को बहुत नीचे नहीं लाना चाहते हैं । हम उन्हें युक्तियुक्त स्तर पर लाकर स्थिर करना चाहते हैं । हमारा उद्देश्य यह है कि वस्तुएं उपभोक्ता को उचित दर पर मिलें तथा किसानों को उनका लाभकारी मूल्य मिले । हम यह नहीं भूल सकते कि यदि किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तो वह अगली फ़सल नहीं उगाएगा।

हमें कीमतों को धीरे-धीरे कम करने में काफ़ी सफ़लता मिली। सितम्बर 1974 में जो थोक मूल्य सूचकांक 332 था और आपातकाल की घोषणा वाले दिन 312 था वह धीरे धीरे कम होकर मार्च-अप्रैल में 283 हो गया । ये कीमतें उस स्तर पर पहुंच गई थी जो 24 महीने पहले थी । यह एक अगमी किस्म का एक रिकार्ड है । तब किसानों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है । तब सरकार को उन्हें लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए उपाय करने ही थे।

अब गेहूं, चावल तथा अन्य किस्म के अनाजों के मूल्यों में स्थिरता आ गई है । आज हमारी अनाज के मामले में स्थिति इतनी अच्छी है कि यदि किसी क्षेत्र में अनाज की कमी हो भी जाती है तो हम उसे अनाज की उचित मात्रा भेज सकते हैं ।

गत दो महीनों से खाद्य तेलों की कमी अनुभव की जा रही है । हम इस दिशा में ठोस उपाय कर रहे हैं तथा यह कमी दूर हो जाएगी । इसके बाद नई फसल आने वाली है । तब यह कमी बिल्कुल दूर हो जाएगी ।

श्री गोस्वामी ने यह आशंका व्यक्त की थी कि दस्तावेज की मूल प्रति और दूसरी प्रति से परेशानी हो जाएगी । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के

अनुसार मूल प्रति को ही सही समझा जाता है । मैं उन्हें यह भी बताना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों के नागरिक पूर्ति आयुक्तों तथा खाद्य विभाग के अधिकारियों ने भी अनुरोध किया था कि इस सम्बन्ध में संशोधन किया जाना चाहिए मैं कह चुका हूं कि कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं परन्तु हम क्रियान्विति के विषय में ध्यान रखेंगे कि कठिनाइयां न हो और मामलों को यथाशीघ्र निपटाया जाये । हम ध्यान रखेंगे कि निर्दोष व्यक्तियों को कठिनाई कम से कम हो ।

[श्री पार्थसारथी पीठासीन हुए]

[SHRI PARTHASARTHY *in the Chair*]

मानसून वर्षा में कुछ विलम्ब हो गया और कुछ व्यापारी ऐसे अवसर पर उससे लाभ उठाने की ताक में बैठे थे कि कृत्रिम अभाव पैदा किया जाये । मेरा व्यापारियों और उद्योगपतियों से अनुरोध है कि वे अपने आपको लोकतंत्र की भावना के अनुरूप ढ़ालें ।

वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की बात कही गयी । मैं इस सम्बन्ध में थोक मूल्य सूचकांक देना चाहूंगा । नवीनतम आंकड़े 14 अगस्त के हैं जब सूचकांक 309 था जबकि इसी समय गत वर्ष यह 311.1 था । हम इस बारे में बहुत सतर्क हैं और कठोरता से काम कर रहे हैं । हमें उपभोक्ता संरक्षण अभियान को अधिक व्यापक, विस्तृत और कारगर बनाना होगा । यह विधान भी वास्तव में उसका ही अंग है । विश्व में यह अभियान एक नवीन अनुभव है । स्वीडन में उपभोक्ता 'ओमबुड्समैन' वस्तुओं की किस्म, मात्रा और उपभोक्ता मूल्य पर नजर रखता है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : यहां उपभोक्ता संरक्षण अभियान के परिणामस्वरूप कनाट प्लेस में एक काफ़ी हाउस स्थापित किया गया था और जब उसकी इमारत को गिरा दिया गया है और उसे अन्यत्र स्थान नहीं दिया गया है। क्या उपभोक्ता अभियान को संरक्षण देने का यही तरीका है ?

श्री ए० सी० जार्ज : संभवत एक अनधिकृत क्षेत्र में किसी इमारत को गिराना उपभोक्ता विरोधी उपाय नहीं कहा जा सकता । गत तीन-चार वर्षों में डेनमार्क में उपभोक्ता ओमबुड्समैन ने जोर पकड़ा है । ब्रिटेन में किसी भी वस्तु के मूल्य में मामूली सी भी वृद्धि करने के लिये निर्माता को मूल्य आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है । अमरीका में उपभोक्ता उत्पादकता परिषद और संघीय व्यापार आयोग इस दिशा में प्रभावी प्रयास कर रहा है ।

इस दिशा में हमारे देश में किये जा रहे प्रयास की आपको जानकारी है । मार्च और अप्रैल में मूल्यों में अपेक्षाकृत गिरावट आई है । 2.5 लाख सार्वजनिक वितरण केन्द्र है, जो पर्याप्त नहीं हैं परन्तु गांवों की जनता के साथ हमारा अनुभव बहुत निराशाजनक रहा है क्योंकि उन्होंने इन केन्द्रों से वस्तुएं लेना बन्द कर दिया है । इसका एक कारण गांवों में खुदरा दुकानदारों द्वारा वस्तुओं का उधार पर दिया जाना भी है । सार्वजनिक वितरण व्यवस्था तब ही सफ़ल हो सकती है जब उपभोगताओं में जागरूकता हो । इसके लिये आज उपयुक्त समय है । हम उपभोक्ता संरक्षण उपायों के बारे में एक व्यापक विधान लाने की बात सोच रहे हैं । गत एक वर्ष में मिलावट, वजन कम पाये जाने, नाप-तौल में धोखा किये जाने आदि

की बहुत सी शिकायतें मिली। पैकेटबन्द वस्तु विनियमन आदेश से ऐसी अनियमितताओं को रोकने में सहायता मिली है। गलत विज्ञापन देना और अपने उत्पादों के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बताना आदि हमारी व्यापारिक व्यवस्था के दोष हैं। वितरण लागत के बारे में हम निश्चित मत हैं। मुख्य विक्रय एजेन्ट कोई सामाजिक लाभ नहीं पहुंचाते हैं। निर्माण और उपभोक्ता के पास पहुंचने पर मूल्यों में कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता है। हमने कुछ आवश्यक वस्तुएं छांटी हैं, जिनके निर्माण स्तर से उपभोक्ता स्तर तक वितरण पर निगरानी रखेंगे। हम देखेंगे कि सामाजिक स्थिति में मुख्य विक्रय एजेन्ट व्यवस्था कहां तक उपयोगी है। जहां तक कमीशन एजेन्टों का सम्बन्ध है, हमारे जैसे बड़े देश में निर्माता से उपभोक्ता तक माल पहुंचने में 1500 से 2000 मील तक की दूरी तय करनी पड़ती है। मैं मानता हूं कि वितरण के कुछ स्तर तो आवश्यक हैं। लेकिन उनका आपस में मिलकर धन बांटने के अतिरिक्त यदि कोई उपयोग नहीं है, तो हम इस पर विचार करगे और उपचारात्मक उपाय करेंगे।

माननीय सदस्यों के सुझाव और उनकी टिप्पणी बहुत उत्साहवर्धक रही है और इसके लिये मैं उनका आभारी हूं क्योंकि प्रधान मंत्री के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की सबसे पहली बात यह देखना है कि जनता को उनके उपभोग की अत्यावश्यक वस्तुएं अपेक्षित मात्रा में उचित मूल्य पर मिले।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच नहीं है कि मूल्य मार्च में बढ़ने लगे थे जब मानसून और अभाव का कोई प्रश्न नहीं था ?

श्री ए० सी० जार्ज : जिन वस्तुओं की हम चर्चा कर रहे हैं, उनके मूल्यों में मई में वृद्धि हुई। 15 अप्रैल के बाद कुछ वस्तुओं के मूल्यों में धीरे धीरे वृद्धि हुई और मूंगफ़ली के मूल्य मई के अन्त में बढ़े।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : अभिग्रहण के मामले में आपने कलक्टर को सम्पूर्ण शक्ति प्रदान की है जबकि अधिग्रहणके मामले में न्यायिक प्राधिकार को अपील करने का अधिकार है। क्या अभिकरण के लिए भी एक अपीलीय निकाय या कोई अन्य निकाय बनाया जायेगा ?

श्री ए० सी० जार्ज : माननीय सदस्य का सुझाव स्वीकार करना मेरे लिये कठिन है परन्तु मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि राज्य की ओर से जिला प्राधिकारियों को दी गई शक्तियों का निर्वहन करने में सावधानी बरती जाये, इसका ध्यान रखा जायेगा। पूर्व सावधानी रखी जायेगी कि इन शक्तियों का दुरुपयोग न हो।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

श्री बी० वी० नायक : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं। खण्ड 3 में यह उपबन्ध है कि कोई उत्पादक या व्यापारी, जो किसी आवश्यक वस्तु का कारोबार करता; अपना उत्पादन या माल अथवा उसका विशिष्ट भाग अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट वर्गों के लोगों को अवश्य बेचेगा। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि गैर-सरकारी व्यक्ति या व्यक्तियों पर सरकार का कितना नियंत्रण रहेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि "गैर-सरकारी व्यक्ति" के स्थान पर "सरकारी व्यक्ति" शब्द रखे जायें।

श्री योगेन्द्र झा (जयनगर) : मैं अपने संशोधन संख्या 2 और 3 प्रस्तुत करता हूं। खण्ड 3 में उपबन्ध है कि किसी व्यक्ति के जब्त माल के भुगतान के समय फसल की सामान्य संभावनाओं और नियंत्रित मूल्य को ध्यान में रखा जायेगा। फसल की संभावनाएं प्रति सप्ताह भिन्न-भिन्न होती हैं। अतः मेरा सुझाव है कि "फसल की सामान्य संभावनाओं" शब्दों का लोप कर दिया जाना चाहिए अन्यथा विधेयक का समूचा उद्देश्य विफल हो जायेगा।

श्री ए० सी० जार्ज : खेद है कि मैं कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4 से 9, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 4 to 9, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री ए० सी० जार्ज : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री भोगेन्द्र झा : मंत्री महोदय ने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का उल्लेख किया। एक ओर तो मंत्री महोदय ने बम्बई में कहा कि जमाखोरी और काला बाजार के कारण मूल्यों में वृद्धि हुई है और दूसरी ओर हम देखते हैं कि सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने थोक व्यापारियों को बहुत बड़ी राशियां प्रदान की हैं जिससे वे जमाखोरी करते हैं और कृत्रिम अभाव पैदा करते हैं। जब सरकार थोक व्यापारियों को वित्त देती है, तो वे छोटी सहकारी संस्थाओं को कैसे काम करने देंगे? मंत्री महोदय ने कहा कि इस वर्ष अनाज, मूंगफली और तिलहनों की फसल बहुत अच्छी हुई है। सरकार को अब साहस का परिचय देना चाहिए और आवश्यक वस्तुओं के, विशेष रूप से

खाद्यान्नों के, थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। लोग इस स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं जिसमें कि उत्पादकों को वसूली मूल्य से काफी कम मूल्य मिलता है, बिहार में 7 अगस्त को धान का थोक मूल्य 115 रुपये प्रति क्विटल था जबकि वसूली मूल्य 74 रुपये है। गेहूं का मूल्य महाराष्ट्र में ,14 अगस्त को 125--135 रुपये प्रति क्विटल था। उत्तर प्रदेश में 127 रुपये का जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग चिल्ला रहे थे कि उन्हें कम से कम 105 रु० का वसूली मूल्य तो मिलना चाहिए।

मैं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का उपयोग करता हूं। मैंने सुपर बाजार से चार किलो सरसों का तेल 34.65 रुपये का खरीदा। पर्याप्त उत्पादन होने पर भी यह स्थिति है। क्या यह सरकार की पूर्ण असफलता नहीं है? एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। सरकार की वर्तमान नीति उत्पादको, उपभोक्ताओं और समूचे राष्ट्र के हित में नहीं है। अतः सरकार को साहस जुटाकर चीनी, कपड़ा और पटसन उद्योग के साथ-साथ अनाज तथा सभी आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे आवश्यक वस्तुओं के क्षेत्र से सम्बन्धित अधिकारियों के हाथ मजबूत होंगे। परन्तु कुछ अन्य प्रभावी कदम भी उठाने जाने चाहियें।

Shri Ishaque Sambhali (Amroha): The question of ensuring regular supplies of essential commodities in required quantities for such a vast country is a vital problem. We are all aware that the prices have been rising during the last few months. But we do not like in Government coming out with a statement justifying the upward trend in prices.

It is gratifying to note that efforts are afoot to eliminate the middlemen. Government has aken cerain steps to check hoarding and blackmreting, which ought to be appreciated. Similarly the arrests of traders, who exploit consumers and agriculturists, is a good step. But Government should not relax their efforts in this direction. Government should take over the entire trade, supply and distribution of basic essential commodities within their control so that consumers could be saved from exploitation by traders and manufacturers.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि सरकार सोचती है कि वह विधान बनाने मात्र से समस्या पर काबू पा लेगी या उसे हल कर लेगी। पहले बनाये गये विधान को लागू करने की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। केवल नौकरशाहों के अधिकार बढ़ा देने से, जैसा कि इस विशिष्ट विधान रा किया जा रहा है, समस्या हल नहीं की जा सकती। हमने गत 14 महीनों में देखा है कि सरकार सभी स्तरों पर नौकरशाहों की शक्तियां बढ़ाती जा रही है? कहीं कोई अपील नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई न्याय नहीं रह गया है। ऐसे वातावरण में नौकरशाहों और प्रशासन की शक्तियां बढ़ाकर उपभोक्ताओं के हितों की कैसे रक्षा हो सकती है?

दूसरी बात मूल्य-वृद्धि की है। सरकार जो चाहे दावा करे, प्रचार एक अन्य बात है परन्तु वास्तविकता बिल्कुल भिन्न है। वास्तविकता यह है कि हमारे देश में अधिकांश वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट नहीं आई है बल्कि कुछ वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं। इसके साथ ही सप्लाई पर्याप्त नहीं है। गुजरात में अचानक तेल गायब हो गया है। आश्चर्य की बात है कि दो महीने पहले ही हमें बताया गया था कि गुजरात में मूंगफली की फसल बहुत अच्छी है और ऐसी अच्छी फसल कभी हुई ही नहीं है। परन्तु अब जब ईद, पूजा, दिवाली आदि त्यौहार निकट आ रहे हैं हमें बताया जाता है कि अचानक तेल गायब हो गया। सरकार की व्यवस्था कहां है?

अब मैं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को लेता हूं। वास्तव में यह समाज के निर्बल वर्गों के लिये है। आर्थिक दृष्टि से निर्बल वर्गों के लिये पर्याप्त कार्यवाही नहीं की जा रही है। टेलीविजन, रेडियो पर प्रचार तो बड़े पैमाने पर किया जाता है परन्तु क्रियान्विति में सरकार बहुत पीछे है। श्री सम्भाली ने ठीक ही कहा कि समाज के निर्बल वर्गों के हित के लिये कार्य करने के लिये लोगों में जागृति लाने की आवश्यकता है। प्रचार आवश्यक है परन्तु यदि आप प्रचार ही करते रहे और अपने वचनों को कार्यरूप न दें तो एक बहुत खराब स्थिति उत्पन्न होगी। यदि सरकार वास्तव में उनके हितों का ध्यान रखना चाहती है तो सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज के निर्बल वर्गों को न तो एक ओर व्यापारियों द्वारा और दूसरी ओर कृत्रिम अभाव द्वारा धोखा दिया जा सके। मुनाफाखोरी को रोका जाना चाहिए। आने वाले त्यौहारों को ध्यान में रखकर कुछ कार्यवाही करनी आवश्यक है। वैसे सभी दिन स्थिति सामान्य होनी चाहिए।

सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधान रहना होगा कि आवश्यक वस्तुएं बाजार से गायब न हो जायें। समाज के निर्बल वर्गों को उचित सहायता दी जानी चाहिये, मूल्य वृद्धि को रोका जाना चाहिये। सरकार को यह भी देखना होगा कि आपातकाल में या सामान्य स्थिति में नौकरशाह उपभोक्ताओं को तंग न करें।

मैं वास्तव में विधेयक की भावना का विरोध नहीं कर रहा हूं परन्तु यदि आप इन बात का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप कठिनाइयों को दूर करने की अपेक्षा उन्हें बढ़ायेंगे।

श्री ए० सी० जार्ज : मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने न केवल महत्वपूर्ण सुझाव दिये बल्कि सहयोग की सर्वश्रेष्ठ भावना का भी प्रदर्शन किया। हम प्रयास कर रहे हैं कि सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं का वितरण इस प्रकार हो कि वे गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उचित मूल्य पर और अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध हो सकें। यदि सम्पूर्ण समस्या के बारे में यह दृष्टिकोण हो तो दलगत राजनीति का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। सामान्यतः प्रति वर्ष प्रायः मई के अन्त से अक्तूबर के मध्य तक मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति देखने में आती है क्योंकि खरीफ़ की फ़सल से पहले का समय मन्दी का समय समझा जाता है।

श्री मावलंकर ने त्यौहारों के समय की स्थिति के बारे में कहा। त्यौहारों के समय स्थिति से अनुचित लाभ उठाने की व्यापारियों की प्रवृत्ति होती है। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमने देखा कि व्यापारी चीनी, खाद्य, तेलों, अनाज, कपड़े आदि के मूल्य बढ़ाने के प्रयास कर रहे थे। इसलिये हमने अग्रिम कार्यवाही की है ताकि वे ऐसा न कर पायें। जहां भी अभाव की स्थिति है वहां माल पहुंचाने के लिये हम राज्य सरकारों से सहयोग ले रहे हैं ताकि वहां पर अधिकांश वस्तुएं समय पर पहुंच जायें और परिवहन की समस्या उत्पन्न न हो। उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिये किये जाने वाले उपायो के मामले में सरकार बिल्कुल ढ़ील नहीं देगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

कारखाना (संशोधन) विधेयक, 1976

FACTORIES (AMENDMENT) BILL, 1976

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि कारखाना अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

श्रमजीवी वर्ग का स्वस्थ और खुशहाल होना उत्पादन, उत्पादकता और प्रगति की आधार-शिला है। कारखाना अधिनियम बनाने का मुख्य उद्देश्य प्रबन्ध को श्रमिक वर्ग के हित में विनियमित करना है। जब तक श्रमिक वर्ग की बीमारी और अशक्ता से रक्षा नहीं की जाती तब तक निर्माण की प्रक्रिया न तो उत्तम और न ही कुशल हो सकती है।

वर्तमान कारखाना अधिनियम; 1948 में पारित किया गया था और 1 अप्रैल, 1949 से लागू हुआ था। अधिनियम का पिछला संशोधन 1954 में हुआ था। अधिनियम के कार्यकरण पर मुख्य कारखाना निरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में विचार-विमर्श हुआ था। श्रम मन्त्रियों के 16वें सम्मेलन में भी सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति, दुर्घटनाओं की जांच आदि के बारे में सुझाव दिये गये थे। सरकार ने राज्य सरकारों और अखिल भारतीय श्रमिक संगठनों आदि से परामर्श करके और विभिन्न हितों की लगभग सहमति से इस विधेयक द्वारा कुछ संशोधन रखे हैं।

एक संशोधन द्वारा वर्तमान कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत 'कर्मकार' की परिभाषा को विस्तृत करने का प्रस्ताव है ताकि कारखानों में नियोजित ऐसे वर्गों के व्यक्ति भी इसके अन्तर्गत आ सकें जो अब तक कारखाना अधिनियम के संरक्षणात्मक खण्डो के क्षेत्र से बाहर थे। सीधे या किसी एजेन्सी के माध्यम से मुख्य नियोजक की जानकारी में या बिना जानकारी से नियोजित ठेके पर सभी श्रमिक इस विधेयक के अन्तर्गत आयेंगे। अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ङ) में एक स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि विभिन्न पारियों (रिले) में काम करने वाले श्रमिकों को इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया जा सके।

कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में श्रमिकों को जाली न लगी हुई मशीनों के पास भी काम करना पड़ सकता है। इस प्रकार के काम के बारे में वर्तमान उपबन्धों में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि ऐसी परिस्थितियों की स्पष्ट व्याख्या की जाए तथा ऐसे मामले में किये जाने वाले पूर्वोपाय उल्लिखित किये जायें। विधेयक में ए नई धारा के अन्तःस्थापन का भी प्रस्ताव है जिसके अनुसार ऐसे कारखानों में, जहां एक हजार से अधिक श्रमिक काम करते हैं या जहां निर्माण प्रक्रिया के फ़लस्वरूप शारीरिक चोट लगने, जहर फैलने या रोग-ग्रस्त हो जाने का खतरा है; सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति का उपबन्ध है।

इसके अन्तर्गत ऐसी दशा में जहां कारखाने की इमारत की हालत ऐसी हो जिससे कर्मकारों के स्वास्थ्य को नुकसान हो सके, निरीक्षकों को आदेश जारी करने के लिए अतिरिक्त शक्तियां देने का प्रस्ताव है।

इसके अन्तर्गत यह भी उपबन्ध किया जा रहा है कि ऐसी दुर्घटनाओं के बारे में जिनसे किसी की मृत्यु हो गई हो एक मास के भीतर जांच पूरी की जाए।

इस प्रकार गम्भीर दुर्घटनाओं की दशा में तथा ऐसी दुर्घटनाओं की दशा में जिनमें किसी की मृत्यु हो जाए तथा जो अध्याय 6 के उपबन्धों या धारा 87 के अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन होने के कारण हुई हों, न्यूनतम दण्ड दिए जाने का प्रस्ताव है।

महिला कर्मचारियों की संख्या 50 से कम करके 30 की जा रही है।

यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि उत्पादन बढ़े। इसके लिए हम कार्य स्थानों को सुरक्षित बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कोई भी कर्मकार जो यह महसूस करे कि उसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है वह ठीक तरह से काम नहीं कर सकेगा।

मैं सभी संशोधन पर अपनी व्याख्या देते हुए सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता किन्तु यह अवश्य कहना चाहूंगा कि इन सभी संशोधनों से जो इस विधेयक में लाए गए हैं श्रमिकों के हाथ मजबूत होंगे तथा प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच सम्बन्ध और सुदृढ़ होंगे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कारखाना अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : माननीय मन्त्री ने कहा है कि चूंकि अब देश में उत्पादन बढ़ाना है इसलिए कर्मकारों की सुरक्षा सम्बन्धी उपाय करने बहुत जरूरी हैं। उनका कहना है कि अधिक सुरक्षा होने से अधिक उत्पादन होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि ये संशोधन सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के बारे में हुए निरीक्षकों के सम्मेलन के सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप किए जा रहे हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि इन संशोधनों से कारखानों की सुरक्षात्मक परिस्थितियों में कोई मूल परिवर्तन होने वाला नहीं है। इन संशोधनों से पुराने अधिनियमों में थोड़ा-बहुत हेरफ़ेर ही होगा।

कारखानों में आम तौर पर दुर्घटनाएं कारखानों के प्रबन्धकों की लापरवाही के कारण ही होती हैं। प्रायः यही देखा गया है कि प्रबन्धक सुरक्षा सम्बन्धी नियमों और विनियमों का अनुसरण नहीं करते। उसका परिणाम यह होता है कि दुर्घटनाएं हो जाती हैं।

कुछ ही महीने पहले चासनाला में दुर्घटना हुई थी। उस दुर्घटना ने सारे देश को बता दिया है कि सुरक्षा उपायों की किस हद तक अवहेलना की जाती है। परन्तु दुःख की बात तो यह है कि इस खौफ़नाक दुर्घटना के बाद भी सरकार के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसके बाद चासनाला में ही दोबारा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। मुझे पता चला है कि चासनाला कोयला खान में काम बिल्कुल बन्द हो गया है।

समाचार पत्रों में दुर्घटनाओं का समाचार लगभग हर रोज पढ़ने को मिलता है। सारे विश्व में दुर्घटनाओं की तुलना में हमारे देश में दुर्घटनाओं की संख्या सर्वाधिक है। मैं इन दुर्घटनाओं की तुलना समाजवादी देशों से नहीं कर रहा हूं जहां पर दुर्घटनाएं न के बराबर होती हैं। वहां पर जिस कारण से दुर्घटना हो उसे भविष्य में दूर करने का उपाय किया जाता है।

हमारे देश में तो पूंजीवादी देशों की तुलना में भी अधिक दुर्घटनाएं होती हैं। जब यह प्रश्न मन्त्री महोदय से राज्य सभा में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वहां दुर्घटनाएं इसलिए कम होती हैं क्योंकि वहां

पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश में भी तो प्रौद्योगिक में काफी सुधार हुआ है किन्तु दुर्घटनाएं बिल्कुल कम नहीं हुई हैं । मैं तो यह समझता हूं कि हमारे देश में दुर्घटनाओं के लिए मुख्य रूप से सरकार और नियोक्ताओं का रवैया जिम्मेदार है । हमारे देश में प्रत्येक नियोक्ता सस्ता श्रम पाकर उनका शोषण करना चाहता है । ऐसी हालत में उनसे कैसे उपेक्षा की जा सकती है कि वे सुरक्षात्मक उपायों की ओर ध्यान देंगे ।

माननीय मन्त्री ने कहा है कि सुरक्षा सम्बन्धी उपायों की अवहेलना करने वालों के लिए जुर्माने की राशि 1000 से बढ़ा कर 2000 रुपए की जा रही है । परन्तु मेरा निवेदन यह है कि यदि कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिससे किसी व्यक्ति की जान चली जाती है या वह सारे जीवन के लिए अपंग हो जाता है तो उससे उसको क्या लाभ होगा तथा नियोक्ता को 1000 रुपये अधिक देने से क्या फ़र्क पड़ेगा ।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

64वाँ प्रतिवेदन

सभापति महोदय : श्री शंकरानन्द कार्य मन्त्रणा सम्बन्धी अपना 64वां प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री बी० शंकरानन्द (चिकोड़ी) : मैं कार्य मन्त्रणा समिति का 64वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 27 अगस्त, 1976/5 भाद्र, 1898 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday, August 27, 1976/Bhadra 5, 1898 (Saka)

म० प्र० भा० स० मु० मि० रो० न० दि० एल एस-III—1756—एल० एस—15-10-76—200
GMGIPMRND—LS III—756 LS—15-10-76—200